इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 अप्रैल 2016—वैशाख 2, शक 1938

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2016

क्र. एफ-5-05-2016-एक-(1) उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री एस. सी. शर्मा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर को दिनांक 29 दिसम्बर 2015 से 30 दिसम्बर 2015 तक के शीतकालीन अवकाश के साथ यात्रा सुविधा का लाभ लेने के फलस्वरूप भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011/4/2008-ईएसटीटी(ए), दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत एल.टी.सी. एवं 10 दिवस का पूर्ण वेतन भत्ते सहित अवकाश नगदीकरण करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं.

(2) उपरोक्तानुसार नगद भुगतान एक मुश्त किया जावे. भारत सरकार के उक्त निर्देशों के प्रावधान अनुसार यह नगदीकरण सेवानिवृत्ति के समय अनुमत अधिकतम 300 दिन के नगदीकरण में से घटाया नहीं जावेगा.

क्र. एफ-5-06-2016-एक-(1) उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री रोहित आर्य, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 23 दिसम्बर 2015 से 29 दिसम्बर 2015 तक के शीतकालीन अवकाश के साथ यात्रा सुविधा का लाभ लेने के फलस्वरूप भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011/4/2008-ईएसटीटी(ए), दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत एल.टी.सी.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

एवं 10 दिवस का पूर्ण वेतन भत्ते सहित अवकाश नगदीकरण करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं.

(2) उपरोक्तानुसार नगद भुगतान एक मुश्त किया जावे. भारत सरकार के उक्त निर्देशों के प्रावधान अनुसार यह नगदीकरण सेवानिवृत्ति के समय अनुमत अधिकतम 300 दिन के नगदीकरण में से घटाया नहीं जावेगा.

क्र. एफ 5-7-2016-एक (1).—उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री एस. के. सेठ, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

अ.क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	14 जनवरी 2016 से दिनांक 25 जनवरी 2016.	12	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26 जनवरी 2015 सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

क्र. एफ 5-9-2016-एक (1).—उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री एन. के. गुप्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

अ.क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)
01	दिनांक 11 फरवरी 2016 से दिनांक 12 फरवरी 2016 तक.	02	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.

क्र. एफ 5-10-2016-एक (1).—उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री सुजॉय पॉल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

अ.क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)
01	दिनांक 18 जनवरी से 2016 से दिनांक 21 जनवरी 2016.	04	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.

क्र. एफ-5-20-2015-एक-(1) उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री डी. के. पालीवाल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इन्दौर को दिनांक 19 दिसम्बर 2015 से 30 दिसम्बर 2015 तक के शीतकालीन अवकाश के साथ यात्रा सुविधा का लाभ लेने के फलस्वरूप भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011/4/2008-ईएसटीटी(ए), दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत एल.टी.सी. एवं 10 दिवस का पूर्ण वेतन भत्ते सहित अवकाश नगदीकरण करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं.

(2) उपरोक्तानुसार नगद भुगतान एक मुश्त किया जावे. भारत सरकार के उक्त निर्देशों के प्रावधान अनुसार यह नगदीकरण सेवानिवृत्ति के समय अनुमत अधिकतम 300 दिन के नगदीकरण में से घटाया नहीं जावेगा.

भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2016

क्र. एफ 5-20-2015-एक (1).—उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री डी. के. पालीवाल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

अ.क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)
01	दिनांक 4 दिसम्बर 2015 से दिनांक 8 दिसम्बर 2015 तक.	05	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.
02	दिनांक 11 दिसम्बर 2015 से दिनांक 17 दिसम्बर 2015 तक.	07	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

सामान्य प्रशासन विभाग
(अधीक्षण शाखा)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2016

एफ. क्र. 22-49-1985-एक-स्था.-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सचिवालय (चतुर्थ श्रेणी) सेवा भर्ती नियम, 1987 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची में, कॉलम (2) में दर्शित पद "भृत्य, फर्राश, वाटरमैन, चौकीदार, वाल्वमैन और स्वीपर के सामने, कॉलम (12) मे, शब्द "एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार" का लोप किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एन. चौहान, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2016

क्र. एफ. 22-49-1985-एक-स्था.-2.—भारत के संविधान अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 22-49-1985-एक-स्था-2, दिनांक 7 अप्रैल 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एन. चौहान, अवर सचिव.

Bhopal the 7th April 2016

F. No. 22-49-1985-I-Esst-2.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Secretariat (Class IV) Service Recruitment Rules, 1987 namely:—

AMENDMENT

In the said rules in the Schedule, in column (12), against the posts "Peon, Farrash, Waterman, Chowkidar, Volveman and Sweeper" shown in column (2), the words "and personal interview" shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. N. CHOUHAN, Under Secy.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2016

फा. क्र. 3(ए)2-2015-इक्कीस-ब (एक) 1200.—राज्य शासन, उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री राम गोपाल सिंह, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला छतरपुर को उनके द्वारा दिनांक 15 फरवरी 2016 को प्रस्तुत सूचना पत्र के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 42(1)(क) के अधीन उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर सेवानिवृत्त होने के लिए अनुज्ञात किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 30 अप्रैल 2016 के अपराह्न से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति प्रदान करता है.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2016

फा. क्र. 3(बी)02-2014-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 32), राज्य शासन, श्री महेन्द्र सैनी पिता श्री राम सिंह सैनी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला मेरठ (उत्तरप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 26 मार्च 1980 है.

भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2016

फा. क्र. 3(ए)01-2016-इक्कीस-ब(एक)-1328.—मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सदस्य श्री एम.एस. रावत सिविल न्यायाधीश वर्ग-1 पेटलावद जिला झाबुआ (वर्तमान में निलम्बित मुख्यालय-ग्वालियर) के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच के निष्कर्षों के आधार पर उनके विरुद्ध गंभीर कदाचरण के आरोप प्रमाणित पाये जाने पर उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश द्वारा फुलकोर्ट मीटिंग (by circulation) दिनांक 3 मार्च 2016 में पारित प्रस्ताव द्वारा उक्त न्यायिक अधिकारी को सेवा से पदच्युत (Dismissal from service) किये जाने की अनुशंसा की गई है.

उक्त न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख तथा समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरान्त उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री एम. एस. रावत सिविल न्यायाधीश वर्ग-1 पेटलावद जिला झाबुआ (वर्तमान में निलम्बित मुख्यालय-ग्वालियर) को सेवा से पदच्युत (Dismissal from service) किया जाए.

अत: मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील), नियम 1966 के नियम 10 के उपनियम (ix) के अन्तर्गत दीर्घ शास्ति अधिरोपित करते हुए एतद्द्वारा, राज्य शासन श्री एम.एस. रावत सिविल न्यायाधीश वर्ग-1 पेटलावद जिला झाबुआ (वर्तमान में निलम्बित मुख्यालय-ग्वालियर) को तत्काल प्रभाव से सेवा से पदच्युत (Dismissal from service) करता है.

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2016

फा. क्र. 3(सी)-8-86-इक्कीस-ब-(एक).—राज्य शासन, श्री आदित्य चौबे, अधिवक्ता, जबलपुर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR) (मध्यप्रदेश सीरीज) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रुपये 5000/- (रुपये पांच हजार) केवल प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर दिनांक 23 फरवरी 2016 से 22 फरवरी 2017 तक एक वर्ष अथवा नवीन नियुक्ति होने (जो भी पहले हो) तक नियुक्त करता है.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन (102) उच्च न्यायालय (579) उच्च न्यायालय भारित (01) वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2016

फा. क्र. 3(बी)-2-2014-इक्कीस-ब-(एक)-1310.—मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2014 की चयन सूची दिनांक 3 सितम्बर 2015 में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर चयनित अभ्यर्थी श्री मृदुल गुप्ता (मेरिट क्र. 11) की ओर से प्रेषित आवेदन पर, विचारोपरांत स्वीकार करते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री मृदुल गुप्ता का नाम चयनित सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) की मुख्य चयन सूची के मेरिट क्र. 11 से विलोपित कर उनका चयन का अधिकार समाप्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विरेन्दर सिंह, प्रमुख सचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 मार्च 2016

क्र. एफ. 11-7-2016-बी-ग्यारह.—उद्योग संवर्धन नीति, 2010 एवं कार्य योजना की कंडिका क्रमांक 14.4 के संदर्भ में विभागीय आदेश क्रमांक एफ 20-1-2010-बी-ग्यारह, भोपाल दिनांक 4 जनवरी 2011 से जारी मार्गदर्शी बिन्दु एवं मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 की कंडिका क्रमांक 4(2) में उल्लेखित प्रावधान अनुसार निम्नलिखित क्षेत्र को नवीन औद्योगिक क्षेत्र एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है:—

क्र.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	जिला	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	नवीन औद्योगिक क्षेत्र उज्जैनी	धार	43.41

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल भारतीय, उपसचिव.

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2016

क्र. एफ-3-37-2016-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2)(क) के अनुसरण में राज्य सरकार, एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये ग्वालियर निवेश क्षेत्र तथा ग्राम नियोजन विभाग की अधिसूचना क्रमाकं 282-एफ-1-7-तैंतीस-74, भोपाल दिनांक 24 जनवरी 1974, जिला योजना समिति ग्वालियर की अधिसूचना क्रमांक 1864-189-जियो-99, ग्वालियर दिनांक 9 जुलाई 1999 तथा आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-69-2007-बत्तीस, भोपाल दिनांक 21 सितम्बर 2017 की सीमाओं में परिवर्तन करती है, जिसकी पुनरीक्षित सीमायें निम्न अनुसूची में परिलक्षित की गई है.

अनुसूची
ग्वालियर पुनरीक्षित निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में—ग्राम बरौआ नूराबाद, सुसेरा कुवरपुरा, करगवां, टीकरी नरेश्वर एवं बरेठा की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में—ग्राम चंद्रपुरा, सूरो, चककेशोपुर, वीरमपुरा, धनेली, बनारपुरा, गनेशपुरा, सुनारपुरा, हिर्री बघोली, सौंसा, रमौआ, बस्तरी एवं अलीनगर की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में—ग्राम छौदा, सातऊ, कुशराजपुर, पुरासानी, डॉगसरकार एवं अलीनगर की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में—ग्राम छौदा, खिरिया, मूत्यु, अजयपुर, नीमचन्दौहा, चक गिरवाई, कोटा लश्कर, बहोडापुर, किशनबाग, थर, शंकरपुर, टिलहरी, खिरियाभान, रायरू एवं बरौआ नूराबाद की पश्चिमी सीमा तक.

क्र. एफ-3-91-2015-अठारह-5.—राज्य शासन एतद्द्वारा चंदेरीह विकास योजना हेतु मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 17(क) (1) के अन्तर्गत निम्नानुसार गठन किया जाता है. यह समिति मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17-क(2) सह पठित मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012 के नियम 12 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी:—

अधिनियम की धारा 17क (1) खण्ड		व्यक्ति का नाम/पद	संस्था/पता	समिति में पद
(1)		(2)	(3)	(4)
(क)		अध्यक्ष	नगरपालिका चंदेरी	सदस्य
(ख)		अध्यक्ष	जिला पंचायत, अशोक नगर	सदस्य
(ग)		सांसद	गुना संसदीय क्षेत्र	सदस्य
(घ)		विधायक	विधानसभा क्षेत्र चंदेरी	सदस्य
(ङ)		अध्यक्ष	नगर तथा ग्राम निवेश विकास प्राधिकारी	कोई नहीं
(च)		अध्यक्ष	जनपद पंचायत, चंदेरी	सदस्य
(छ)	1.	सरपंच	ग्राम पंचायत, मुरादपुर	सदस्य
	2.	सरपंच	ग्राम सिंहपुरताल, ग्राम पंचायत, गोधन	सदस्य
	3.	सरपंच	ग्राम सराय, ग्राम पंचायत, रामनगर	सदस्य
	4.	सरपंच	ग्राम रामनगर, ग्राम पंचायत, रामनगर	सदस्य
	5.	सरपंच	ग्राम पंचायत, प्राणपुर	सदस्य
	6.	सरपंच	ग्राम चकखानपुर, ग्राम पंचायत, अमरोल	सदस्य
(ज)	1.	प्रतिनिधि	काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट (इण्डिया) नई दिल्ली.	सदस्य
	2.	प्रतिनिधि	काउंसिल ऑफ टाउन प्लानर नई दिल्ली.	सदस्य
	3.	प्रतिनिधि	इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स कोलकाता	सदस्य
	4.	प्रतिनिधि	जिला कलेक्टर, अशोक नगर	सदस्य
	5.	प्रतिनिधि	वनमण्डलाधिकारी अशोक नगर	सदस्य
	6.	प्रतिनिधि	अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) चंदेरी	सदस्य
	7.	प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, मध्यप्रदेश विद्युत् मंडल, अशोक नगर.	सदस्य
(झ)		समिति का संयोजक	उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय गुना मध्यप्रदेश.	संयोजक

सूचना

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2016

क्र. एफ-3-07-2016-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012), की धारा 23-''क'' की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की सूचना क्रमांक-एफ-3-07-

2016-अठारह-5, दिनांक 25 जनवरी 2016 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है:—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ग्राम चंदुखेड़ी	1	6.94 हेक्ट.	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक (तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र).
		2	0.21 हेक्टे.		
		3	10.68 हे.		
		4	0.60 हे.		
		5	0.24 हे.		
		6	0.05 हे.		
		18	1.62 हे.		
		19	0.32 हे.		
		52/1	1.58 हे.		
		54/1	6.80 हे.		
		55	0.32 हे.		
		56/1	26.21 हे.		
		57	2.91 हे.		
		योग . .	58.48		

(1) राजस्व अभिलेख तथा स्थल पर विद्यमान नाले के अन्तर्गत आने वाली भूमि भोपाल विकास योजना 2005 तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों अन्तर्गत खुली छोड़नी होगी

(2) उक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ–25–11/2016/10–3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा–29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N-21°57'35.249" से N-21°57'52.675" तथा E-79°02'55.508" से E-79°03'27.503" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

:: अनुसूची ::

जिला – छिन्दवाड़ा तहसील – छिन्दवाड़ा
वनमण्डल – पूर्व छिन्दवाड़ा वनमंडल (क्षेत्रीय) वन परिक्षेत्र – छिन्दवाड़ा

क्रमांक	प्रस्तावित वनखंड का नाम	वनखंड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं	
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे0 में)		
1	2	3	4	5	6	7	
1	कुहिया	कुहिया	पहाड़/चट्टान	13/1	21.330	उत्तर –	मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक की कृत्रिम वन सीमा।
						पूर्व –	मुनारा क्रमांक 02 से 04 तक की कृत्रिम वन सीमा।
						दक्षिण –	मुनारा क्रमांक 04 से 16 तक की कृत्रिम वन सीमा।
						पश्चिम –	मुनारा क्रमांक 16 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग	21.330		

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :–

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक/6-MPC064/2007-BHO/1431 दिनांक 06.08.2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा की स्वीकृति परियोजना, अम्बाखापा जलाशय में प्रभावित 19.80 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 21.330 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 21.330 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक/45/अ–19(3)/2012–13 दिनांक 25.10.2013 से हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :— निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के प्रमाण—पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

1. व्यक्तिगत अधिकार :— उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

2. सामुदायिक अधिकार :— उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2016

एफ-25-11-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-11-2016-दस-3, दिनांक 12 अप्रैल 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 12th April 2016

No. F-25-11/2016/10-3 :: in exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner, except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between North Latitude **N-21^{0}57'35.249"** to **N-21^{0}57'52.675"** & **E-79^{0}02'55.508"** to **E-79^{0}03'27.503"** East Longitude.

SCHEDULE

District - Chhindwara Tehsil. - Chhindwara
Forest Division - East Chhindwara Division (T) Forest Range - Chhindwara

No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries	
		Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Kuhia	Kushi	Pahad/chattan	13/1	21.330	North -	Pillar No. 01to 02 Artificial forest boundary
						East -	Pillar No. 02to 04 Artificial forest boundary
						South -	Pillar No. 04to 16 Artificial forest boundary
				Total	21.330	West -	Pillar No. 16Ito 01 Artificial forest boundary.

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In Accordance with the condition laid down in Ministry of Environment, Forest and Climet change, Govt. of India's order no. 6-MPC064/2007-BHO/1431 dated 06.08.2014 and in lieu of 19.80 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Ambakhapa Tank Project of Executive Engineer Irrigation the above mentioned Non Forest Land of 21.330 hectare Transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No./45/A/19(3)/2012-13 dated 25.10.2013 of Collector Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation.
2. **Details of other Resoans -** Nil

(B) The khasra Wise details of recorded right on the above land as per report of (Certificated) of Tahsildar-Chhindwara, District-Chhindwara are as under:-

1. **Individuals Right -** There are no individual rights on the said land.
2. **Communities Rights** - There are no communities rights on the said land.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2016

क्रमाक एफ–25–14/2016/10–3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा–29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N-22^{0}19'35.180" से N-22^{0}19'52.220" तथा E-78^{0}44'59.260" से E-78^{0}45'29.690" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

:: अनुसूची ::

जिला – छिन्दवाड़ा तहसील – तामिया
वनमण्डल – पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल वन परिक्षेत्र – तामिया

क्रमांक	प्रस्तावित वनखंड का नाम	वनखंड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं	
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे0 में)		
1	2	3	4	5	6	7	
1	लिंगा 'अ'	ग्राम लिंगा	पहाड़ चट्टान	504	10.836	उत्तर –	मुनारा क्रमांक 01 से 08 तक की कृत्रिम वन सीमा।
						पूर्व –	मुनारा क्रमांक 08 से 15 तक की कृत्रिम वन सीमा।
						दक्षिण –	मुनारा क्रमांक 15 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग	10.836	पश्चिम –	मुनारा क्रमांक 01 (N-22^{0}19'36.180" से E-78^{0}44'59.260" के मध्य)

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक/8-67/2009-FC दिनांक 09.12.2010 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यकारी अभियंता, पाट बंधारे प्रकल्प विभाग बैनगंगा नगर अजनी, नागपुर महाराष्ट्र की स्वीकृत परियोजना कन्हान नदी प्रकल्प कोच्चि बैरेज में प्रभावित 72.00 हेक्टेयर वनभूमि (महाराष्ट्र सरकार की 51.00 हेक्टेयर वनभूमि एवं म.प्र. सरकार अनतर्गत छिन्दवाड़ा जिले के दक्षिण वनमंडल की 21.00 हेक्टेयर वनभूमि) के एवज में प्राप्त (पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल अनतर्गत) केल 21.00 हेक्टेयर (पहाड़ चट्टान) गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 10836 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक 01/अ-19(3)/2012-13 दिनांक 09.10.2012 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 01/अ-19(3)/2012-13 दिनांक 13.05.2014 से हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :- निरंक

(ख) **उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-**

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2016

एफ-25-14-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-14-2016-दस-3, दिनांक 12 अप्रैल 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 12th April 2016

No. F-25-14/2016/10-3 :: in exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies in Khasra no. 504 between **N-22^{0}19'35.180"** to **N-22^{0}19'52.220"** North Latitude and **E-78^{0}44'59.260"** to **E-78^{0}45'29.690"** East Longitude.

SCHEDULE

District - Chhindwara **Tehsil. - Tamia**
Forest Division - West Division Chhindwara **Forest Range - Tamia**

No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries	
		Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Linga 'A'	Village Linga	Pahad Chattan	504	10.836	North -	Artificial forest boundary Pillar No. 01 to 08
						East -	Artificial forest boundary Pillar No. 08 to 15
						South -	Artificial forest boundary Pillar No. 15 to 01
				Total	10.836	West -	Artificial forest boundary Pillar No. 01 **(N-22^{0}19'36.230" to E-78^{0}44'59.260")**

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In Accordance with the condition laid down in Ministry of Environment, Forest and Climet change, Govt. of India's order no. 8-67/2009-FC dated 09.12.2010 and in lieu of 21.00 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Kanhan River Project Kochhi Barage of Executive Engineer Pat Bandhare Project Dept. Bainganga Nagar Ajani, Nagpur, Maharashtra the above mentioned Non Forest Land of 72.00 hectare (51.00 ha. forest land of Maharshtra Govt. and 21.00 ha forest loand of Chhindwara Southe Division of Madhya Pradesh Govt. under Chhindwara District) total 10.836 hactare (Pahad Chattan) Transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department order No.01/A-19(3)/2012-13 dated 09.10.2012 of Collector Chhindwara and revised order No 01/A-19(3)/2012-13 dated 13-05-2014 of Collector Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation.

2. **Details of other Resoans -** Nil

(B) The khasra Wise details of recorded right on the above land as per report of (Certificated) of Tahsildar-Tamia, District-Chhindwara are as under:-

1. **Individuals Right** - There are no individual rights on the said land.
2. **Communities Rights** - There are no communities rights on the said land.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ–25–14/2016/10–3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा–29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N-22^{0}19'23.560" से N-22^{0}19'32.960" उत्तर अक्षांस व E-78^{0}44'7.250" से E-78^{0}45'25.560" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

:: अनुसूची ::

जिला – छिन्दवाड़ा तहसील – तामिया
वनमण्डल – पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल वन परिक्षेत्र – तामिया

क्रमांक	प्रस्तावित वनखंड का नाम	वनखंड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे0 में)	
1	2	3	4	5	6	7
1	लिंगा 'ब'	ग्राम लिंगा	पहाड़ चट्टान	514	10.164	उत्तर – मुनारा क्रमांक 02 से 04 तक की कृत्रिम वन सीमा।
						पूर्व – मुनारा क्रमांक 05 से 06 तक की कृत्रिम वन सीमा।
						दक्षिण – मुनारा क्रमांक 07 से 10 तक की कृत्रिम वन सीमा।
						पश्चिम – मुनारा क्रमांक 11 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग	10.164	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :–

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-67/2009-FC दिनांक 09.12.2010 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यकारी अभियंता, पाट बंधारे प्रकल्प विभाग बैनगंगा नगर अजनी, नागपुर महाराष्ट्र की स्वीकृत परियोजना कन्हान नदी प्रकल्प कोच्चि बैरेज में प्रभावित 72.00 हेक्टेयर वनभूमि (महाराष्ट्र सरकार की 51.00 हेक्टेयर वनभूमि एवं म.प्र. सरकार अन्तर्गत छिन्दवाड़ा जिले के दक्षिण वनमंडल की 21.00 हेक्टेयर वनभूमि) के एवज में प्राप्त (पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल अन्तर्गत) कुल 21.00 हेक्टेयर (पहाड़ चट्टान) गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 10.164 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक 01/अ–19(3)/2012–13 दिनांक 09.10.2012 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 01/अ–19(3)/2012–13 दिनांक 13.05.2014 से हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :– निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के प्रमाण–पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:–

1. व्यक्तिगत अधिकार :– उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

2. सामुदायिक अधिकार :– उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2016

एफ–25–14–2016–दस–3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–25–14–2016–दस–3, दिनांक 12 अप्रैल 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 12th April 2016

No. F-25-14/2016/10-3 :: in exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner, except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies in between **N-22^{0}19'23.560"** to **N-22^{0}19'32.960"** North Latitude and **E-78^{0}45'7.250"** to **E-78^{0}45'25.560"** East Longitude.

SCHEDULE

District - **Chhindwara** **Tehsil.** - **Tamia**
Forest Division - **West Division Chhindwara** **Forest Range** - **Tamia**

No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries	
		Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Linga 'B'	Village Linga	Pahad Chattan	514	10.164	North -	Artificial forest boundary Pillar No. 02 to 04
						East -	Artificial forest boundary Pillar No. 05 to 06
						South -	Artificial forest boundary Pillar No. 07 to 10
						West -	Artificial forest boundary Pillar No. 11 to 01
				Total	10.164		

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In Accordance with the condition laid down in Ministry of Environment, Forest and Climet change, Govt. of India's order no. 8-67/2009-FC dated 09.12.2010 and in lieu of 21.00 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Kanhan River Project Kochhi Barage of Executive Engineer Pat Bandhare Project Dept. Bainganga Nagar Ajani, Nagpur, Maharashtra the above mentioned Non Forest Land of 72.00 hectare (51.00 ha. forest land of Maharshtra Govt. and 21.00 ha forest loand of Chhindwara Southe Division of Madhya Pradesh Govt. under Chhindwara District) total 10.164 hactare (Pahad Chattan) Transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department order No.01/A-19(3)/2012-13 dated 09.10.2012 of Collector Chhindwara and revised order No 01/A-19(3)/2012-13 dated 13-05-2014 of Collector Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation.

2. **Details of other Resoans -** Nil

(B) The khasra Wise details of recorded right on the above land as per report of (Certificated) of Tahsildar-Tamia, District-Chhindwara are as under:-

1. **Individuals Right** - There are no individual rights on the said land.
2. **Communities Rights** - There are no communities rights on the said land.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ–25–15/2016/10–3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा–29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड उत्तर अक्षांश N-22^{0}10'23.156" से N-22^{0}10'29.283" तथा E-78^{0}52'44.079" से E-78^{0}52'50.532" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

:: अनुसूची ::

जिला – छिन्दवाड़ा तहसील – परासिया
वनमण्डल – पूर्व छिन्दवाड़ा वनमंडल (क्षेत्रीय) वन परिक्षेत्र – छिन्दवाड़ा

क्रमांक	प्रस्तावित वनखंड का नाम	वनखंड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं	
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे0 में)		
1	2	3	4	5	6	7	
1	फुटेरा "स"	फुटेरा	पहाड़ चट्टान	257/3	1.92	उत्तर –	मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक की कृत्रिम वन सीमा।
						पूर्व –	मुनारा क्रमांक 02 से 03 तक की कृत्रिम वन सीमा।
						दक्षिण –	मुनारा क्रमांक 03 से 04 तक की कृत्रिम वन सीमा।
						पश्चिम –	मुनारा क्रमांक 04 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग	1.92		

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :–

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6MPB-30/2015-BHO/1246 दिनांक 05.11.2015 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा की स्वीकृत परियोजना डेहरी जलाशय परियोजना में प्रभावित 1.92 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 1.92 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 1.92 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक 06/अ–19(3)/2013–14 दिनांक 30.12.2013 से हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण।
2. अन्य कारणों का विवरण :– निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार परासिया, जिला छिन्दवाड़ा के प्रमाण–पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:–

1. व्यक्तिगत अधिकार :– उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार :– उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2016

एफ-25-15-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-15-2016-दस-3, दिनांक 12 अप्रैल 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 12th April 2016

No. F-25-15/2016/10-3 :: in exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between North Latitude **N-22^{0}10'23.156"** to **N-22^{0}10'29.283"** & **E-78^{0}52'44.079"** to **E-78^{0}52'50.532"** East Longitude.

SCHEDULE

District - Chhindwara **Tehsil. - Parasia**
Forest Division - East Chhindwara Division (T) **Forest Range - Chhindwara**

No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries	
		Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Futera-C	Futera	Pahad Chattan	257/3	1.92	North -	Artificial forest boundary Pillar No. 01 to 02
						East -	Artificial forest boundary Pillar No. 02 to 03
						South -	Artificial forest boundary Pillar No. 03 to 04
						West -	Artificial forest boundary Pillar No. 04 to 01
				Total	1.92		

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In Accordance with the condition laid down in Ministry of Environment, Forest and Climet change, Govt. of India's order no. 6MPB-30/2015-BHO/1246 dated 05.11.2015 and in lieu of 1.92 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Dehri Tank Project of Executive Engineer Irrigation the above mentioned Non Forest Land of 1.92 hectare Transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department order No.06/A-19(3)/2013-14 dated 30.12.2013 of Collector Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation.

2. **Details of other Resoans -** Nil

(B) The khasra Wise details of recorded right on the above land as per report of (Certificated) of Tahsildar-Parasia, District-Chhindwara are as under:-

1. **Individuals Right** - There are no individual rights on the said land.
2. **Communities Rights** - There are no communities rights on the said land.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ–25–16/2016/10–3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा–29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड 23^{0}7'48.06" से 23^{0}7'55.65" उत्तर अक्षांश तथा 75^{0}47'28.42" से 75^{0}47'33.86" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

:: अनुसूची ::

जिला – उज्जैन तहसील – उज्जैन
वनमण्डल – उज्जैन वन परिक्षेत्र – उज्जैन

क्रमांक	प्रस्तावित वनखंड का नाम	वनखंड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं	
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे0 में)		
1	2	3	4	5	6	7	
1	गोयला खुर्द	ग्राम गोयला खुर्द	गैर वन भूमि	147/1 147/3	0.794 1.247	उत्तर –	मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक की कृत्रिम वन सीमा।
						पूर्व –	मुनारा क्रमांक 02 से 03 तक की कृत्रिम वन सीमा।
						दक्षिण –	मुनारा क्रमांक 03 से 04 तक की कृत्रिम वन सीमा एवं क्षिप्रा नदी
						पश्चिम –	मुनारा क्रमांक 04 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग	2.041		

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :–

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8B/43/2003-FCW/2569 दिनांक 19.11.2003 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, उज्जैन की स्वीकृत परियोजना पंचक्रोशी मार्ग सह रिंग रोड निर्माण में परिक्षेत्र उज्जैन के आरक्षित वनखण्ड नौलखी की प्रभावित 2.041 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त ग्राम गोयला खुर्द तहसील उज्जैन की कुल 2.041 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 2.041 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर उज्जैन के आदेश क्रमांक 8424 दिनांक 13.10.2003 से हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :— निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, तहसील उज्जैन जिला उज्जैन के प्रतिवेदन क्रमांक 4 दिनांक 02.01.2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

1. व्यक्तिगत अधिकार :— निरंक
2. सामुदायिक अधिकार :— निरंक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2016

एफ-25-16-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-16-2016-दस-3, दिनांक 12 अप्रैल 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 12th April 2016

No. F-25-16/2016/10-3 :: in exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between **23°7'48.06"** to **23°7'55.65"** Northd Latitude and **75°47'28.42"** to **75°47'33.86"** East Longitude.

SCHEDULE

District - Ujjain **Tehsil. - Ujjain**
Forest Division - Ujjain **Forest Range - Ujjain**

No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries	
		Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Goyala khurd	Village Goyala Khurd	Non Forest Land	147/1 147/3	0.794 1.247	North -	Artificial forest boundary Pillar No. 01 to 02
						East -	Artificial forest boundary Pillar No. 02 to 03
						South -	Artificial forest boundary Pillar No. 03 to 04 & River Shipra
				Total	2.041	West -	Artificial forest boundary Pillar No. 04 to 01

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In Accordance with the condition laid down in Ministry of Environment, Forest and Climet change, Govt. of India's order no. 8B/43/2003-FCW/2569 dated 19.11.2003 and in lieu of 2.041 hectare of affected forest land of Range Ujjain Reserved Forest Block Noulakhi under the sanctioned project of Panchcroshi Marg Saha Ring Road Nirman of Executive Engineer Public Works Department, Ujjain, the above mentioned Non Forest Land of 2.041 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No.8424 dated 13.10.2003 of Collector District Ujjain for the purpose of compensatory afforestation.

Details of other Resoans - Nil

The khasra Wise details of recorded right on the above land as per report No. 4 Dated 02-01-2016 of Tahsildar, Tehsil Ujjain, District-Ujjain are as under:-

1. **Individuals Right** - Nil
2. **Communities Rights** - Nil

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ–25–17/2016/10–3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा–29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड उत्तर अक्षांश N-22^{0}10'14.247" से 22^{0}10'33.961" तथा E-78^{0}52'54.679" से E-78^{0}53'14.960" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

:: अनुसूची ::

जिला – छिन्दवाड़ा तहसील – परासिया
वनमण्डल – पूर्व छिन्दवाड़ा वनमंडल (क्षेत्रीय) वन परिक्षेत्र – छिन्दवाड़ा

क्रमांक	प्रस्तावित वनखंड का नाम	वनखंड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं	
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे0 में)		
1	2	3	4	5	6	7	
1	फुटेरा "अ"	फुटेरा	पहाड़ चट्टान	257/2	23.092	उत्तर –	मुनारा क्रमांक 01 से 03 तक की कृत्रिम वन सीमा।
						पूर्व –	मुनारा क्रमांक 03 से 07 तक की कृत्रिम वन सीमा।
						दक्षिण –	मुनारा क्रमांक 07 से 09 तक की कृत्रिम वन सीमा।
						पश्चिम –	मुनारा क्रमांक 09 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग	23.092		

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक F.No. 8-31/2008-FC दिनांक 29.10.2008 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, द.पू.म. रेल्वे छिन्दवाड़ा की स्वीकृत परियोजना नागपुर गेज परिवर्तन परियोजना में प्रभावित 127.174 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 23.092 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 23.092 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक 02/अ–19(3)/2007–08 दिनांक 11.05.2009 से हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :– निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार परासिया, जिला छिन्दवाड़ा के प्रमाण–पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:–

1. व्यक्तिगत अधिकार :– उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार :– उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2016

एफ-25-16-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-16-2016-दस-3, दिनांक 12 अप्रैल 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 12th April 2016

No. F-25-16/2016/10-3 :: in exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between North Latitude N-22°10'14.247" to 22°10'33.961" & E-78°52'54.679" to E-78°53'14.960" East Longitude.

SCHEDULE

District - Chhindwara Tehsil. - Parasia
Forest Division - East Chhindwara Division (T) Forest Range - Chhindwara

No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries	
		Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Futera- A	Futera	Pahad Chattan	257/2	23.092	North -	Artificial forest boundary Pillar No. 01 to 03
						East -	Artificial forest boundary Pillar No. 03 to 07
						South -	Artificial forest boundary Pillar No. 07 to 09
						West -	Artificial forest boundary Pillar No. 09 to 01
				Total	23.092		

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In Accordance with the condition laid down in Ministry of Environment, Forest and Climet change, Govt. of India's order no. F.No. 8-31/2008-FC dated 29.10.2008 and in lieu of 127.174 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Chhindwara to nagpur Gauge Conversion Project of Executive Engineer S.E.C. Railway Chhindwara the mentioned Non Forest Land of 104.082 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department order No.02/A-19(3)/2007-08 dated 11.05.2009 of Collector Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation.

2. **Details of other Resoans -** Nil

(B) The khasra Wise details of recorded right on the above land as per report of (Certificated) of Tahsildar-Parasia, District-Chhindwara are as under:-

1. **Individuals Right** - There are no individual rights on the said land.
2. **Communities Rights** - There are no communities rights on the said land.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ–25–17/2016/10–3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा–29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड उत्तर अक्षांश N-22°04'42.692" से N-22°05'13.658" तथा E-79°02'51.655" से E-79°03'48.778" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

:: अनुसूची ::

जिला – छिन्दवाड़ा तहसील – छिन्दवाड़ा
वनमण्डल – पूर्व छिन्दवाड़ा वनमंडल (क्षेत्रीय) वन परिक्षेत्र – छिन्दवाड़ा

क्रमांक	प्रस्तावित वनखंड का नाम	वनखंड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे0 में)	
1	2	3	4	5	6	7
1	चन्हियाखुर्द	चन्हियाखुर्द	छोटे झाड़ का जंगल	433	2.225	उत्तर – मुनारा क्रमांक 30 से 10 तक की कृत्रिम वन सीमा।
			छोटे झाड़ का जंगल	414/2	4.047	
			छोटे झाड़ का जंगल	414/3	4.047	पूर्व – मुनारा क्रमांक 10 से 18 तक की कृत्रिम वन सीमा।
			पहाड़ चट्टान	434	23.322	
			पहाड़ चट्टान	443/1	9.144	दक्षिण – मुनारा क्रमांक 18 से 25 तक की कृत्रिम वन सीमा।
			पहाड़ चट्टान	443/2	16.039	
			पहाड़ चट्टान	414/1	17.740	पश्चिम – मुनारा क्रमांक 25 से 30 तक की कृत्रिम वन सीमा।
			पहाड़ चट्टान	461	27.518	
				योग	104.082	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के आदेश क्रमांक F.No. 8-31/2008-FC दिनांक 29.10.2008 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, द.पू.म. रेल्वे छिन्दवाड़ा की स्वीकृत परियोजना नागपुर गेज परिवर्तन परियोजना में प्रभावित 127.174 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 104.082 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 104.082 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक 01/अ–19(3)/2007–08 दिनांक 11.05.2009 एवं 22.08.2909 से हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :— निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार परासिया, जिला छिन्दवाड़ा के प्रमाण—पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः—

1. व्यक्तिगत अधिकार :— उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

2. सामुदायिक अधिकार :— उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2016

एफ-25-17-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-17-2016-दस-3, दिनांक 12 अप्रैल 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 12th April 2016

No. F-25-16/2016/10-3 :: in exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between North Latitude N-$22^0$04'42.692" to $22^0$05'13.658" & E-$79^0$02'51.655" to E-$79^0$03'48.778" East Longitude.

SCHEDULE

District - Chhindwara Tehsil. - Chhindwara
Forest Division - East Chhindwara Division (T) Forest Range - Chhindwara

No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries	
		Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Chanhiya khurd	Chanhiya khurd	Chhote Jhad ka jangle	433	2.225	North -	Artificial forest boundary Pillar No. 30 to 10
			Chhote Jhad ka jangle	414/2	4.047		
			Chhote Jhad ka jangle	414/3	4.047	East -	Artificial forest boundary Pillar No. 10 to 18
			Pahad Chattan	434	23.322		
			Pahad Chattan	443/1	9.144	South -	Artificial forest boundary Pillar No. 18 to 25
			Pahad Chattan	443/2	16.039		
			Pahad Chattan	414/1	17.740	West -	Artificial forest boundary Pillar No. 25 to 30
			Pahad Chattan	461	27.518		
				Total	104.082		

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In Accordance with the condition laid down in Ministry of Environment, Forest and Climet change, Govt. of India's order no. F.No. 8-31/2008-FC dated 29.10.2008 and in lieu of 127.174 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Chhindwara to nagpur Gauge Conversion Project of Executive Engineer S.E.C. Railway Chhindwara the mentioned Non Forest Land of 104.082 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department order No.01/A-19(3)/2007-08 dated 11.05.2009 & 22.08.2009 of Collector Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation.

2. **Details of other Resoans -** Nil

(B) The khasra Wise details of recorded right on the above land as per report of (Certificated) of Tahsildar-Chhindwara, District-Chhindwara are as under:-

1. **Individuals Right** - There are no individual rights on the said land.
2. **Communities Rights** - There are no communities rights on the said land.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अलीराजपुर, दिनांक 30 मार्च 2016

प्र. क्र. 01-अ-82-2015-16.—

चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत् होता है कि इसके संलग्न अनुसूचि के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि में स्थित केवल परिसम्पत्तियों (भूमियॉ नहीं) अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

अतः भू-अर्जन ,पुनर्वास और पुनस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमियो पर स्थित परिसम्पत्तियों के संबंध में उक्त धारा 11(1) की उपधारा, (3) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची 01

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
1	2	3	4	5	6
अलीराजपुर	अलीराजपुर	हरसवाट	सर्वे कमांक 80, 157 में स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन (भूमियों का नहीं)	डिप्टी चीफ इंन्जीनियर (निर्माण) वेस्टर्न रेलवे, (बड़ौदा)	छोटा उदयपुर – धार हेतु रेलवे लाईन

उक्त भूमि पर स्थित परिसंपत्तियों का अर्जन है, भूमि का नही।

अनुसूची 01

स0 क0	कृषक का नाम	खसरा कमांक	कुल रकबा (हेक्टेयर)	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा
1	2	3	4	5
1	चन्दरसिंह पिता वेस्ता एवं भूरली पति वेस्ता	80	1.05	सर्वे कमांक में स्थित परिसम्पत्तिया(भूमियॉ नहीं)
2	भुवान,कुवरसिंह पिता अमरसिंह	157	0.42	सर्वे कमांक में स्थित परिसम्पत्तिया(भूमियॉ नहीं)
	योग :—	02	1.47	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शेखर वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 2 अप्रैल 2016

क्र. 431-भू-अर्जन-री-1-16-17.—

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला—झाबुआ की नहरों के लिये भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है।

अतएव राज्य सरकार को **ग्राम सागड़िया**, तहसील पेटलावद, जिला—झाबुआ के खातेदारों की निजी भूमि से नहरों हेतु भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतित होता है, कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना के संलग्न सूची में वर्णित है, उपयोग के लिये अधिकारों का अर्जन किया जावें।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट्स (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आश्य की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि कें हितबद्ध है, उस तारीख को जिसकों उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, 30 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन एवं डक्टि बिछाये जाने के संबंध में सक्षम भू—अर्जन अधिकारी, तहसील पेटलावद, जिला—झाबुआ (म.प्र.) को लिखित में भेज सकेगा।

—: अनुसूची :—

क्रं.	जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हें.में)
1	झाबुआ	पेटलावद	सागड़िया/26	737	0.010
2				738	0.020
3				736	0.010
4				735	0.030
5				734	0.048
6				742	0.011
7				637/1	0.006
8				641	0.068
9				642	0.019
10				644	0.001

क्रं.	जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हें.में)
11	झाबुआ	पेटलावद	सागड़िया/26	665	0.034
12				648	0.038
13				649	0.028
14				650	0.026
15				651	0.024
16				653	0.024
17				666	0.004
18				667	0.013
19				604	0.130
20				603	0.036
21				588/1	0.029
22				390/2	0.068
23				588/2	0.029
24				580	0.005
25				581	0.024
26				385/2/1	0.004
27				582	0.027
28				384	0.010
29				371	0.015
30				553/1	0.018
31				553/2	0.010
32				553/3	0.002
33				553/4	0.002
34				560/2	0.060
35				549/1	0.006
36				549/2	0.006
37				546/1	0.002
38				546/3	0.002
39				546/5	0.002
40				542/1	0.044
41				540	0.019
42				372	0.013
43				387/2	0.010

क्रं.	जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हें.में)
44	झाबुआ	पेटलावद	सागड़िया/26	263/3	0.028
45				263/1	0.010
46				263/5	0.020
47				263/2	0.010
48				263/4	0.032
49				258	0.028
50				247/1	0.024
51				248	0.022
52				249	0.004
				कुल योग :–	**1.165**

क्र.-433-भू-अर्जन-री-1-16-17.—

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला–झाबुआ की नहरों के लिये भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है।

अतएव राज्य सरकार को **ग्राम अनन्तखेड़ी**, तहसील पेटलावद, जिला–झाबुआ के खातेदारों की निजी भूमि से नहरों हेतु भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतित होता है, कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना के संलग्न सूची में वर्णित है, उपयोग के लिये अधिकारों का अर्जन किया जावें।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट्स (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आश्य की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि कें हितबद्ध है, उस तारीख को जिसकों उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, 30 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन एवं डक्टि बिछाये जाने के संबंध में सक्षम भू–अर्जन अधिकारी, तहसील पेटलावद, जिला–झाबुआ (म.प्र.) को लिखित में भेज सकेगा।

—: अनुसूची :—

क्र.	जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हें.में)
1	झाबुआ	पेटलावद	अनन्तखेड़ी/26	848/1	0.046
2				843	0.034
3				844	0.003
4				842	0.014
5				825	0.023
6				820/1	0.010
7				820/2	0.010
8				820/3	0.010
9				820/4	0.010
10				820/5	0.010
11				820/6	0.010
12				820/7	0.010
13				819	0.010
14				809	0.020
15				808	0.015
16				806	0.035
17				805	0.004
18				729/1	0.015
19				729/2	0.010
20				729/4	0.010
21				729/8	0.015
22				729/9	0.015
23				729/10	0.010
24				725	0.003
25				731	0.023
26				733	0.033
27				724/1	0.065
28				724/2	0.045
29				419/1	0.041
30				419/2	0.036
31				418	0.015
32				305/1	0.020
33				413/2	0.030
34				304/2	0.030
				कुल योग :—	**0.690**

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुणा गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मन्दसौर, दिनांक 16 मार्च 2016

क्र. 780-रीडर-2016-प्र. क्र. 08-अ-82-15-16.—

चूंकि म. प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय निति अधिसूचना दिनांक 12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसरंचनाओं के लिये समय - समय पर निजी भूमि की आवश्यक्ता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग / उपक्रम कार्यपालन यंत्री गांधीसागर बांध संभाग गांधासागर की भानपुरा वाँयी तट नहर योजना के लिये ग्राम **दुधली** तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यक्ता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी / भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारुप " ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय कंडिका 11(1) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधी में अपनी आपत्ती अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधी के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा ओर ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण -

जिला - मन्दसौर तहसील - भानपुरा ग्राम - दुधली क्षेत्रफल - रकबा 3.651है.

अनुसूची (1)

स. क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा(है.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
1	दुधली	3.651	0.000	3.651
	योग	**3.651**	**0.000**	**3.651**

अनुसूची (2)

भानपुरा नहर परियोजना यूनिट- 2

स. क्रं.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3		5	6	7
1	बालाराम फुलचंद पिता मांगु चमार नि. ग्राम	130	1.000	0.235	0.000	0.235
2	घासीलाल रतनलाल पिता उदा बंजारा चमार	128	1.210	0.285	0.000	0.285

3	कस्तुरीबाई पति गणपत बंजारा नि. ग्राम	125/3	1.120	0.130	0.000	0.130
4	शोभाराम पिता काना गुर्जर नि. सानड़ा	123	1.240	0.290	0.000	0.290
5	नोला घुरा रग्गा जयराम प्रभुलाल पिता लालु पारीबाई बेवा लालु बंजारा चमार गोरधनपुरा	122	0.390	0.095	0.000	0.095
		108	0.420	0.060	0.000	0.060
6	कजोड़ा रोडु नन्दुबाई पिता बालु व जानीबाई बेवा बालु बंजारा चमार नि. ग्राम	121	0.990	0.035	0.000	0.035
7	पुरीलाल मदनलाल पिता मुकंदलाल व रतनीबाई बेवा मुकुन्दलाल कुम्हार नि. ग्राम	101	1.860	0.053	0.000	0.053
8	मांगीलाल पिता रुपलाल मोहनलाल पिता रुपलाल कुम्हार नि. सानड़ा	102	1.870	0.480	0.000	0.480
9	नेपाल पिता धन्नालाल भुलीबाई बेवा धन्नालाल कुम्हार नि. सानड़ा	97	1.860	0.086	0.000	0.086
10	भागीरथ बसंतीलाल प्रभुलाल मनोहरलाल पुरीबाई केशरबाई सोहनबाई बसंतीबाई पिता कंवरलाल व पुरीलाल पिता मुकुनलाल पालकबाई पूरीलाल रतनीबाई बेवा मुकुनलाल गोपाल पिता धन्नालाल ना.बा. पालन कर्ता भुलीबाई व भुलीबाई बेवा धन्नालाल व मांगीलाल सोहनबाई पिता रुपलाल कुम्हार नि. सानड़ां	99	0.050	0.020	0.000	0.020
11	शिवलाल द.पु. शालीगराम भील नि. कालाकोट	35	2.100	0.319	0.000	0.319
12	चैनसिंह पिता तुफानसिंह अ.पा.क. सज्जनसिंह पिता सुल्तानसिंह राजपुत नि. गोरधनपुरा मजरा रामनगर	33	1.570	0.034	0.000	0.034
13	कान्हा उर्फ कन्हैयालाल पिता पन्ना अहीर नि. कालाकोट	30/2	1.310	0.400	0.000	0.400
14	जगदीश पिता प्रहलाद व बाबुलाल पिता प्रहलाल ना.बा. अ.पा.क. काका जीतमल पिता नारायण व जीतमल पिता नारायण नि. कालाकोट बजरंग पिता रामलाल धाकड़ नि. नियामतखेडी तह. रामगंजमंडी	29/2	0.600	0.250	0.000	0.250
15	गिरीराजसिंह पिता शंभुसिंह राजपुत नि. सानड़ा	27/1	0.960	0.380	0.000	0.380
16	कालु पिता चम्पा धाकड़ नि. कालाकोट	24	0.430	0.120	0.000	0.120
		22	1.630	0.355	0.000	0.355
17	रामचन्द्र पिता सेवा कालु पिता चम्पा विमलचन्द्र पिता गुलाबचन्द्र धाकड़ नि. कालाकोट	23	0.320	0.024	0.000	0.024
	योग		**20.930**	**3.651**	**0.000**	**3.651**

नोट :—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 786-रीडर-2016-प्र. क्र. 09-अ-82-15-16.—

चूंकि म. प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय निति अधिसूचना दिनांक 12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसरंचनाओं के लिये समय - समय पर निजी भूमि की आवश्यक्ता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग / उपक्रम कार्यपालन यंत्री गांधीसागर बांध संभाग गांधासागर की भानपुरा वॉयी तट नहर योजना के लिये ग्राम **बडोदिया** तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यक्ता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी / भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारुप " ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय कंडिका 11(1) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधी में अपनी आपत्ती अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधी के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा ओर ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण -

जिला - मन्दसौर तहसील - भानपुरा ग्राम - बडोदिया क्षेत्रफल - रकबा 2.430है.

अनुसूची (1)

स. क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा(है.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
1	बडोदिया	2.430	0.000	2.430
	योग	**2.430**	**0.000**	**2.430**

अनुसूची (2)

भानपुरा नहर परियोजना यूनिट-2

स. क्रं.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	[illegible]	[illegible]	6	7
1	करणसिंह पिता भीमसिंह राजपुत नि. ग्राम	58पै.	1.500	0.110	0.000	0.110
2	भगवानसिंह पिता भीमसिंह राजपुत नि. ग्राम	58पै.	1.068	0.057	0.000	0.057

3	इन्दरसिंह पिता केशरसिंह सो. रा. नि. ग्राम	58पै.	1.500	0.158	0.000	0.158
4	सज्जनसिंह पिता रामसिंह राजपुत नि. ग्राम	53	1.411	0.210	0.000	0.210
5	भुवानीसिंह पिता केशरसिंह राजपुत नि. ग्राम	47पै.	1.500	0.325	0.000	0.325
6	लाभुबाई पति प्रभुसिंह लीलाबाई पति बालुसिंह राजपुत नि. बडोदिया	31/6/1	0.700	0.210	0.000	0.210
7	बनेसिंह पिता नाहरसिंह राजपुत नि. बडोदिया	31/1पै.	2.000	0.205	0.000	0.205
8	भारतसिंह पिता बहादुरसिंह राजपुत नि. ग्राम	31/1पै.	1.300	0.300	0.000	0.300
9	उदेसिंह पिता केशरसिंह राजपुत नि. ग्राम	31/2पै.	1.035	0.245	0.000	0.245
10	वरजीबाई पति देवा चमार नि. दुधली	24पै.	1.000	0.160	0.000	0.160
11	शम्भुसिंह पिता बापुसिंह राजपुत नि. ग्राम	21पै.	1.500	0.450	0.000	0.450
	योग		**14.514**	**2.430**	**0.000**	**2.430**

नोट :- भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण भू.अर्जन अधिकारी-उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 792-रीडर-2016-प्र. क्र. 10-अ-82-15-16.—

चूंकि म. प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय निति अधिसूचना दिनांक 12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसरंचनाओं के लिये समय - समय पर निजी भूमि की आवश्यक्ता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग / उपक्रम कार्यपालन यंत्री गांधीसागर बांध संभाग गांधासागर की भानपुरा वॉयी तट नहर योजना के लिये ग्राम **गोर्वधनपुरा** तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यक्ता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी / भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारुप " ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय कंडिका 11(1) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधी में अपनी आपत्ती अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधी के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा ओर ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण -

जिला - मन्दसौर तहसील - भानपुरा ग्राम- गोर्वधनपुरा क्षेत्रफल - रकबा 0.415है.

अनुसूची (1)

स. क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा(है.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
1	गोर्वधनपुरा	0.415	0.000	0.415
	योग	**0.415**	**0.000**	**0.415**

अनुसूची (2)

भानपुरा नहर परियोजना यूनिट-2

स. क्रं.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	प्रकाश पिता घासी व दाखीबाई पति प्रकाश चमार निवासी दुधली	87/1	1.000	0.140	0.000	0.140
2.	वरदुबाई पति देवा चमार निवासी दुधली	87/2	1.000	0.275	0.000	0.275
	योग		**2.000**	**0.415**	**0.000**	**0.415**

नोट :- भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण भू.अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 798-रीडर-2016-प्र. क्र. 11-अ-82-15-16.—

चूंकि म. प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय निति अधिसूचना दिनांक 12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसरंचनाओं के लिये समय - समय पर निजी भूमि की आवश्यक्ता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग / उपक्रम कार्यपालन यंत्री गांधीसागर बांध संभाग गांधासागर की भानपुरा वाँयी तट नहर योजना के लिये ग्राम **आमझरी** तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यक्ता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी / भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारुप " ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय कंडिका 11(1) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधी में अपनी आपत्ती अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधी के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा ओर ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण -

जिला - मन्दसौर तहसील - भानपुरा ग्राम आमझरी क्षेत्रफल - रकबा 1.418है.

अनुसूची (1)

स. क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा(है.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
1	आमझरी	1.418	0.000	1.418
	योग	**1.418**	**0.000**	**1.418**

अनुसूची (2)

भानपुरा नहर परियोजना यूनिट-2

स. क्रं.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	कंवरलाल पिता प्रभुलाल कुल्मी नि. आमझरी	234	1.120	0.250	0.000	0.250
2	राधेश्याम पिता प्रभुलाल कुल्मी नि. आमझरी	233	0.700	0.025	0.000	0.025
3	नाथुलाल पिता भेरुलाल कुल्मी नि. आमझरी	232	0.130	0.010	0.000	0.010
4	राधेश्याम गोरधनलाल पिता गंगाराम व भेरुलाल बालु पिता नन्दराम इश्वरचंद राकेश पिता नन्दराम राजुबाई सीताबाई पिता नन्दराम नाई नि. सानड़ा	228	4.390	0.290	0.000	0.290
		187	0.650	0.068	0.000	0.068
5	लीलाबाई पति राधेश्याम नाई निवासी सानड़ा	229	0.220	0.220	0.000	0.220
		186	0.060	0.060	0.000	0.060
		230	0.320	0.015	0.000	0.015
6	रतनलाल जगन्नाथ रामनिवास राधेस्याम पिता कालुराम हुड़ीबाई बेवा कालुराम नि. आमझरी	188	1.650	0.480	0.000	0.480
	योग		**9.240**	**1.418**	**0.000**	**1.418**

नोट :- भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण भू.अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 804-रीडर-2016-प्र. क्र. 12-अ-82-15-16.—

चूंकि म. प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय निति अधिसूचना दिनांक 12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसरंचनाओं के लिये समय - समय पर निजी भूमि की आवश्यक्ता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग / उपक्रम कार्यपालन यंत्री गांधीसागर बांध संभाग गांधासागर की भानपुरा वाँयी तट नहर योजना के लिये ग्राम **सानड़ा** तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यक्ता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी / भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारुप " ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय कंडिका 11(1) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधी में अपनी आपत्ती अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधी के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा ओर ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण -

जिला - मन्दसौर तहसील - भानपुरा ग्राम - सानड़ा क्षेत्रफल - रकबा 2.182है.

अनुसूची (1)

स. क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा(है.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
1	सानड़ा	2.182	0.000	2.182
	योग	**2.182**	**0.000**	**2.182**

अनुसूची (2)

भानपुरा नहर परियोजना यूनिट-2

स. क्रं.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	लीलाबाई पति उकारलाल भट्ट नि. ग्राम	243/2	1.712	0.143	0.000	0.143
2	मोडीराम, रतिराम पिता गोर्वधन व घीसीबाई बेवा गोर्वधन बागरी नि. सानड़ा	244	1.740	0.182	0.000	0.182

3	रतनलाल मांगीलाल प्रभुलाल पिता रामा चमार नि. सानड़ा	241/1	0.170	0.024	0.000	0.024
		240	0.330	0.028	0.000	0.028
4	राजेन्द्र प्रसाद पिता किशनलाल मीणा नि. सानड़ा	241/2/1	0.460	0.068	0.000	0.068
5	हीरालाल पिता किशनलाल मीणा नि. सानड़ा	241/2/2	0.450	0.068	0.000	0.068
6	मोहम्मद हुसैन कमरुद्दीन जन्नतबी अनिसाबी पिता नूरमोहम्मद जैतुनाबाई बेवा नूरमोहम्मद मुसलमान नि. सानड़ा	239/3	0.470	0.042	0.000	0.042
		239/2	0.300	0.042	0.000	0.042
7	भगतराम पिता नारायण गुर्जर निवासी सानड़ा	239/1	0.200	0.030	0.000	0.030
		238/2	0.100	0.020	0.000	0.020
8	गोपाल पिता बालु गुर्जर नि. सानड़ा	238/1	0.300	0.075	0.000	0.075
9	रामगोपाल, गंगाराम कंचनबाई मनोहर पिता बालु जाति गुर्जर नि. सानड़ा	229/3	0.750	0.130	0.000	0.130
10	कारुलाल केदार मुरलीधर पिता हेमराज सुहागबाई बेवा हेमराज गुर्जर नि. सानड़ा	229/1	0.760	0.060	0.000	0.060
11	रमेश पिता जगन्नाथ जाति कलाल नि. सानड़ा	230	1.730	0.350	0.000	0.350
12	भागीरथ पिता लीम्बा व धापुबाई बेवा मांगीलाल गुर्जर नि. सानड़ा	228	0.980	0.100	0.000	0.100
13	शंकरलाल पिता केशुराम गुर्जर नि. सानड़ा	225/2	0.440	0.070	0.000	0.070
14	मदनलाल पिता रतनलाल नारायणीबाई बेवा रतनलाल गुर्जर नि. सानड़ा	224	0.990	0.070	0.000	0.070
15	रामप्रसाद रामदयाल पिता रामलाल व जगदीश बापुलाल रामकुवारीबाई पिता मोहनलाल व कस्तुरीबाई बेवा मोहनलाल व छगनलाल पिता नाथु गुर्जर निवासी सानड़ा	226	0.980	0.070	0.000	0.070
16	घासीलाल नन्दकिशोर श्यामलाल फुलबाई सोहनबाई गुड्डीबाई पिता कन्हैयालाल गुर्जर निवासी सानड़ा	222	0.980	0.140	0.000	0.140
		218/1	0.610	0.100	0.000	0.100
17	मदन झमकुबाई धापुबाई विद्याबाई रोशनबाई संतोषबाई पिता रतन व नारायणीबाई बेवा रतन व भागीरथ पिता लिम्बा गुर्जर निवासी सानड़ा	218/2	0.810	0.130	0.000	0.130
18	दौलतराम पिता नारायण व द्वारकीबाई पति दौलतराम बागरी निवासी सानड़ा	49	0.580	0.052	0.000	0.052
19	नन्दलाल उदेलाल रमेश कंवरलाल केशरीलाल कैलाश गोरखनाथ पिता भंवरनाथ व वरजीबाई बेवा भंवरनाथ बाबा नि. सानड़ा	4	0.440	0.168	0.000	0.168
20	जगन्नाथ पिता नारायण व द्वारकीबाई पति जगन्नाथ बागरी निवासी सानड़ा	6	0.340	0.020	0.000	0.020
	योग		16.622	2.182	0.000	2.182

नोट :—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 810-रीडर-2016-प्र. क्र. 13-अ-82-15-16.—

चूंकि म. प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय निति अधिसूचना दिनांक 12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसरंचनाओं के लिये समय - समय पर निजी भूमि की आवश्यक्ता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग / उपक्रम कार्यपालन यंत्री गांधीसागर बांध संभाग गांधासागर की भानपुरा वॉंयी तट नहर योजना के लिये ग्राम **कागल्याखेडी** तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यक्ता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी / भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारुप " ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय कंडिका 11(1) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधी में अपनी आपत्ती अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधी के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा ओर ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण -

जिला - मन्दसौर तहसील - भानपुरा ग्राम - कागल्याखेडी क्षेत्रफल - रकबा 0.125है.

अनुसूची (1)

स. क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा(है.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
1	कागल्याखेडी	0.125	0.000	0.125
	योग	**0.125**	**0.000**	**0.125**

अनुसूची (2)

भानपुरा नहर परियोजना यूनिट-2

स. क्रं.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	रामगोपाल गंगाराम पिता बालु देउबाई बेवा बालु गुर्जर नि. ग्राम	78/1	0.350	0.125	0.000	0.125
	योग		**0.350**	**0.125**	**0.000**	**0.125**

नोट :—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 816-रीडर-2016-प्र. क्र. 14-अ-82-15-16.—

चूंकि म. प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय निति अधिसूचना दिनांक 12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसरंचनाओं के लिये समय - समय पर निजी भूमि की आवश्यक्ता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग / उपक्रम कार्यपालन यंत्री गांधीसागर बांध संभाग गांधासागर की भानपुरा वॉयी तट नहर योजना के लिये ग्राम **ढाबलामाधोसिंह** तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यक्ता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी / भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारुप " ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय कंडिका 11(1) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधी में अपनी आपत्ती अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधी के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा ओर ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण -

जिला - मन्दसौर तहसील - भानपुरा ग्राम - ढाबलामाधोसिंह क्षेत्रफल - रकबा 4.712है.

अनुसूची (1)

स. क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा(है.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
1	ढाबलामाधोसिंह	4.712	0.000	4.712
	योग	**4.692**	**0.000**	**4.692**

अनुसूची (2)

भानपुरा नहर परियोजना यूनिट-2

स. क्रं.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3			6	
1	मनोहर हरिसिंह रमेश पिता नाथु बंजारा	66/1/1/1	1.013	0.250	0.000	0.250

2	हजारी पिता गब्बा हेमा जगदीश पिता हरलाल व दल्ला पिता मांगीलाल पुरीबाई बेवा मांगीलाल दयाराम पिता फरसा रुपवती पिता फरसा बंजारा चमार	64	2.400	0.275	0.000	0.275
3	राखीबाई पति गोदुराम बंजारा नि. ग्राम	63	1.243	0.275	0.000	0.275
4	उदेराम पिता गोरीलाल बंजारा नि. ग्राम	66/1/1/2	0.418	0.070	0.000	0.070
5	धन्ना पिता केशा बंजारा चमार नि. ग्राम	102	1.013	0.275	0.000	0.275
6	रेशमबाई पति जगदीश चमार नि. ग्राम	58/3	1.200	0.250	0.000	0.250
7	नैनसुख पिता कन्हैयालाल बंजारा नि. ग्राम	172	0.462	0.155	0.000	0.155
8	अमरलाल रमेश सजनबाई पिता मला व कजोड़ीबाई बंजारा नि. ग्राम	171	0.434	0.155	0.000	0.155
9	दुर्गा पिता देवा बंजारा नि. ग्राम	170	0.502	0.070	0.000	0.070
10	सुरज पिता नग्गा बंजारा चमार नि. ग्राम	182/4	1.000	0.112	0.000	0.112
11	नैनीबाई पति मदनलाल उर्फ पप्पु बंजारा चमार नि. ग्राम	182/3/2	1.000	0.220	0.000	0.220
12	गोरा पिता मानसिंह बंजारा चमार नि. ग्राम	167/3	1.216	0.035	0.000	0.035
13	अमरसिंह पिता मला बंजारा चमार नि. ग्राम	165	1.195	0.015	0.000	0.015
14	विष्णु पिता राधेश्याम महाजन नि. ग्राम	166/1/2	1.349	0.080	0.000	0.080
15	प्यारीबाई बेवा खेता व विजयसिंह पिता खेता बंजारा नि. ग्राम	164	1.440	0.310	0.000	0.310
16	सलाबाई पति लक्ष्मीचंद बंजारा नि. ग्राम	119/2	0.486	0.270	0.000	0.270
17	योगेन्द्रसिंह पिता महेन्द्रसिंह राजपुत नि. ग्राम	118/3	2.529	0.005	0.000	0.005
18	भुपेन्द्रसिंह पिता महेन्द्रसिंह राजपुत नि. ग्राम	118/2	0.914	0.450	0.000	0.450
19	चन्द्रकला पति नन्दकिशोर तेली	131/2/1	0.405	0.165	0.000	0.165
20	सोजी पिता उकारलाल बंजारा नि. केरा तलाई	131/2/5	1.011	0.235	0.000	0.235
21	गुजीबाई पति रतनलाल बंजारा नि. ग्राम	623/2	2.023	0.375	0.000	0.375
22	रामलाल पिता रतनलाल बंजारा नि. ग्राम	624/2/1	0.627	0.190	0.000	0.190
23	मोहनलाल पिता हेमराज कमलाबाई पति नारायण बंजारा नि. ग्राम	624/2पै.	0.627	0.205	0.000	0.205
24	जैसिंह मनसा मेम्बर जगदीश	136	0.418	0.005	0.000	0.005
25	उदा पिता भाना बंजारा	138	0.304	0.005	0.000	0.005
26	सुरेश पिता हीरालाल पाटीदार नि. ग्राम	625/2	1.011	0.080	0.000	0.080
27	विकास पिता रमेशचन्द्र पाटीदार	625/3	1.012	0.080	0.000	0.080
28	विनोद कुमार पिता प्रकाशचन्द्र पाटीदार नि. कागल्याखेडी	625/4	1.012	0.080	0.000	0.080
	योग		28.264	4.692	0.000	4.692

नोट :—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मन्दसौर, दिनांक 28 मार्च 2016

क्र. 897-2016-प्र. क्र. 01-अ-82-15-16.—

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में आक्याबीका तालाब योजना तहसील मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर की तालाब योजनान्तर्गत ग्राम आक्याबीका के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) के उल्लेखित है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम — आक्याबीका तहसील — मल्हारगढ़

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
1	नीजी भूमि	0.520 हे.	0.160 हे.	0.680 हे.
2	शासकीय पट्टेदारों की भूमि	2.040 हे.	0.880 हे	2.920 हे
३	कुल योग	2.560 हे.	1.040 हे.	3.600 हे.

आक्याबीका तालाब योजना

ग्राम—आक्याबीका, तहसील—मल्हारगढ़, जिला—मन्दसौर अनुसूची (2)

आक्याबीका तालाब योजना में आने वाली निजी भूमि का विवरण

सं. क्र.	प्रभावित कृषक का नामं	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	
1	जगदीशदास पिता किशनदास बैरागी	127/1	1.430	0.080	—	0.080
2	सोहनबाई पति दामोदार दास	136/1	0.320	0.090	—	0.090
3	कैलाशचन्द्र पिता भेरूलाल लोहर	132/1	0.550	0.050	—	0.050
4	दोलतराम पिता केशुराम	147/3	0.660	0.320	—	0.320
5	रामकुवर बेवा चुन्नीलाल, भागीरथ ,जमनालाल पिता चुन्नीलाल	132/2	0.950	0.140	—	0.140
6	प्रदीप पिता जादूलाल बलाई (शास.पटा.ग्रहिता)	125/2	0.500	0.220	0.280	0.500
7	बाबुलाल पिता किशनलाल चमार (शास.पटा.ग्रहिता)	142	0.650	0.250	0.400	0.650
8	रमेश पिता लक्ष्मण बलाई (शास.पटा.ग्रहिता)	156	0.410	0.410	—	0.410
9	कैलाश पिता लक्ष्मण बलाई (शास.पटा.ग्रहिता)	160	0.620	0.100	—	0.100
10	शांतिबाई बेवा मांगीलाल खटीक (शास.पटा.ग्रहिता)	161	0.510	0.310	0.200	0.510
11	कारूलाल पिता हिरालाल चमार (शास.पटा.ग्रहिता)	239/2	0.750	0.750	—	0.750
	कुल योग		7.350	2.720	0.880	3.600

भूमि के नक्शे का निरीक्षण भू अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी मल्हारगढ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 898-2016-प्र. क्र. 02-अ-82-2015-16.—

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में दौरवाडा तालाब योजना तहसील मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर की तालाब योजनान्तर्गत ग्राम दौरवाडा के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) के उल्लेखित है।

अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम — दौरवाडा		तहसील — मल्हारगढ़		
क्र	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	नीजी भूमि	1.35	1.91	3.26
	कुल योग	1.35	1.91	3.26

दौरवाडा तालाब योजना

ग्राम दौरवाडा, तहसील—मल्हारगढ़, जिला—मन्दसौर अनुसूची (2)

दौरवाडा तालाब योजना में आने वाली निजी भूमि का विवरण

सं. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	
1	कँवरबाई, बापूसिंह, जसवंतसिंह, हरिसिह पिता सज्जनसिंह	1856	0.24	0.22	—	0.22
2	भेरूसिंह, बापूसिंह, उदयसिंह, सज्जनसिंह पिता रूपसिंह काशीबाई बेवा रूपसिंह	1968	1.01	0.99	0.01	1.00
3	बापूसिंह पिता नाथूसिंह राजपूत	1901	0.37	0.07	—	0.07
4	मनोहरसिंह, हरिसिंह पिता उदयसिंह कंचनबाई बेवा उदयसिंह राजपूत	1900	0.37	0.05	—	0.05
5	भगतसिंह पिता भंवरसिंह जाति सो. राजपूत	1837/1 /मिन-2	0.35	0.02	—	0.02
6	मुकेश पिता रामलाल लीलाबाई पति मुकेश जाति मेहतर (शास. भूमि का पटटेदार)	1910/2	0.71	—	0.40	0.40
7	दिनेश पिता भुवान प्रेमलता पति दिनेश (शासकिय भूमि पर पटटेदार)	1988/1	0.50	—	0.50	0.50
8	राकेश पिता भुवान संगिताबाइ पति राकेश (शासकिय भूमि पर पटटेदार)	1988/3	0.50	—	0.50	0.50
9	राजेश पिता भुवान उशाबाई पति राजेश (शासकिय भूमि पर पटटेदार)	1988/4	0.50	—	0.50	0.50
	कुल योग		4.55	1.35	1.91	3.26

भूमि के नक्शे का निरीक्षण भू अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी मल्हारगढ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 899-2016-प्र. क्र. 03-अ-82-2015-16.—

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में दौरवाडा तालाब योजना तहसील मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर की तालाब योजनान्तर्गत ग्राम तलाब पिपलिया के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) के उल्लेखित है।

अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम — तलाव पिपलिया		तहसील — मल्हारगढ़		
क्र	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	नीजी भूमि	1.50	2.69	4.19
	कुल योग	1.50	2.69	4.19

दौरवाडा तालाब योजना
ग्राम– तलाव पिपलिया , तहसील–मल्हारगढ़, जिला–मन्दसौर अनुसूची (2)

दौरवाडा तालाब योजना में आने वाली निजी भूमि का विवरण

सं क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	अर्जुनसिंह पिता भंवरसिंह, सुमित्राबाई बेवा भंवरसिंह जाति सो. राजपुत	827 मिन–2	0.48	0.48	–	0.48
2	प्रेमसिंह पिता अमरसिंह जाति सो.राज.	792	0.59	–	0.16	0.16
3	डूंगरसिंह, मदनसिंह पिता मानसिंह	797 मिन–4	0.06	0.05	0.01	0.06
4	कमलसिंह पिता मदनसिंह, अर्जुनसिंह पिता डूंगरसिहं जाति सो.राजपुत	701	0.03	0.02	0.01	0.03
5	कमलसिंह पिता मदनसिंह जाति सो. राज.	700 मिन–2 703 मिन–2	0.15 0.08	0.15 0.08	– –	0.15 0.08
6	दिलीपसिंह ,नरेन्द्रसिंह पिता करणसिंह जाति सो.राजपुत	797 मिन–2	0.04	–	0.04	0.04
7	ईश्वरसिंह पिता गंगारामसिंह जाति सो. राजपुत	797 मिन–3 796 मिन–1	0.25 0.19	– 0.19	0.25 –	0.25 0.19
8	रामसिंह, ईश्वरसिंह, लक्ष्मणसिंह पिता गंगारामसिंह, प्रेमसिंह, रायसिंह पिता अमरसिहं , शीतलसिंह पिता उकारसिंह जाति सो. राजपुत	796 मिन–2 797 मिन–1	0.30 0.21	0.03 –	0.27 0.21	
9	मोड़सिंह पिता लालसिंह	798 मिन–1	0.07	–	0.07	
10	हरीसिंह पिता धासीसिंह जाति सो. राजपुत	794 मिन–1	0.37	–	0.17	
11	हरिसिंह पिता धांसीसिंह हि. 1/2 बापूसिंह, भोपालसिंह, उदयसिंह, जुझारसिह पिता लालसिंह जाति सो. राज.	793	1.24	–	0.30	
12	कारू पिता कान्हा व भारतीबाई पति कारू जाति चमार (शासकिय भूमि पर पटटेदार)	835 मिन–1	1.00	0.50	–	
13	नानूराम पिता मांगीलाल जाति भील (शासकिय भूमि पर पटटेदार)	835 मिन–2	0.50	–	0.40	
14	नारू पिता भेरथा जाति भील (शासकिय भूमि पर पटटेदार)	835 मिन–3	0.50	–	0.40	
15	बगदीबाई बेवा रामा जाति भील (शासकिय भूमि पर पटटेदार)	835 मिन–4	0.50	–	0.40	
	कुल योग		6.56	1.50	2.69	4.19

भूमि के नक्शे का निरीक्षण भू अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी मल्हारगढ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 900-2016-प्र. क्र. 04-अ-82-15-16.—

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में टिडवास से बडा हिगोरिया (व्हाया बरखेडा डागी) मार्ग के ग्राम बरखेडा डांगी तहसील मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर की मार्ग के ग्राम बरखेडा डांगी मार्ग योजनान्तर्गत ग्राम बरखेडा डांगी के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृष- ार, सर्वे क्रम.कवार विवरण अनुसूची (2) के उल्लेखित है।

अतः भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम – बरखेडा डांगी			तहसील – मल्हारगढ़	
स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा वर्ग मीटर में		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
1	नीजी भूमि	1680 वर्ग मी.	1470 वर्ग मी.	3150 वर्ग मी.
	कुल योग	1680 वर्ग मी.	1470 वर्ग मी.	3150 वर्ग मी.

टिड ा से बडा हिगोरिया (व्हाया बरखेडा डागी) मार्ग
ग्राम– बरखेडा डांगी, तहसील–मल्हारगढ़, जिला–मन्दसौर **अनुसूची (2)**

टिडवास से बडा हिगोरिया (व्हाया बरखेडा डागी मार्ग) में आने वाली निजी भूमि का विवरण

सं. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	
1	राधाबाई पति मूलचंद खटीक निवासी संजीत	730 पे. 2	0.040	–	270 वर्ग मीटर	270 वग मीटर
2	अमरसिंह,मोतीलाल, हीरालाल पिता पुरालाल जाति डांगी निवासी बरखेडा डा...	734/1	0.150	960 वर्ग मीटर	–	960 वर्ग मीटर
3	हिरालाल पिता रूपा जाति डांगी निवासी बरखेडा डागी	736	0.180	720 वर्ग मीटर	–	720 वर्ग मीटर
4	बालु पिता मांगीलाल जाति डांगी निवासी बरखेडा डागी	701 पे 2	0.180	–	720 वर्ग मीटर	720 वर्ग मीटर
5	नाथीबाई बेवा रामलाल , बालुराम, केलाश पिता रामलाल डांगी निवासी बरखेडा डागी	739/2	0.070	–	480 वर्ग मीटर	480 वर्ग मीटर
	कुल योग			1680 वर्ग मी.	1470 वर्ग मी.	3150 वर्ग मी.

भूमि के नक्शे का निरीक्षण भू अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी मल्हारगढ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2016

क्र. एफ-3-107-2015-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012) की धारा 23-''क'' की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा इस विभाग की सूचना क्रमांक-एफ-3-107-2015-अठारह-5, दिनांक 16-11-2015 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित खण्डवा विकास योजना, 2011 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ग्राम चिराखान	1/5	7.77 हेक्टेयर में से 3.00 हेक्टेयर.	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक	आवासीय
		योग . .	3.00 हेक्टेयर		

1. भूमि जिस प्रयोजन हेतु आवंटित की गई है, उससे भिन्न उपयोग प्रतिबंधित रहेगा.
2. उक्त उपांतरण खण्डवा विकास योजना 2011 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के साधव, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश

नरसिंहपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2016

क्र. 124-भू-अर्जन-2016.—एनटीपीसी पावर प्लांट में जल परिवहन हेतु मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के लिए निजी भूमि के अर्जन हेतु अग्रिम कार्यवाही के लिए श्री राजेन्द्र राय, संयुक्त कलेक्टर व जिला भू-अर्जन अधिकारी, नरसिंहपुर को पदेन सक्षम पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है.

सक्षम पदाधिकारी मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 30 अगस्त 2013 में प्रकाशित भाग 4 (ग) अंतिम नियम राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल दिनांक 29 अगस्त 2013 के तहत कार्य करेगा

नरेश पाल, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 22 मार्च 2016

क्र. 1138-भू.अर्जन-तेन्दूखेड़ा-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गयी शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुका	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(1) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	जबेरा	घाट बम्होरी	0.78	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, सागर, मध्यप्रदेश.	बांदकपुर-बलारपुर वनमार्ग मार्ग पर व्यारमा नदी पर उच्च स्तरीय पुल.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तेन्दूखेड़ा (दमोह) तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 22 मार्च 2016

प्र. क्र. 12-अ-82-14-15-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/ माईनर नहर/सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 12 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	सुपावली	1096/1मिन2 1098/मिन1	0.280	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र. 2 डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्च स्तरीय नहर शीतला माता शाखा नहर की 1एल/4 आर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
			1096/1मिन3 1098/मिन2	0.120		
			1122	0.050		
			कुल रकबा	0.450		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 24-अ-82-14-15-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 12 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	सिरसौद	1242	0.03	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 1 डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 एल मायनर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
			971	0.03		
			कुल रकबा	0.06		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 25-अ-82-14-15-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 12 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	चपरोली	127	0.02	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 एल मायनर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
			कुल रकबा	0.02		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 26-अ-82-14-15-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 12 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	दयेली	100	0.10	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च-स्तरीय नहर संभाग क्र. 2 डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 एल मायनर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
			कुल रकबा	0.10		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 27-अ-82-14-15-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 12 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	सुपावली	2490/1 2490/2	0.08	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च-स्तरीय नहर संभाग क्र. 2, डबरा, जिला ग्वालियर	हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 2 एल मायनर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
			2500	0.04		
			कुल रकबा	0.12		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 28-अ-82-14-15-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 12 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	जखारा	2234	0.02	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र. 2, डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्च स्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 2 एल मायनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
			कुल रकबा	0.02		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 29-अ-82-14-15-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 12 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	बिल्हैटी	1963	0.05	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र. 2, डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्च स्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 4 एल मायनर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
			कुल रकबा	0.05		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 7 अप्रैल 2016

प. क्र. 1056-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माईनर एवं सबमाइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	परसा-348	1.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा. (मध्यप्रदेश).	बहुती नहर के अमिलकी वितरक नहर के माइनर क्र. 4 के निर्माण कार्य हेतु.

रीवा, दिनांक 11 अप्रैल 2016

प. क्र. 1078-प्रशा.-भू-अर्जन-गोविन्दगढ़.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. भूमि-अर्जन और पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	करौदी प.ह.नं. 8	0.100	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 2 गोविन्दगढ़, रीवा (म. प्र.)	करौदी 0.100 हे. बाणसागर परियोजना के अंतर्गत गुढ़-मऊगंज उदवहन् निर्माण नहर कार्य सार्वजनिक प्रयोजन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1080-प्रशा.-भू-अर्जन-गोविन्दगढ़.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. भूमि-अर्जन और पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	पांती 370	0.495	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 2 गोविन्दगढ़, रीवा (म. प्र.)	पांती 0.495 हे. बाणसागर परियोजना के अंतर्गत गुढ़-मऊगंज उदवहन् निर्माण नहर कार्य सार्वजनिक प्रयोजन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1082-प्रशा.-भू-अर्जन-गोविन्दगढ़.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. भूमि-अर्जन और पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	महाडांडी	0.033	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 2 गोविन्दगढ़, रीवा (म. प्र.).	महाडांडी 0.033 हे. बाणसागर परियोजना के अंतर्गत गुढ़-मऊगंज उदवहन् निर्माण नहर कार्य सार्वजनिक प्रयोजन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1084-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. भूमि-अर्जन और पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि बहुती नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	सरदा	13.90	कार्यपालन यंत्री, रॉकफिल बांध संभाग देवलोंद, जिला-शहडोल.	बहुती नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1086-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. भूमि-अर्जन और पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि बहुती नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	पटना	8.94	कार्यपालन यंत्री, रॉकफिल बांध संभाग देवलोंद, जिला-शहडोल.	बहुती नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1088-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि बहुती नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	मझिगवाँ	20.66	कार्यपालन यंत्री, रॉकफिल बांध संभाग देवलोंद, जिला-शहडोल.	बहुती नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1090-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि बहुती नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	करियाझार	19.80	कार्यपालन यंत्री, रॉकफिल बांध संभाग देवलोंद, जिला-शहडोल.	बहुती नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1092-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. भूमि-अर्जन और पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि वहती नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	हिनौती	44.10	कार्यपालन यंत्री, रॉकफिल बांध संभाग देवलोंद, जिला-शहडोल	बहुती नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1094-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. भूमि-अर्जन और पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि वहती नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	डेंगरहा	10.70	कार्यपालन यंत्री, रॉकफिल बांध संभाग देवलोंद, जिला-शहडोल.	बहुती नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 18 मार्च 2016

क्र.-भू-अर्जन-15(अ-82)2015-2016-1164.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—शहपुरा

(ग) ग्राम—रमपुरी प. ह. नं. 58 रा. नि. म. शहपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.880 हेक्टेयर.

खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्टर में)
(1)	(2)
161/1	0.02
162	0.16
144	0.05
145	0.05
146	0.16
153/3	0.18
154	0.26
कुल योग निजी भूमि . .	0.880
शासकीय भूमि— . .	0.00
सकल योग . .	0.880

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—देवरी जलाशय के नहर कार्य अंतर्गत हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-16(अ-82)2015-2016-1163.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—शहपुरा

(ग) ग्राम—देवरी कला प. ह. नं. 58 रा. नि. म. शहपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.560 हेक्टेयर.

खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्टर में)
(1)	(2)
13/2	0.06
14	0.27
16	0.17
15	0.06
कुल योग निजी भूमि . .	0.560
शासकीय भूमि— . .	0.00
सकल योग . .	0.560

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—देवरी जलाशय के नहर कार्य अंतर्गत हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-17(अ-82)2015-2016-1160.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—शहपुरा

(ग) ग्राम—बिछिया प. ह. नं. 57 रा. नि. म. बिछिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.030 हेक्टेयर.

खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्टर में)
(1)	(2)
474	0.03
477	0.15
479/2	0.08
480	0.12
481	0.08
482	0.09
436	0.19
435/1	0.12
487	0.16
475/1	0.10
475/2	0.06
475/3	0.07
476/2	0.04
477	0.10
440	0.06
441/2	0.08
441/3	0.07
443	0.10
445	0.01
431/1	0.05
431/2	0.06
430	0.02
424	0.08
444	0.02
425	0.01
कुल योग निजी भूमि . .	1.95
शासकीय भूमि . .	0.08
सकल योग . .	2.030

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बड़झर जलाशय के अन्तर्गत (मुख्य नहर एवं माइनर) हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-18(अ-82)2015-2016-1161.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजनासार की आवश्यकता नहीं है.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—शहपुरा

(ग) ग्राम—बड़झर प. ह. नं. 59 रा. नि. म. बिछिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.600 हेक्टेयर.

खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्टर में)
(1)	(2)
141	0.06
146/1	0.02
147/1	0.03
146/2	0.02
147/2	0.03
146/3	0.02
147	0.03
3/2	0.12
2	0.06
1	0.04
7	0.04
8	0.05
9	0.08
कुल योग निजी भूमि . .	0.600
शासकीय भूमि . .	0.00
सकल योग . .	0.600

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बड़झर जलाशय के अन्तर्गत (मुख्य नहर एवं माइनर) हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-19 (अ-82)2015-2016-1161.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है.

अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—शहपुरा

(ग) ग्राम—बड़झर, प. ह. नं. 59 रा. नि. म. बिछिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.670 हेक्टेयर.

खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्टर में)
(1)	(2)
130/1	0.43
3/2	0.05
142/1	0.01
143/1	0.01
142/2	0.01
143/2	0.01
143/3	0.01
137	0.04
138/1	0.04
135	0.04
4	0.02
कुल योग निजी भूमि . .	0.670
शासकीय भूमि . .	0.00
सकल योग . .	0.670

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बड़झर जलाशय के अंतर्गत हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
छवि भारद्वाज, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2016

क्र. 225-भू-अर्जन-2015-प्रकरण क्रमांक 01 अ-82 वर्ष 2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 का उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर

(ख) तहसील—तेंदूखेड़ा

(ग) ग्राम—महगवाँ, न. ब.-385, प. ह. नं. 42

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.846 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्टर में)
(1)	(2)
30	0.041
31	0.093
32/1	0.076
33, 34	0.020
36/2, 37/1	0.025
37/2	0.016
42	0.045
43/2, 44/2	0.032
43/3, 44/3	0.028
43/4, 44/4	0.032
46	0.056
47/3	0.020
47/4	0.052
38/1	0.036
38/2, 38/4, 38/5	0.038
38/3, 39/1, 40/1	0.030
38/8, 39/4, 40/4	0.045
60/1	0.040
62, 63	0.020
64/2	0.028
64/4	0.013
64/1-3	0.032
65	0.028
41	-
55	-
कुल रकवा . .	0.846

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—ग्राम महगुवांतला से भामा तक मार्ग निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.narsinghpur.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर (म. प्र.)/ कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 227-भू-अर्जन-2015-प्रकरण क्रमांक 02 अ-82 वर्ष 2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 का उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर

(ख) तहसील—तेंदूखेड़ा

(ग) ग्राम—नोरगपुर, न. ब.-243, प. ह. नं. 30

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.742 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्टर में)
(1)	(2)
500/1	0.050
500/5, 500/8	0.027
501, 502/9	0.065
502/1	0.600
कुल रकवा . .	0.742

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—ग्राम महगुवांतला से भामा तक मार्ग निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.narsinghpur.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर (म. प्र.)/ कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 229-भू-अर्जन-2015-प्रकरण क्रमांक 03 अ-82 वर्ष 2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 का उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर

(ख) तहसील—तेंदूखेड़ा

(ग) ग्राम—नैनवारा, न. ब.-242, प. ह. नं. 43

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.322 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्टर में)
(1)	(2)
2/1	0.095
3/1	0.020
3/2	0.015
3/3	0.017
3/4	0.016
3/5	0.015
3/6	0.042
5/1	0.052
4/1	0.012
4/2	0.005
4/3-4-5	0.033
कुल रकवा . .	0.322

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—ग्राम महगुवांतला से भामा तक मार्ग निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.narsinghpur.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर (म. प्र.)/ कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 231-भू-अर्जन-2015-प्रकरण क्रमांक 04 अ-82 वर्ष 2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 का उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर

(ख) तहसील—तेंदूखेड़ा

(ग) ग्राम—डौभी, न. ब.-198, प. ह. नं. 28

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.357 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्टर में)
(1)	(2)
318	0.020
320	0.016
321	0.085
323/1	0.016
323/3	0.004
324/1	0.016
324/2	0.012
324/3	0.020
324/4	0.012
324/5-6-7	0.032
324/8	0.012
1096/1, 1097/1, 1096/2, 1097/2,	0.012
1090/1	0.024
1091/1	0.016
1091/2	0.008
1093	0.016
1094/1, 1094/2, 1094/3	0.024
1095/2	0.012
कुल रकवा . .	0.357

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—ग्राम महगुवांतला से भामा तक मार्ग निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.narsinghpur.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर (म. प्र.)/ कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 233-भू-अर्जन-2015-प्रकरण क्रमांक 05 अ-82 वर्ष 2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 का उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर

(ख) तहसील—तेंदूखेड़ा

(ग) ग्राम—छत्तरपुर, न. ब.-156, प. ह. नं. 27

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.610 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1/1	0.008
1/2	0.070
14	0.018
16, 17	0.076
18, 19	0.072
50/1	0.048
50/2, 57 ख	0.014
93/2	0.016
93/4	0.012
93/3	0.032
94/1क	0.006
94/1ख	0.006
94/2	0.025
95/1क	0.016
96/2	0.031
97/4	0.010
97/3	0.014
97/1	0.024
97/2ख	0.028
67/2	0.036
70/9	0.040
70/7	0.020
71	0.004
कुल रकवा . .	0.610

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—ग्राम महगुवांतला से भामा तक मार्ग निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.narsinghpur.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर (म. प्र.)/ कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 235-भू-अर्जन-2016-प्रकरण क्रमांक 07 अ-82 वर्ष 2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 का उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि, अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—तेंदूखेड़ा
(ग) ग्राम—करहैयाँ, न. ब.-49, प. ह. नं. 25/21
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.361 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
105/2	0.016
103/1	0.056
103/2	0.050
76/3	0.006
73	0.030
68/3	0.012
68/1, 68/4	0.010
68/2	0.024
42/5, 42/2	0.044
42/4	0.024
42/6	0.020
42/3	0.033
42/1	0.036
कुल रकबा . .	0.361

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—ग्राम महगुवांतला से भामा तक मार्ग निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.narsinghpur.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर (म. प्र.)/ कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 237-भू-अर्जन-2016-प्रकरण क्रमांक 06 अ-82 वर्ष 2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि, अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—तेंदूखेड़ा
(ग) ग्राम—बारहा, न. ब.-313, प. ह. नं. 25/21
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.129 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
62/1, 62/9	0.007
62/2, 66/2, 67/2	0.022
62/3	0.011
66/6, 67/6	0.022
66/1, 66/3, 67/1, 67/3	0.012
68	0.055
कुल रकबा . .	0.129

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—ग्राम महगुवांतला से भामा तक मार्ग निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.narsinghpur.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर (म. प्र.)/ कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 239-भू-अर्जन-2015-प्रकरण क्रमांक 08 अ-82 वर्ष 2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि, अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—तेंदूखेड़ा

(ग) ग्राम—सिमरिया-कलॉ, न. ब.-440, प. ह. नं. 24/21
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.889 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
115/1	0.032
115/2, 115/3	0.016
116/1, 117/1	0.024
116/2, 117/2	0.024
120/3	0.020
121	0.024
119/5, 122/2, 123/2	0.020
119/4, 122/1, 123/1	0.016
60	0.008
57, 58, 59/1	0.076
53	0.065
52	0.053
51/3, 51/4	0.012
51/1	0.012
50/2	0.024
126/2, 127/2	0.028
126/6, 127/6	0.032
126/7, 127/7	0.003
126/1, 127/1	0.002
126/4, 5 127/4, 5	0.032
133/1, 6, 134/1, 4	0.024
133/3, 133/5, 134/3	0.020
134/2,	0.018
135	0.024
143	0.024
144	0.014
145/2	0.016
145/1	0.033
147	0.020
149, 150	0.073
151/2	0.020
153	0.024
154/1, 2, 155/1, 3, 158	0.024
159/1, 159/2ग, 160/1, 160/2ग, 161/1, 161/2ग	0.020
159/2क, 160/2क, 161/2क, 159/2ख, 160/2ख	0.006
61/1	0.003
61/2	0.003
कुल रकवा . .	0.889

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—ग्राम महगुवांतला से भामा तक मार्ग निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.narsinghpur.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर (म. प्र.)/ कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 241-भू-अर्जन-2016-प्रकरण क्रमांक 09 अ-82 वर्ष 2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—तेंदूखेड़ा
(ग) ग्राम—बिलथारी, न. ब.-326, प. ह. नं. 23/22
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.955 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
215/2	0.048
215/4	0.036
214/9, 214/13	0.040
204	-
203/2	0.020
203/4	0.032
203/1	0.057
202, 203/5	0.012
217	0.057
218/2	0.030
218/4	0.020
218/3	0.040
223/2	0.016
233/1	0.020

(1)	(2)
223/4, 223/5	0.013
223/3	0.013
222/3, 224/3	0.013
222/2, 224/2	0.013
225/2	0.014
226/1	0.008
226/2	0.006
227	0.010
253/3, 254/1	0.002
253/5, 254/2	0.010
255	0.026
256/5	0.012
256/4	0.012
257, 258	0.014
259/3	0.008
260/1	0.004
260/2	0.004
262, 263, 267, 265, 266	0.029
274/1	0.011
274/2, 275/2, 274/3, 275/3	0.022
276, 277, 278	0.027
298/2	0.022
298/3	0.026
299/3	0.011
299/1, 299/2	0.015
385/1-2, 386/1-2	0.128
383/2	0.056
383/1	0.060
382/1	0.068
379/1, 379/2, 392	0.116
379/3	0.030
379/5, 379/7	0.105
379/6	0.080
416/2	0.020
415/2, 416/1	0.011
415/1	0.004
415/4	0.015
413/2	0.006
411/1	0.010
411/4	0.012
411/2	0.011
411/3	0.010
410/4	0.010
410/5	0.020
404/10, 410/11, 410/12, 410/13	0.007
404/3, 410/6, 410/8, 410/9	0.016
404/7	0.006
404/4	0.006
404/1, 404/8	0.040
403/1	0.009
387/2	0.006
387/1	0.006
385/5, 386/5	0.006
385/6, 386/6	0.005
385/3, 386/3	0.006
451	0.111
450/10, 450/17	0.043
450/11	0.097
450/5, 450/6	0.076
448	0.173
497, 498/1, 498/2, 499/1, 500/1	0.214
499/2, 500/2	0.202
524/1	0.005
524/9	0.010
524/8	0.024
628	0.008
634/2	0.008
634/1, 635/1, 636/1, 637/1, 638/1	0.008
634/3, 635/2, 634/5, 634/4, 636/3, 637/4, 638/4	0.006
617/1	0.073
617/2	0.085
661/1	0.004
662	0.056
615/2ग, 616/3	0.053
612	0.090
611	0.144
605/1	0.129
607, 608	0.073
605/2	0.129
603/2	0.043
602/1	0.042
602/2	0.042
615/1	-
601/1	-
597/3, 598/3, 601/3	0.021

(1)	(2)
597/5, 598/5	0.113
597/1, 598/1	0.215
599/1,	-
कुल रकबा . .	3.955

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—ग्राम महगुवांतला से भामा तक मार्ग निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.narsinghpur.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर (म. प्र.)/ कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 243-भू-अर्जन-2015-प्रकरण क्रमांक 10 अ-82 वर्ष 2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर

(ख) तहसील—तेंदूखेड़ा

(ग) ग्राम—भामा, न. ब.-344, प. ह. नं. 20/23

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.155 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में) (2)
338/8	0.170
338/2क, 349/3, 350/2, 351/2,	0.132
338/2ख, 349/2, 350/1, 351/1	0.045
338/2घ, 349/6, 350/3, 351/6	0.040
352/1-2, 353/1-2	0.141
352/3, 353/3	0.097
348/3, 348/7	0.049
354	0.013
348/4, 348/5	0.020
347	0.097
346	0.016
355, 356/2	0.093
357/5, 358/4	0.052
294/2	0.085
287/2	0.049
364/2, 365/2	0.109
287/1, 287/4	0.028
107	0.009
285, 286	0.013
284/1	0.008
284/2	0.008
111/3, 269/3, 270/3, 271/3, 273/3	0.054
269/1, 270/1, 271/1, 272/1, 273/1	0.012
269/5, 270/5, 271/5, 272/5, 273/5	0.007
269/2, 270/2, 271/2, 272/2, 273/2	0.016
259/4, 264/4, 266/4, 267/4, 268/4	0.057
108/1	0.005
106, 111/1	0.026
110	0.005
111/2	0.040
111/4	0.010
111/6	0.012
112/5, 113/5, 115/5	0.016
114/1, 114/2, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6	0.020
112/1, 113/1, 115/1, 112/2, 113/2, 115/2, 112/3, 113/3, 115/3, 112/4, 113/4, 115/4, 112/6, 113/6, 115/6	0.120
116/7, 117/1	0.360
117/3	0.036
116/10, 117/8	0.045
कुल रकवा . .	2.155

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—ग्राम महगुवांतला से भामा तक मार्ग निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.narsinghpur.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-तेंदूखेड़ा, जिला नरसिंहपुर (म. प्र.)/ कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 245-भू-अर्जन-2016-प्रकरण क्रमांक 11 अ-82 वर्ष 2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 का उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर

(ख) तहसील—तेंदूखेड़ा

(ग) ग्राम—बिलगुवां, न. ब.-324, प. ह. नं. 6

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.586 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्टर में)
(1)	(2)
66/3	0.016
89, 90	0.024
91/4, 92/4	0.016
91/2ग2, 92/1ग/2, 92/2ग/2	0.004
91/2ग/1, 92/1ग/1, 92/2ग/1	0.004
91/2क 92/1क, 92/2क,	0.032
91/3, 92/3	0.012
91/2ख, 92/1ख, 92/2ख	0.024
99	0.040
96	0.008
97, 98	0.012
103	0.040
104/1	0.002
101/1, 101/4, 101/2, 101/3	0.032
109/1	0.012
110/2, 129/1छ, 129/1च	0.068
129/1ड	0.016
129/1ख	0.024
कुल रकवा . .	0.144

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—एन एच 12 से बिजौरा मार्ग निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.narsinghpur.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर (म. प्र.)/ कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 247-भू-अर्जन-2016-प्रकरण क्रमांक 12 अ-82 वर्ष 2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 का उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर

(ख) तहसील—तेंदूखेड़ा

(ग) ग्राम—बांसखेड़ा, न. ब.-317, प. ह. नं. 35

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.144 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्टर में)
(1)	(2)
182	0.020
181, 164/1, 164/4	0.013
164/3	0.006
163/3	0.003
163/2	0.003
163/6	0.003
163/5	0.002
131, 132	0.004
125, 126	0.002
122, 118, 119,	0.005
121	0.002
120	0.002
81/2	0.003
81/1	0.002

(1)	(2)
183/1	0.030
183/2	0.005
183/3	0.004
184/2	0.008
196/1	0.005
198/1	0.005
199	0.005
206	0.002
201/1	0.002
203	0.002
204/1	0.006
कुल रकबा . .	0.144

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—एन एच 12 से बिजौरा मार्ग निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.narsinghpur.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-तेंदूखेड़ा, जिला नरसिंहपुर (म. प्र.)/ कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 249-भू-अर्जन-2016-प्रकरण क्रमांक 13 अ-82 वर्ष 2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर

(ख) तहसील—तेंदूखेड़ा

(ग) ग्राम—मानकपुर, न. ब.-375, प. ह. नं. 35/6

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.792 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्टर में)
(1)	(2)
33, 34, 35, 36, 37	0.064
113/2	0.022
114, 40, 41, 42	0.076
113/6	0.014
43/2	0.032
110/2	0.018
109	0.026
48/2, 97/1	0.035
50/1	0.010
50/2	0.016
103/1, 103/2	0.032
102	0.004
63/1, 64/1	0.006
63/2, 64/2	0.005
67/1, 68/1	0.006
67/2, 68/2	0.005
66	0.002
69	0.002
98	0.008
97/2	0.004
70	0.004
89, 90, 91, 92	0.002
87	0.002
95/1	0.024
9/1ख	0.024
9/1क	0.022
8	0.036
5	0.101
6	0.041
1/1, 1/2	0.064
83, 84, 85, 86	0.008
94/6, 200/6	0.010
94/1, 200/1	0.024
94/3, 200/3	0.060
कुल रकबा . .	0.792

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—एन एच 12 से बिजौरा मार्ग निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.narsinghpur.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-तेंदूखेड़ा, जिला नरसिंहपुर (म. प्र.)/ कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 251-भू-अर्जन-2016-प्रकरण क्रमांक 14 अ-82 वर्ष 2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर

(ख) तहसील—तेंदूखेड़ा

(ग) ग्राम—बिजौरा, न. ब.-323, प. ह. नं. 35

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.224 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्टर में)
(1)	(2)
96/5	0.006
96/3	0.004
96/4	0.004
98/2	0.004
98/3	0.005
98/4	0.007
99	0.017
105/3	0.004
105/1ख, 106/2	0.007
107/3-4	0.040
129, 130	0.004
107/1	0.040
151, 152, 153, 154	0.047
155	0.003
180/1	0.006
180/3	0.002
180/2	0.002
181/1	0.004
183/2	0.012
183/3	0.006
कुल रकवा . .	0.224

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—एन एच 12 से बिजौरा मार्ग निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.narsinghpur.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-तेंदूखेड़ा, जिला नरसिंहपुर (म. प्र.)/ कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 7 अप्रैल 2016

पत्र क्र. 1046-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—मनगवां

(ग) ग्राम—बेलवा पैकान 396

(घ) क्षेत्रफल —5.931 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
2468	0.004
2469	0.023
2470	0.035
2471	0.032
2472	0.039
2473	0.046
2474	0.001
2464	0.053

(1)	(2)	(1)	(2)
2463	0.049	823	0.079
2462	0.016	824	0.008
2461	0.006	822	0.085
2447	0.006	825	0.009
2458	0.020	821	0.085
2457	0.026	836	0.005
2448	0.003	837	0.018
2449	0.004	820	0.107
2454	0.021	842	0.168
2453	0.017	843	0.081
2452	0.028	845	0.063
2450	0.008	925	0.014
2451	0.032	847	0.135
2363	0.049	848	0.051
2429	0.095	850	0.014
2428	0.019	807	0.024
2420	0.036	805	0.001
2422	0.036	804	0.097
2421	0.089	856	0.003
2365	0.003	857	0.018
2366	0.019	791	0.037
2368	0.018	860	0.067
2371	0.001	790	0.002
2369	0.046	859	0.015
2346	0.009	861	0.047
2344	0.012	863	0.003
2345	0.001	785	0.102
2325	0.014	786	0.024
2294	0.001	724	0.100
2303	0.002	784	0.010
2530/2295	0.001	781	0.092
2297	0.027	782	0.001
2296	0.001	778	0.065
2298	0.036	777	0.071
2231	0.001	779	0.001
2230	0.001	733	0.023
2370	0.003	734	0.060
826	0.003	735	0.087

(1)	(2)
751	0.010
736	0.094
737	0.246
677	0.106
607	0.002
675	0.020
676	0.053
608	0.148
609	0.117
613	0.010
614	0.036
617	0.042
618	0.128
629	0.005
628	0.025
627	0.015
620	0.049
624	0.044
623	0.001
622	0.076
303	0.046
302	0.106
301	0.036
300	0.092
73	0.019
838	0.001
839	0.002
840	0.009
841	0.065
2483/966	0.013
928	0.044
2484/1/967 2484/2/967	0.004
2482/929	0.004
966	0.131
967	0.005
965	0.016
972	0.041
973	0.093
976	0.046
1044	0.018
1045	0.056
1074	0.092
1075	0.063
1078	0.038
1080	0.004
1068	0.031
1067	0.046
573	0.005
574	0.010
575	0.016
576	0.012
561	0.076
577	0.012
569	0.001
566	0.028
565	0.002
564	0.032
567	0.006
501	0.003
503	0.029
522	0.006
502	0.002
504	0.014
521	0.010
511	0.008
514	0.007
515	0.006
512	0.012
516	0.005
482	0.002
483	0.009
703	0.050
702	0.023
705	0.103
706	0.028
708	0.059
707	0.046
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	5.834

(1)	(2)
ब-म. प्र. शासन की भूमि	
1028	0.011
1043	0.071
1046	0.015
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.097
अ + ब का योग . .	5.931

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—"**बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 4**" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1048-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान

(ग) ग्राम—पड़रा 332

(घ) क्षेत्रफल —0.750 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
764	0.069
763	0.021
588	0.083
587	0.071
585	0.108
593	0.072
595	0.067
596	0.007
629	0.070
630	0.011
631	0.015
553	0.011
632	0.007
552	0.009
634	0.046
633	0.001
636	0.001
635	0.007
397	0.001
396	0.001
399	0.031
400	0.013
398	0.011
238	0.004
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.737
ब-म. प्र. शासन की भूमि	
592	0.013
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.013
अ + ब का योग . .	0.750

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—"**बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 17**" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1050-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान

(ग) ग्राम—खीरा 132

(घ) क्षेत्रफल —1.611 हेक्टेयर.

खसरा नं. (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
23	0.192
24	0.011
22	0.016
21	0.017
20	0.345
36	0.006
17	0.015
19	0.006
16	0.010
38	0.004
37	0.008
13	0.183
12	0.011
15	0.024
14	0.038
11	0.165
42	0.008
44	0.094
43	0.002
61	0.021
9	0.023
62	0.007
67	0.152
74	0.009
75	0.018
72	0.181
71	0.006
77	0.003
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	1.575
ब-म. प्र. शासन की भूमि	
1	0.013
78	0.023
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.036
अ + ब का योग . .	1.611

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—"**बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 16**" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 1052-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान

(ग) ग्राम—महसुआ 516

(घ) क्षेत्रफल —2.327 हेक्टेयर.

खसरा नं. (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
1026	0.013
1025	0.154
1027	0.019
1050	0.056
1086	0.020
1087	0.093
1089	0.043
1096	0.087
1095	0.006
855	0.007
854	0.094
851	0.005
849	0.036
850	0.028
838	0.052

(1)	(2)
839	0.006
800	0.052
799	0.020
798	0.019
787	0.003
784	0.080
561	0.058
562	0.007
564	0.063
565	0.075
622	0.005
571	0.090
570	0.077
371	0.001
370	0.116
368	0.004
353	0.044
352	0.037
344	0.070
343	0.001
354	0.010
357	0.003
359	0.007
342	0.003
397	0.005
395	0.009
396	0.005
470	0.013
399	0.001
469	0.037
400	0.001
402	0.001
412	0.002
468	0.063
466	0.001
467	0.004
25	0.043
249	0.134
248	0.101
246	0.082
245	0.215
253	0.001
259	0.001
465	0.001
358	0.004
1088	0.001
481	0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	2.290
ब-म. प्र. शासन की भूमि	
921	0.011
771	0.013
355	0.004
1090	0.009
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.037
अ + ब का योग . .	2.327

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—"**बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 16 एवं 17**" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1054-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान

(ग) ग्राम—लोहन्दवार 576

(घ) क्षेत्रफल —0.289 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
257	0.017
256	0.086
255	0.002
252	0.058

(1)	(2)
251	0.003
250	0.051
253	0.004
249	0.030
248	0.030
245	0.001
247	0.007
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.289

ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ + ब का योग . .	0.289

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—"**बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 17**" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1058-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान

(ग) ग्राम—ब्यौहरा 462

(घ) क्षेत्रफल —2.047 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
1178	0.098
1177	0.007
1092	0.063
1176	0.001
1175	0.039
1094	0.122
1096	0.001
1097	0.008
1098	0.009
1099	0.045
1100	0.006
1101	0.015
1102	0.016
1104	0.017
1105	0.025
1107	0.028
1106	0.001
1108	0.017
1109	0.013
1113	0.060
1112	0.043
1111	0.023
1116	0.038
1117	0.024
1118	0.017
1120	0.014
1119	0.007
1123	0.021
1124	0.021
1127	0.039
1129	0.047
1132	0.031
989	0.003
987	0.008
986	0.013
984	0.105
985	0.018
973	0.030
967	0.008
966	0.027
738	0.012

(1)	(2)
729	0.009
718	0.013
1135	0.002
1136	0.009
977	0.062
968	0.024
965	0.006
964	0.003
963	0.003
962	0.006
739	0.011
737	0.007
730	0.004
728	0.003
724	0.002
725	0.002
723	0.005
716	0.007
717	0.003
689	0.024
687	0.005
661	0.015
662	0.012
688	0.013
112	0.015
111	0.043
109	0.033
108	0.029
107	0.076
106	0.119
105	0.059
104	0.065
103	0.186
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	2.015
ब-म. प्र. शासन की भूमि	
1152	0.012
736	0.002
713	0.004
657	0.014
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.032
अ + ब का योग . .	2.047

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—"**बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 5 एवं 6**" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1060-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान

(ग) ग्राम—टेपरो 226

(घ) क्षेत्रफल —0.713 हेक्टेयर.

खसरा नं. (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
190	0.192
189	0.080
169	0.039
168	0.071
170	0.209
171	0.010
101	0.009
102	0.010
148	0.001
103	0.008
136	0.025
147	0.001
137	0.039
139	0.003
140	0.008
145	0.001
141	0.003
142	0.004
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.713

(1)	(2)
ब-म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ + ब का योग . .	0.713

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—"**बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 12**" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1062-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान

(ग) ग्राम—पटना 329

(घ) क्षेत्रफल —1.652 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
289	0.093
290	0.236
291	0.146
521	0.033
519	0.032
518	0.078
517	0.016
515	0.133
436	0.147
437	0.019
433	0.045
438	0.002
429	0.146
428	0.110
427	0.033
452	0.007
453	0.251
454	0.025
456	0.002
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	1.554
ब-म. प्र. शासन की भूमि	
516	0.030
432	0.043
435	0.010
457	0.015
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.098
अ + ब का योग . .	1.652

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—"**बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 16**" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1064-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान

(ग) ग्राम—पतौना 338

(घ) क्षेत्रफल —2.074 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
169	0.183
168	0.015

(1)	(2)
165	0.221
75	0.035
21	0.019
73	0.155
70	0.011
91	0.172
92	0.021
90	0.006
89	0.008
127	0.176
125	0.024
118	0.081
119	0.347
113	0.010
111	0.271
110	0.018
109	0.156
4	0.019
3	0.050
2	0.011
1	0.065
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	2.074

ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ + ब का योग . .	2.074

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—"**बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 17**" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1066-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—पलिया 350
(घ) क्षेत्रफल —1.737 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
384	0.041
383	0.016
382	0.033
380	0.041
379	0.003
378	0.072
377	0.122
333	0.093
375	0.001
334	0.083
335	0.001
331	0.051
330	0.050
329	0.100
215	0.056
216	0.086
310	0.001
309	0.016
311	0.031
156	0.001
308	0.097
307	0.033
306	0.001
223	0.046
224	0.085
231	0.021
234	0.039
235	0.046

(1)	(2)
236	0.103
241	0.006
240	0.065
28	0.066
27	0.027
26	0.039
25	0.002
24	0.031
22	0.018
19	0.031
18	0.002
13	0.042
2	0.015
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	1.713
ब-म. प्र. शासन की भूमि	
232	0.024
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.024
अ + ब का योग . .	1.737

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—"**बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 4**" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1068-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान

(ग) ग्राम—खुझ 133

(घ) क्षेत्रफल —2.886 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
724	0.130
723	0.011
484	0.111
486	0.140
582	0.153
583	0.035
578	0.012
577	0.049
576	0.002
507	0.056
508	0.048
509	0.040
510	0.094
511	0.007
513	0.003
514	0.056
516	0.070
515	0.006
517	0.015
524	0.124
523	0.035
522	0.001
532	0.014
531	0.002
399	0.010
398	0.009
533	0.020
534	0.008
397	0.007
396	0.033
393	0.003
394	0.046
391	0.039
390	0.081
235	0.038
236	0.082
237	0.052
328	0.004
244	0.040
327	0.104

(1)	(2)
324	0.170
270	0.003
323	0.006
315	0.108
314	0.059
295	0.122
145	0.059
144	0.070
143	0.147
149	0.013
110	0.161
107	0.015
106	0.023
105	0.024
104	0.001
103	0.004
100	0.006
102	0.014
79	0.008
81	0.005
78	0.001
77	0.015
89	0.013
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	2.837
ब-म. प्र. शासन की भूमि	
497	0.024
238	0.003
150	0.015
101	0.001
80	0.005
90	0.001
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.049
अ + ब का योग . .	2.886

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—"**बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र.** 11" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1070-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान

(ग) ग्राम—ब्योहरा 461

(घ) क्षेत्रफल —2.023 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
19	0.133
20	0.188
16	0.160
30	0.010
15	0.045
12	0.062
14	0.143
7	0.084
5	0.043
4	0.065
2	0.001
1	0.015
21	0.109
28	0.180
27	0.006
150	0.039
142	0.010
141	0.010
140	0.078
138	0.009
137	0.014
136	0.097
135	0.104
134	0.009

(1)	(2)
207	0.026
206	0.002
205	0.025
204	0.022
203	0.002
194	0.005
195	0.007
202	0.067
201	0.011
220	0.003
221	0.058
222	0.021
223	0.020
224	0.016
225	0.002
226	0.007
182	0.045
227	0.007
318	0.030
319	0.001
181	0.013
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	2.004
ब-म. प्र. शासन की भूमि	
323	0.019
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.019
अ + ब का योग . .	2.023

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—"**बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 6**" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1072-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान

(ग) ग्राम—ब्योहरा 460

(घ) क्षेत्रफल —3.139 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
342	0.007
341	0.122
340	0.021
339	0.062
333	0.104
332	0.094
329	0.061
327	0.002
328	0.054
107	0.203
108	0.106
109	0.078
147	0.015
151	0.003
148	0.015
149	0.218
141	0.095
170	0.079
172	0.086
173	0.068
175	0.009
174	0.035
197	0.052
183	0.074
184	0.040
185	0.010
186	0.012
187	0.059
188	0.032
41	0.009
189	0.018
190	0.002

(1)	(2)
39	0.069
38	0.050
16	0.004
18	0.069
17	0.100
19	0.003
3	0.047
2	0.044
1	0.278
37	0.037
36	0.062
35	0.008
21	0.085
23	0.024
22	0.026
917	0.001
914	0.047
915	0.026
912	0.042
911	0.030
926	0.003
908	0.004
927	0.012
928	0.026
929	0.033
932	0.022
931	0.027
898	0.010
897	0.012
901	0.001
896	0.023
895	0.031
939	0.001
894	0.037
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	3.139
ब-म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ + ब का योग . .	3.139

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—"**बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 4 एवं 5**" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1074-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान

(ग) ग्राम—मढ़ी 492

(घ) क्षेत्रफल —2.905 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
308	0.011
307	0.018
284	0.233
289	0.121
288	0.118
277	0.010
261	0.270
278	0.534
279	0.140
273	0.010
271	0.161
270	0.013
268	0.202
265	0.001
266	0.001
267	0.011
76	0.006
75	0.215
74	0.011
73	0.275
66	0.013
65	0.078
63	0.033
64	0.075
61	0.163

(1)	(2)
59	0.046
4	0.062
3	0.001
2	0.001
58	0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	2.834

ब-म. प्र. शासन की भूमि

18	0.019
17	0.019
60	0.014
16	0.019
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.071
अ + ब का योग . .	2.905

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—"**बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 4**" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1076-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान

(ग) ग्राम—उमरी 51

(घ) क्षेत्रफल —8.820 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
2333	0.086
2341	0.186
2340	0.007
2339	0.022
2319	0.003
2320	0.062
2318	0.034
2313	0.029
2317	0.025
2314	0.019
2316	0.043
2315	0.030
2302	0.046
2301	0.063
2300	0.001
2299	0.082
2243	0.001
2242	0.015
2241	0.036
2240	0.038
2239	0.103
2238	0.102
2237	0.134
2234	0.069
2235	0.015
2236	0.001
1958	0.087
1959	0.068
1960	0.004
1961	0.088
1982	0.029
1962	0.020
1981	0.034
1980	0.038
1984	0.024
1987	0.047
1988	0.005
1979	0.018
1978	0.001
1993	0.036
1977	0.105
1992	0.004

(1)	(2)
1994	0.001
2028	0.034
2024	0.014
2027	0.078
2046	0.056
2048	0.107
2047	0.162
2054	0.019
2062	0.099
2063	0.006
2061	0.132
2060	0.098
1433	0.055
1434	0.014
1480	0.030
1435	0.024
1479	0.016
1478	0.020
1477	0.068
1447	0.115
1444	0.024
1445	0.015
1446	0.015
1296	0.058
1295	0.075
1269	0.299
1270	0.009
1275	0.098
1272	0.009
1271	0.146
1294	0.163
1228	0.043
1227	0.082
1237	0.178
1239	0.135
1247	0.123
1248	0.012
1263	0.113
1262	0.029

(1)	(2)
1261	0.062
1256	0.001
1255	0.050
534	0.023
549	0.015
533	0.029
532	0.024
531	0.045
518	0.065
520	0.002
506	0.026
492	0.205
491	0.009
490	0.001
488	0.006
486	0.027
358	0.022
485	0.057
484	0.017
359	0.018
472	0.048
371	0.050
372	0.028
487	0.012
373	0.004
374	0.102
376	0.004
391	0.061
386	0.012
388	0.040
390	0.048
389	0.001
112	0.011
113	0.083
118	0.156
116	0.005
119	0.007
117	0.176
121	0.029
88	0.296

(1)	(2)
87	0.064
84	0.126
85	0.231
86	0.078
78	0.007
2231	0.059
2227	0.042
2226	0.076
2225	0.009
2221	0.045
2222	0.018
2190	0.027
2223	0.022
2189	0.011
2188	0.046
2187	0.007
2186	0.045
2182	0.026
2181	0.020
2180	0.033
2179	0.046
2203	0.035
2177	0.003
2174	0.053
2175	0.011
2170	0.074
2169	0.108
2171	0.007
741	0.087
745	0.017
758	0.038
759	0.013
760	0.011
761	0.025
763	0.032
765	0.048
766	0.075
778	0.020
771	0.077

(1)	(2)
775	0.074
846	0.030
776	0.004
853	0.001
847	0.017
852	0.001
848	0.014
849	0.002
882	0.018
881	0.001
879	0.028
880	0.002
877	0.017
871	0.002
876	0.006
875	0.023
873	0.001
874	0.001
894	0.009
896	0.023
897	0.001
895	0.011
898	0.004
910	0.027
605	0.001
911	0.011
(अ.) निजी पट्टे की भूमि का योग .	8.612

ब-म. प्र. शासन की भूमि

2224	0.029
2100	0.032
1043	0.012
522	0.011
2362/517	0.013
787	0.002
785	0.021
752	0.025
2349	0.015
2164	0.031
2080	0.017
(ब.) म. प्र. शासन की भूमि का योग .	0.208
अ + ब का योग . .	8.820

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—"**बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 4 एवं 6**" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रीवा, दिनांक 11 अप्रैल 2016.

पत्र क्र. 1096-प्रका.-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—उमरी
(घ) क्षेत्रफल लगभग —0.034 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-अशासकीय भूमि	
145	0.034
ब-शासकीय भूमि	
योग . .	0.00
महायोग	0.034

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1098-प्रका.-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—बेला
(घ) क्षेत्रफल लगभग —0.077 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-अशासकीय भूमि	
1069	0.037
705	0.040
ब-शासकीय भूमि	
योग . .	0.00
महायोग	0.077

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1100-प्रका.-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—पड़ेरूआ
(घ) क्षेत्रफल लगभग —0.056 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-अशासकीय भूमि	
148/2	0.056

(1)	(2)
ब-शासकीय भूमि	
योग . .	0.00
महायोग	0.056

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1102-प्रका.-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में, वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—गुढ़

(ग) ग्राम—बगदरी

(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.064 हेक्टेयर.

खसरा नं. (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
अ-अशासकीय भूमि	
84	0.064
ब-शासकीय भूमि	
योग . .	0.00
महायोग	0.064

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1104-प्रका.-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—गुढ़

(ग) ग्राम—सहिजना

(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.356 हेक्टेयर.

खसरा नं. (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
573/1, 573/2, 573/3, 573/4	0.154
561/1/क, 561/1/ख, 561/2	0.152
561/3	
524/1/क/1, 524/1/क/2, 524/1/क/3, 524/1/ख, 524/1/ग	0.020
523/2	0.010
559/2	0.020
ब-शासकीय भूमि की भूमि	
योग . .	0.00
महायोग . .	0.356

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अशोकनगर, दिनांक 18 मार्च 2016

प्रकरण क्रमांक 1-अ-82-भू-अर्जन-14-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अशोकनगर

(ख) तहसील—ईशागढ़

(ग) ग्राम—फुटेरा पछार

(घ) क्षेत्रफल—0.400 हेक्टेयर

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
6 मिन 1	0.260
6 मिन 2	0.060
84	0.060
86 मिन 1	0.010
86 मिन 2	0.010
योग . .	0.400

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—गुना-अशोनगर-ईशागढ़ मार्ग पर टोल प्लाजा निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी ईशागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण कुमार तोमर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गुना, दिनांक 22 मार्च 2016

प्र. क्रमांक 11-अ-82-2014-15-टोल प्लाजा/122.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—गुना

(ख) तहसील—गुना

(ग) नगर/ग्राम—पगारा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.250 हेक्टेयर

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
174/1/क 2 में से	0.021
174/1/क 3 में से	0.021
174/1/4 में से	0.052
174/1/5	0.031
179/1 में से	0.030
180/1/क	0.023
180/1/ग	0.011
180/1/ख	0.011
181/1	0.050
कुल . .	0.250

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—गुना-अशोनगर मार्ग पर ग्राम पगारा में टोल प्लाजा निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण-संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम ग्वालियर एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) गुना के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि के आवासीय संरचना एवं अन्य किसी प्रकार का निर्माण स्थित न होने से पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यकता नहीं है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 9 फरवरी 2016

प्र. क्र. 165-अ-82-वर्ष 2014-15.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अजयगढ़
(ग) ग्राम—बनहरीकलां, प.ह.नं. 10
(घ) लगभग क्षेत्रफल—190.585 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
3	0.970	निजी भूमि
4	2.050	निजी भूमि
5/3	0.660	निजी भूमि
5/5	0.500	निजी भूमि
5/6	0.670	निजी भूमि
5/7	0.670	निजी भूमि
6/2	2.000	निजी भूमि
7	0.890	निजी भूमि
8	1.870	निजी भूमि
12	0.640	निजी भूमि
13/1	0.400	निजी भूमि
13/2	0.390	निजी भूमि
13/3	0.390	निजी भूमि
13/4	0.390	निजी भूमि
13/5	0.390	निजी भूमि
13/6	0.300	निजी भूमि
14	0.320	निजी भूमि
15	1.940	निजी भूमि
16/2	2.000	निजी भूमि
16/3	1.000	निजी भूमि
16/4	0.580	निजी भूमि
16/5	0.590	निजी भूमि
17	0.970	निजी भूमि
18/2	1.210	निजी भूमि
18/3	1.130	निजी भूमि
19	1.130	निजी भूमि
20	0.280	निजी भूमि
21	0.980	निजी भूमि
22	1.700	निजी भूमि
23	1.440	निजी भूमि
25	0.780	निजी भूमि
26	0.660	निजी भूमि
27	0.140	निजी भूमि
28	0.620	निजी भूमि
29	0.280	निजी भूमि
30/1	0.090	निजी भूमि
30/2/क	0.320	निजी भूमि
30/2/ख	0.070	निजी भूमि
30/3	0.110	निजी भूमि
30/4	0.140	निजी भूमि
31	0.250	निजी भूमि
35	0.970	निजी भूमि
37/2	2.000	निजी भूमि
38/1	0.260	निजी भूमि
38/2	0.260	निजी भूमि
39/1	0.790	निजी भूमि
39/2	0.790	निजी भूमि
40	1.010	निजी भूमि
41	2.060	निजी भूमि
42	0.660	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
43/2	1.000	निजी भूमि	98	2.640	निजी भूमि
46	3.060	निजी भूमि	99/2	1.470	निजी भूमि
47/1	0.930	निजी भूमि	100	0.470	निजी भूमि
47/2	0.930	निजी भूमि	102	1.470	निजी भूमि
48	0.420	निजी भूमि	106	0.160	निजी भूमि
49	0.970	निजी भूमि	107	0.150	निजी भूमि
50/1	1.050	निजी भूमि	114	1.290	निजी भूमि
50/2	1.050	निजी भूमि	115	0.640	निजी भूमि
52	0.170	निजी भूमि	119	0.900	निजी भूमि
54/1	0.800	निजी भूमि	120	0.120	निजी भूमि
54/2	0.510	निजी भूमि	122	0.270	निजी भूमि
58	0.970	निजी भूमि	123	0.230	निजी भूमि
61/1	2.000	निजी भूमि	127/1	1.225	निजी भूमि
61/2	1.210	निजी भूमि	129	0.460	निजी भूमि
62	2.000	निजी भूमि	130/2/क	0.750	निजी भूमि
62/1454	0.420	निजी भूमि	131/1	0.560	निजी भूमि
64/1	0.420	निजी भूमि	131/2	0.200	निजी भूमि
64/2	1.570	निजी भूमि	131/3	0.210	निजी भूमि
68	1.390	निजी भूमि	131/4	0.210	निजी भूमि
70	0.980	निजी भूमि	131/5	0.200	निजी भूमि
72	1.280	निजी भूमि	131/6	0.010	निजी भूमि
73	0.570	निजी भूमि	132	0.600	निजी भूमि
76	0.730	निजी भूमि	134/1	0.260	निजी भूमि
77/1	0.730	निजी भूमि	135	0.090	निजी भूमि
77/2	0.710	निजी भूमि	137/1	0.820	निजी भूमि
78/1	0.750	निजी भूमि	138	0.040	निजी भूमि
78/2	0.750	निजी भूमि	143	0.400	निजी भूमि
79	0.260	निजी भूमि	145	0.500	निजी भूमि
83	0.310	निजी भूमि	147	0.450	निजी भूमि
84	0.620	निजी भूमि	151/1	0.200	निजी भूमि
87	0.620	निजी भूमि	151/2	0.200	निजी भूमि
88	1.690	निजी भूमि	152	0.120	निजी भूमि
90	0.530	निजी भूमि	153/1	0.300	निजी भूमि
91/1	0.490	निजी भूमि	153/2	0.440	निजी भूमि
91/2	0.490	निजी भूमि	154	0.360	निजी भूमि
93	0.700	निजी भूमि	155	0.160	निजी भूमि
94	0.350	निजी भूमि	156	0.020	निजी भूमि
95	0.090	निजी भूमि	157	0.430	निजी भूमि
96	0.050	निजी भूमि	158	0.580	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
159	0.500	निजी भूमि	210	0.810	निजी भूमि
160	0.160	निजी भूमि	211	0.460	निजी भूमि
161	0.210	निजी भूमि	220/1	0.250	निजी भूमि
163	0.350	निजी भूमि	220/2	0.250	निजी भूमि
164	0.400	निजी भूमि	222	0.110	निजी भूमि
165	0.580	निजी भूमि	223	0.200	निजी भूमि
166	0.240	निजी भूमि	254	0.430	निजी भूमि
167/1	0.170	निजी भूमि	255	0.200	निजी भूमि
167/2	0.060	निजी भूमि	271	2.700	निजी भूमि
169	0.450	निजी भूमि	272	0.370	निजी भूमि
173	0.420	निजी भूमि	273	0.900	निजी भूमि
175	0.690	निजी भूमि	274	0.670	निजी भूमि
176	0.220	निजी भूमि	275	0.480	निजी भूमि
177	0.220	निजी भूमि	278	0.800	निजी भूमि
178	0.070	निजी भूमि	280	0.380	निजी भूमि
179	0.220	निजी भूमि	285/1	1.010	निजी भूमि
180	0.080	निजी भूमि	285/2	0.290	निजी भूमि
182	0.150	निजी भूमि	287	0.220	निजी भूमि
183	0.360	निजी भूमि	288	0.280	निजी भूमि
185	0.190	निजी भूमि	289	0.030	निजी भूमि
187	0.280	निजी भूमि	293	0.160	निजी भूमि
188	0.380	निजी भूमि	294	0.200	निजी भूमि
189	0.830	निजी भूमि	302	0.050	निजी भूमि
190	0.680	निजी भूमि	312	0.050	निजी भूमि
192	0.740	निजी भूमि	313	0.080	निजी भूमि
193	0.600	निजी भूमि	319/1	0.050	निजी भूमि
196	0.350	निजी भूमि	1444/65	0.480	निजी भूमि
197/1	0.320	निजी भूमि	1445/66	0.380	निजी भूमि
197/2	0.330	निजी भूमि	1450/301	0.350	निजी भूमि
197/3	0.320	निजी भूमि	1455	0.940	निजी भूमि
198	0.180	निजी भूमि	1456	2.000	निजी भूमि
199	0.170	निजी भूमि	1457	1.840	निजी भूमि
201	1.130	निजी भूमि	1458	2.000	निजी भूमि
202	0.050	निजी भूमि	1459/1	1.040	निजी भूमि
203/1	0.140	निजी भूमि	1460	1.800	निजी भूमि
203/2	0.140	निजी भूमि	1461	1.940	निजी भूमि
204	0.100	निजी भूमि	1462/1	0.620	निजी भूमि
205	0.100	निजी भूमि	1462/2	0.620	निजी भूमि
206	1.200	निजी भूमि	1462/3	0.620	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
1463	1.740	निजी भूमि
1464	1.700	निजी भूमि
1465	2.000	निजी भूमि
1466	0.980	निजी भूमि
1467	2.000	निजी भूमि
1468/1	0.670	निजी भूमि
1468/2	0.660	निजी भूमि
1468/3	0.670	निजी भूमि
1469	1.800	निजी भूमि
1470	1.400	निजी भूमि
1471	1.640	निजी भूमि
1475	2.000	निजी भूमि
1476	0.260	निजी भूमि
1477/1	0.350	निजी भूमि
1477/2	0.330	निजी भूमि
1477/3	0.330	निजी भूमि
1477/4	0.330	निजी भूमि
1477/5	0.330	निजी भूमि
1477/6	0.330	निजी भूमि
1479	1.540	निजी भूमि
1480/1	0.220	निजी भूमि
1480/2	0.700	निजी भूमि
1480/3	0.340	निजी भूमि
1480/4	0.080	निजी भूमि
1480/5	0.100	निजी भूमि
1480/6	0.080	निजी भूमि
1480/7	0.020	निजी भूमि
1481/1	0.500	निजी भूमि
1481/2	0.760	निजी भूमि
1481/3	0.220	निजी भूमि
1481/4	0.060	निजी भूमि
1482/1	0.650	निजी भूमि
1482/2	0.880	निजी भूमि
1483/1	0.950	निजी भूमि
1483/2	0.580	निजी भूमि
1484	1.540	निजी भूमि
1486	1.690	निजी भूमि
1487	1.690	निजी भूमि
1488	0.650	निजी भूमि
1489	1.230	निजी भूमि
1490	2.000	निजी भूमि
1491	1.600	निजी भूमि
1493	0.830	निजी भूमि
1495	1.000	निजी भूमि
1496	1.900	निजी भूमि
1497/1	1.280	निजी भूमि
1498	0.650	निजी भूमि
1499	0.650	निजी भूमि
1501	0.760	निजी भूमि
1502	2.000	निजी भूमि
1503	0.820	निजी भूमि
1504	0.950	निजी भूमि
1505	0.260	निजी भूमि
1506	1.200	निजी भूमि
1507	0.500	निजी भूमि
1508	1.300	निजी भूमि
1509	1.000	निजी भूमि
1510/2	0.720	निजी भूमि
1513	0.480	निजी भूमि
1514	1.400	निजी भूमि
1515	0.270	निजी भूमि
1516/1	0.110	निजी भूमि
1516/2	0.120	निजी भूमि
1516/3	0.120	निजी भूमि
1590/1	0.940	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि . . 190.585

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 197-अ-82-वर्ष 2014-15.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की,

अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अजयगढ़

(ग) ग्राम—बरियारपुर भूमियान, प.ह.नं. 04

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.13 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
326	0.010	निजी भूमि
327	0.260	निजी भूमि
437	0.020	निजी भूमि
438	0.200	निजी भूमि
440	0.640	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	1.130	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत एप्रोच चैनल निर्माण कार्य हेतु .

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 198-अ-82-वर्ष 2014-15.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अजयगढ़

(ग) ग्राम—डुंगरहो, प.ह.नं. 11

(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.04 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
58	0.570	निजी भूमि
60	0.030	निजी भूमि
67	0.020	निजी भूमि
69	0.050	निजी भूमि
70	0.100	निजी भूमि
71	0.150	निजी भूमि
73	0.120	निजी भूमि
75	0.130	निजी भूमि
102/2	0.080	निजी भूमि
112	0.130	निजी भूमि
113	0.040	निजी भूमि
339	0.050	निजी भूमि
340	0.080	निजी भूमि
114	0.040	निजी भूमि
116	0.050	निजी भूमि
267	0.050	निजी भूमि
268	0.110	निजी भूमि
271	0.010	निजी भूमि
272	0.020	निजी भूमि
273	0.080	निजी भूमि
279	0.070	निजी भूमि
278	0.010	निजी भूमि
337	0.160	निजी भूमि
341	0.110	निजी भूमि
342	0.210	निजी भूमि
103	0.060	निजी भूमि
108	0.120	निजी भूमि
269	0.150	निजी भूमि
343	0.020	निजी भूमि
344	0.120	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
338	0.090	निजी भूमि
345	0.610	निजी भूमि
359	0.020	निजी भूमि
360/1	0.030	निजी भूमि
360/2	0.050	निजी भूमि
361	0.020	निजी भूमि
362	0.060	निजी भूमि
369	0.080	निजी भूमि
412/1	0.010	निजी भूमि
412/2	0.010	निजी भूमि
413/1	0.090	निजी भूमि
413/2	0.090	निजी भूमि
454	0.130	निजी भूमि
455	0.090	निजी भूमि
456	0.130	निजी भूमि
457	0.130	निजी भूमि
458	0.080	निजी भूमि
469	0.200	निजी भूमि
459	0.180	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि ..	5.040	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत एप्रोच चैनल निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 199-अ-82-वर्ष 2014-15.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अजयगढ़

(ग) ग्राम—भापतपुर कुर्मियान, प.ह.नं. 04

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.69 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
28/1क	0.250	निजी भूमि
28/1ख	0.200	निजी भूमि
28/1 घ	0.180	निजी भूमि
28/2क	0.760	निजी भूमि
127/2	0.620	निजी भूमि
130/1	0.400	निजी भूमि
130/2	0.400	निजी भूमि
131/1	0.110	निजी भूमि
131/2	0.070	निजी भूमि
134	0.190	निजी भूमि
135	0.110	निजी भूमि
136	0.110	निजी भूमि
137	0.060	निजी भूमि
138	0.110	निजी भूमि
139	0.210	निजी भूमि
140	0.220	निजी भूमि
141	0.280	निजी भूमि
143	0.110	निजी भूमि
166	0.090	निजी भूमि
167	0.210	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि ..	4.690	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत एप्रोच चैनल निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 [क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत]

खरगोन, दिनांक 13 अप्रैल 2016

क्र. 251-भू-अर्जन-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन अधिनियम की धारा 19 (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19(2) के अन्तर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार अनुसूची (3) पर प्रदर्शित है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—सनावद
(ग) ग्राम—बमनगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.480 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
21/2	0.170
21/3	0.146
22	0.307
23/2	0.243
24/1	0.032
24/2	0.210
24/4	0.178
26/1	0.222
26/2	0.215
28/2	0.210
28/4	0.324
63/4	0.162
204/1	0.332
204/7	0.421
205/1, 205/2	0.567
206	0.024
211	0.162
213/4	0.106
226/9	0.008
235	0.038
238/1	0.301
238/2	0.421
238/3	0.049
238/6	0.162
238/7	0.089
238/8	0.032
238/9	0.008
241/1	0.016
241/4	0.012
241/5	0.008
242	0.182
244/2	0.121
245/1	0.105
246/1	0.089
246/2	0.146
246/3	0.073
246/4	0.150
246/5	0.057
249	0.057
250/1	0.409
250/2	0.324
250/4	0.202
250/5	0.251
251/1	0.139
योग . .	7.480

अनुसूची (2)

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खरगोन वृहद ताप विद्युत् परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ निर्माण हेतु.

भू-अर्जन अधिनियम की धारा 19 (1) में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19 (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सार

(1) **वार्षिकी या नियोजन का विकल्प** (1) रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ (न्यूनतम रुपये 5 लाख) का एक बारगी संदाय किया जायेगा. एक एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन होने की दशा में रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ का आनुपातिक मान से पुनर्वास अनुदान संदाय किया जायेगा. जिसका वर्गीकरण इस प्रकार है:—

(अ) एक मुश्त नौकरी के एवज में पुनर्वास अनुदान रुपये 3,00,000/- प्रति एकड़.

(ब) Ex-Gratia रुपये 50,000/- प्रति एकड़.

(स) विशेष अनुदान रुपये 50,000/- प्रति एकड़.

(द) प्रभावितों पर आश्रित नि:शक्तजन, विधवा, परित्यक्तता एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों हेतु पुनर्वास अनुदान रुपये 1,00,000/- प्रति एकड़.

2. एक ही व्यक्ति की एक एकड़ से कम भूमि के दो या दो से अधिक प्रकरण होंगे तो प्रत्येक प्रकरण में पृथक्-पृथक् 5-5 लाख की राशि देय नहीं होगी. सभी प्रकरणों में अर्जित भूमि एक एकड़ से कम है तो रुपये 5,00,000/- देय होगा.

(2) **ग्रामों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायें.**—कार्य योजना के बिन्दु क्रमांक-12 में ग्रामों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिये प्रति ग्राम विकास हेतु राशि रुपये 10,00,000/- प्रति ग्राम प्रति वर्ष तीन वर्ष के लिये दिया जाना प्रावधानित.

(3) **खेतों में आवागमन हेतु मार्ग.**—एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/रोड अवरूद्ध होंगे वहां पर पुल/पुलियाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है. रेल्वे पथ के दोनों ओर खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है.

(4) **शेष बची भूमि का अधिग्रहण.**—कृषक की 75 प्रतिशत/प्रति खसरा भूमि अधिग्रहण की दशा में शेष बची हुई भूमि यदि 0.5 हेक्टर सिंचित या 1 हेक्टर असिंचित या इससे अधिक हो तो शेष भूमि के अधिग्रहण की अनिवार्यता नहीं होगी. इससे कम भूमि का अर्जन भूमिस्वामी की सहमति के आधार पर किया जावेगा.

(5) **सिंचाई हेतु पाईप-लाईन निकालने की अनुमति.**—सिंचाई के लिये पाईप-लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी. यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू-अर्जन से प्रभावित भू-स्वामियों की वर्तमान में प्रभावित हो रही पाईप-लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी.

(6) **संभावित नुकसान भरपाई के लिये विशेष पुनर्वास अनुदान.**—रेल पथ के निर्माण के दौरान प्रभावित कृषकों को संभावित अपरिहार्य क्षति की पूर्ति हेतु राशि रुपये 25,000/- प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना प्रावधानित.

(7) **विशेष पुनर्वास अनुदान (देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि).**—(अ) जमीन वृक्षों तथा मकान का मुआवजा-राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार.

(ब) प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिये प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी कि उसे सिंचित भूमि के लिए रुपये 5 लाख व असिंचित भूमि के लिये रुपये 2.50 लाख प्रति एकड़ भूमि मूल्य प्राप्त हो, इस राशि में से अधिनिर्णित राशि कम करके दी जावेगी.

(8) **प्रशिक्षण.**—एनटीपीसी द्वारा क्षमता निर्माण के लिये परियोजना प्रभावित भू-विस्थापितों और उनके आश्रितों (आमतौर पर प्रति परिवार एक व्यक्ति) के लिये निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाऐं आयोजित की जावेगी:—

1(अ) राज्य के ITI में प्रशिक्षण लेने वाले को छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा.

(ब) प्रभावित व्यक्तियों को मेशन, वारवन्डर, प्लम्बरिंग, कारपेन्टरिंग, शटरिंग, मोटर, ड्राईविंग, पेटिंग आदि का प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं द्वारा दिलाया जायेगा एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा.

(स) कृषि आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा.

(द) प्रभावित व्यक्तियों से विचार-विमर्श करके आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी.

2 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आस-पास के क्षेत्र में राज्य के आई.टी.आई. में प्रशिक्षण प्रयोजित करना एवं विशेष बैच चलाने हेतु समझौते करने का प्रयास किया जावेगा.

(9) **भूमि विकास राशि.**—वर्तमान में इस परियोजना में कोई विस्थापित नहीं हो रहा है, यद्यपि भविष्य में विस्थापित होता है, तो भू-विस्थापितों द्वारा मुआवजा राशि एवं पुनर्वास राशि से खोई हुई जमीन के बराबर वास्तविक खरीदी हुई जमीन के लिये

रुपये 16,000/- प्रति एकड़ की दर से भूमि विकास राशि (अधिकतम 2 हेक्टर) के लिये देय होगी.

(10) **छात्रवृत्ति.**—प्रभावित परिवार के छात्र-छात्राओं को 12वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य शासन के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति की गणना कर राशि एक मुश्त दी जावेगी. अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी. यह छात्रवृत्ति अन्य शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी.

(11) **स्वास्थ्य सेवाएं.**—परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/आश्रितों को एन.टी.पी.सी. परिसर में बनने वाले अस्पताल में परामर्श एवं अन्य जांच हेतु राशि में 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा.

भूमि का नक्शा (प्लान) एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 9 अप्रैल 2016 को अनुमोदित विस्तृत, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) बड़वाह, महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 252-भू-अर्जन-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन अधिनियम की धारा 19 (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19(2) के अन्तर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार अनुसूची (3) पर प्रदर्शित है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—सनावद
(ग) ग्राम—भगोरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.044 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
22/1	0.364
23/1	0.138
23/2	0.010
23/3	0.500
25, 26	0.364
30/1	0.372
30/2	0.283
32/3	0.401
32/5	0.142
32/13	0.065
74	0.405
योग . .	3.044

अनुसूची (2)

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खरगोन वृहद ताप विद्युत् परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ निर्माण हेतु.

भू-अर्जन अधिनियम की धारा 19 (1) में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19 (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सार

(1) **वार्षिकी या नियोजन का विकल्प.**—(1) रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ (न्यूनतम रुपये 5 लाख) का एक बारगी संदाय किया जायेगा. एक एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन होने की दशा में रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ का आनुपातिक मान से पुनर्वास अनुदान संदाय किया जायेगा. जिसका वर्गीकरण इस प्रकार है:—

(अ) एक मुश्त नौकरी के एवज में पुनर्वास अनुदान रुपये 3,00,000/- प्रति एकड़.

(ब) Ex-Gratia रुपये 50,000/- प्रति एकड़.

(स) विशेष अनुदान रुपये 50,000/- प्रति एकड़.

(द) प्रभावितों पर आश्रित नि:शक्तजन, विधवा, परित्यक्तता एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों हेतु पुनर्वास अनुदान रुपये 1.00 लाख प्रति एकड़.

2. एक ही व्यक्ति की एक एकड़ से कम भूमि के दो या दो से अधिक प्रकरण होंगे तो प्रत्येक प्रकरण में पृथक्-पृथक् 5-5 लाख की राशि देय नहीं होगी. सभी प्रकरणों में अर्जित भूमि एक एकड़ से कम है तो रुपये 5,00,000/- देय होगा.

(2) **ग्रामों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायें.**—कार्य योजना के बिन्दु क्रमांक-12 में ग्रामों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिये प्रति ग्राम विकास हेतु राशि रुपये 10,00,000/- प्रति ग्राम प्रति वर्ष तीन वर्ष के लिये दिया जाना प्रावधानित.

(3) **खेतों में आवागमन हेतु मार्ग.**—एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/रोड़ अवरूद्ध होंगे वहां पर पुल/पुलियाओं का निर्माण किय ाजाना प्रस्तावित है. रेल्वे पथ के दोनों ओर खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है.

(4) **शेष बची भूमि का अधिग्रहण.**—कृषक की 75 प्रतिशत/प्रति खसरा भूमि अधिग्रहण की दशा में शेष बची हुई भूमि यदि 0.5 हेक्टर सिंचित या 1 हेक्टर असिंचित या इससे अधिक हो तो शेष भूमि के अधिग्रहण की अनिवार्यता नहीं होगी. इससे कम भूमि का अर्जन भूमिस्वामी की सहमति के आधार पर किया जावेगा.

(5) **सिंचाई हेतु पाईप-लाईन निकालने की अनुमति.**—सिंचाई के लिये पाईप-लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी. यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू-अर्जन से प्रभावित भू-स्वामियों की वर्तमान में प्रभावित हो रही पाईप-लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी.

(6) **संभावित नुकसान भरपाई के लिये विशेष पुनर्वास अनुदान.**—रेल पथ के निर्माण के दौरान प्रभावित कृषकों को संभावित अपरिहार्य क्षति की पूर्ति हेतु राशि रुपये 25,000/- प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना प्रावधानित.

(7) **विशेष पुनर्वास अनुदान (देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि).**—(अ) जमीन वृक्षों तथा मकान का मुआवजा-राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार.

(ब) प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिये प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी कि उसे सिंचित भूमि के लिए रुपये 5 लाख व असिंचित भूमि के लिये रुपये 2.50 लाख प्रति एकड़ भूमि मूल्य प्राप्त हो, इस राशि में से अधिनिर्णित राशि कम करके दी जावेगी.

(8) **प्रशिक्षण.**—एनटीपीसी द्वारा क्षमता निर्माण के लिये परियोजना प्रभावित भू-विस्थापितों और उनके आश्रितों (आमतौर पर प्रति परिवार एक व्यक्ति) के लिये निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाऐं आयोजित की जावेगी:—

1(अ) राज्य के ITI में प्रशिक्षण लेने वाले को छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा.

(ब) प्रभावित व्यक्तियों को मेशन, वारवन्डर, प्लम्बरिंग, कारपेन्टरिंग, शटरिंग, मोटर, ड्राईविंग, पेंटिग आदि का प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं द्वारा दिलाया जायेगा एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा.

(स) कृषि आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा.

(द) प्रभावित व्यक्तियों से विचार-विमर्श करके आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी.

2 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आस-पास के क्षेत्र में राज्य के आई.टी.आई. में प्रशिक्षण प्रयोजित करना एवं विशेष बैच चलाने हेतु समझौते करने का प्रयास किया जावेगा.

(9) **भूमि विकास राशि.**—वर्तमान में इस परियोजना में कोई विस्थापित नहीं हो रहा है, यद्यपि भविष्य में विस्थापित होता है, तो भू-विस्थापितों द्वारा मुआवजा राशि एवं पुनर्वास राशि से खोई हुई जमीन के बराबर वास्तविक खरीदी हुई जमीन के लिये रुपये 16,000/- प्रति एकड़ की दर से भूमि विकास राशि (अधिकतम 2 हेक्टर) के लिये देय होगी.

(10) **छात्रवृत्ति.**—प्रभावित परिवार के छात्र-छात्राओं को 12वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य शासन के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति की गणना कर राशि एक मुश्त दी जावेगी. अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी. यह छात्रवृत्ति अन्य शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी.

(11) **स्वास्थ्य सेवाएं.**—परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/आश्रितों को एन.टी.पी.सी. परिसर में बनने वाले अस्पताल में परामर्श एवं अन्य जांच हेतु राशि में 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा.

भूमि का नक्शा (प्लान) एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 9 अप्रैल 2016 को अनुमोदित विस्तृत, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) बड़वाह, महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 253-भू-अर्जन-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन अधिनियम की धारा 19 (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19(2) के अन्तर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार अनुसूची (3) पर प्रदर्शित है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और

पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की उपधारा 19 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—सनावद
(ग) ग्राम—ढकलगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल—16.262 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
802/1	0.416
802/3	0.210
803/1	0.049
803/4	0.065
813/1	0.053
813/2	0.089
813/3	0.092
813/6	0.210
820	0.251
821/1	0.291
821/6	0.040
821/7	0.020
821/8	0.016
822/1	0.526
822/2	0.316
828/1	0.267
828/2	0.490
828/3	0.060
828/4	0.160
828/5	0.162
828/6	0.154
828/7	0.355
851/3	0.080
851/6	0.120
858	0.862
859/1	0.320
860/1	0.065
(1)	(2)
869	0.125
870/1	0.024
870/2	0.194
879/3	0.275
870/4	0.065
873/1	0.425
873/2	0.243
873/3	0.142
875/1	0.097
876	0.287
877	0.466
878	0.121
879	0.142
883	0.041
884	0.182
1085/1	0.041
1085/2	0.227
1086/1	0.332
1086/2	0.235
1086/3	0.235
1086/4	0.283
1086/5	0.149
1086/6	0.149
1086/7	0.162
1086/8	0.089
1087/1	0.271
1087/2	0.656
1107	0.041
1115/1	0.291
1133/2	0.016
1134	0.134
1136	0.526
1163/1	0.134
1163/2	0.364
1163/3	0.097
1163/5	0.229
1163/9	0.010
1164/1	0.672
1164/3	0.024
1166/1, 1166/2	0.138
1177/6	0.485

(1)	(2)
1177/7	0.121
1177/8	0.024
1177/9	0.004
1177/10	0.045
1178/1	0.235
1178/2	0.057
1179/1	0.061
1179/2	0.053
1179/3	0.048
1179/4	0.061
1180/1	0.152
1180/3	0.032
1180/4	0.032
1181/2	0.595
1181/3	0.099
1181/4	0.085
योग . .	16.262

अनुसूची (2)

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खरगोन वृहद ताप विद्युत् परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ निर्माण हेतु.

भू-अर्जन अधिनियम की धारा 19 (1) में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19 (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सार

(1) **वार्षिकी या नियोजन का विकल्प.**—(1) रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ (न्यूनतम रुपये 5 लाख) का एक बारगी संदाय किया जायेगा. एक एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन होने की दशा में रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ का आनुपातिक मान से पुनर्वास अनुदान संदाय किया जायेगा. जिसका वर्गीकरण इस प्रकार है:—

(अ) एक मुश्त नौकरी के एवज में पुनर्वास अनुदान रुपये 3,00,000/- प्रति एकड़.

(ब) Ex-Gratia रुपये 50,000/- प्रति एकड़.

(स) विशेष अनुदान रुपये 50,000/- प्रति एकड़.

(द) प्रभावितों पर आश्रित निःशक्तजन, विधवा, परित्यक्तता एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों हेतु पुनर्वास अनुदान रुपये 1,00,000/- प्रति एकड़.

2. एक ही व्यक्ति की एक एकड़ से कम भूमि के दो या दो से अधिक प्रकरण होंगे तो प्रत्येक प्रकरण में पृथक्-पृथक् 5-5 लाख की राशि देय नहीं होगी. सभी प्रकरणों में अर्जित भूमि एक एकड़ से कम है तो रुपये 5,00,000/- देय होगा.

(2) **ग्रामों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायें.**—कार्य योजना के बिन्दु क्रमांक-12 में ग्रामों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिये प्रति ग्राम विकास हेतु राशि रुपये 10,00,000/- प्रति ग्राम प्रति वर्ष तीन वर्ष के लिये दिया जाना प्रावधानित.

(3) **खेतों में आवागमन हेतु मार्ग.**—एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/रोड अवरूद्ध होंगे वहां पर पुल/पुलियाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है. रेल्वे पथ के दोनों ओर खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है.

(4) **शेष बची भूमि का अधिग्रहण.**—कृषक की 75 प्रतिशत/प्रति खसरा भूमि अधिग्रहण की दशा में शेष बची हुई भूमि यदि 0.5 हेक्टर सिंचित या 1 हेक्टर असिंचित या इससे अधिक हो तो शेष भूमि के अधिग्रहण की अनिवार्यता नहीं होगी. इससे कम भूमि का अर्जन भूमिस्वामी की सहमति के आधार पर किया जावेगा.

(5) **सिंचाई हेतु पाईप-लाईन निकालने की अनुमति.**—सिंचाई के लिये पाईप-लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी. यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू-अर्जन से प्रभावित भू-स्वामियों की वर्तमान में प्रभावित हो रही पाईप-लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी.

(6) **संभावित नुकसान भरपाई के लिये विशेष पुनर्वास अनुदान.**—रेल पथ के निर्माण के दौरान प्रभावित कृषकों को संभावित अपरिहार्य क्षति की पूर्ति हेतु राशि रुपये 25,000/- प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना प्रावधानित.

(7) **विशेष पुनर्वास अनुदान (देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि).**—(अ) जमीन वृक्षों तथा मकान का मुआवजा-राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार.

(ब) प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिये प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी कि उसे सिंचित भूमि के लिए रुपये 5 लाख व असिंचित भूमि के लिये रुपये 2.50 लाख प्रति एकड़ भूमि मूल्य प्राप्त हो, इस राशि में से अधिनिर्णित राशि कम करके दी जावेगी.

(8) **प्रशिक्षण.**—एनटीपीसी द्वारा क्षमता निर्माण के लिये परियोजना प्रभावित भू-विस्थापितों और उनके आश्रितों (आमतौर पर

प्रति परिवार एक व्यक्ति) के लिये निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाऐं आयोजित की जावेगी:—

1(अ) राज्य के ITI में प्रशिक्षण लेने वाले को छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा.

(ब) प्रभावित व्यक्तियों को मेशन, वारवन्डर, प्लम्बरिंग, कारपेन्टरिंग, शटरिंग, मोटर, ड्राईविंग, पेंटिंग आदि का प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं द्वारा दिलाया जायेगा एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा.

(स) कृषि आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा.

(द) प्रभावित व्यक्तियों से विचार विमर्श करके आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी.

2 परियोजनाओं प्रभावित व्यक्तियों को आस-पास के क्षेत्र में राज्य के आई.टी.आई. में प्रशिक्षण प्रयोजित करना एवं विशेष बैच चलाने हेतु समझौते करने का प्रयास किया जावेगा.

(9) **भूमि विकास राशि.**—वर्तमान में इस परियोजना में कोई विस्थापित नहीं हो रहा है, यद्यपि भविष्य में विस्थापित होता है, तो भू-विस्थापितों द्वारा मुआवजा राशि एवं पुनर्वास राशि से खोई हुई जमीन के बराबर वास्तविक खरीदी हुई जमीन के लिये रुपये 16,000/- प्रति एकड़ की दर से भूमि विकास राशि (अधिकतम 2 हेक्टर) के लिये देय होगी.

(10) **छात्रवृत्ति.**—प्रभावित परिवार के छात्र-छात्राओं को 12वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को राज्यशासन के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति की गणना कर राशि एक मुश्त दी जावेगी. अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी. यह छात्रवृत्ति अन्य शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी.

(11) **स्वास्थ्य सेवाएं.**—परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/आश्रितों को एन.टी.पी.सी. परिसर में बनने वाले अस्पताल में परामर्श एवं अन्य जांच हेतु राशि में 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा.

भूमि का नक्शा (प्लान) एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 9 अप्रैल 2016 को अनुमोदित विस्तृत, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) बड़वाह, महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 254-भू-अर्जन-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन अधिनियम की धारा 19 (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19(2) के अन्तर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार अनुसूची (3) पर प्रदर्शित है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—सनावद

(ग) ग्राम—बालाबाद

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.643 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
20	1.194
77	0.162
78/2	0.097
79	0.057
80	0.478
85/1	0.105
85/6	0.494
86/1	0.113
88/1	0.445
89	0.474
91/1	0.437
93/1	0.421
93/2	0.502
95/2	0.510
115	0.081
116/2	0.223
116/3	0.405
116/4	0.344
116/5	0.101
योग . .	6.643

अनुसूची (2)

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खरगोन वृहद ताप विद्युत् परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ निर्माण हेतु.

अनुसूची (3)
भू-अर्जन अधिनियम की धारा 19 (1) में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19 (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सार

(1) **वार्षिकी या नियोजन का विकल्प.**—(1) रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ (न्यूनतम रुपये 5 लाख) का एक बारगी संदाय किया जायेगा. एक एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन होने की दशा में रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ का आनुपातिक मान से पुनर्वास संदाय किया जायेगा. जिसका वर्गीकरण इस प्रकार है:—

(अ) एक मुश्त नौकरी के एवज में पुनर्वास अनुदान रुपये 3,00,000/- प्रति एकड़.

(ब) Ex-Gratia रुपये 50,000/- प्रति एकड़.

(स) विशेष अनुदान रुपये 50,000/- प्रति एकड़.

(द) प्रभावितों पर आश्रित निःशक्तजन, विधवा, परित्यक्तता एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों हेतु पुनर्वास अनुदान रुपये 1,00,000/- प्रति एकड़.

2. एक ही व्यक्ति की एक एकड़ से कम भूमि के दो या दो से अधिक प्रकरण होंगे तो प्रत्येक प्रकरण में पृथक्-पृथक् 5-5 लाख की राशि देय नहीं होगी. सभी प्रकरणों में अर्जित भूमि एक एकड़ से कम है तो रुपये 5,00,000/- देय होगा.

(2) **ग्रामों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायें.**—कार्य योजना के बिन्दु क्रमांक-12 में ग्रामों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिये प्रति ग्राम विकास हेतु राशि रुपये 10,00,000/- प्रति ग्राम प्रति वर्ष तीन वर्ष के लिये दिया जाना प्रावधानित.

(3) **खेतों में आवागमन हेतु मार्ग.**—एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/रोड़ अवरूद्ध होंगे वहां पर पुल/पुलियाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है. रेल्वे पथ के दोनों ओर खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है.

(4) **शेष बची भूमि का अधिग्रहण.**—कृषक की 75 प्रतिशत/प्रति खसरा भूमि अधिग्रहण की दशा में शेष बची हुई भूमि यदि 0.5 हेक्टर सिंचित या 1 हेक्टर असिंचित या इससे अधिक हो तो शेष भूमि के अधिग्रहण की अनिवार्यता नहीं होगी. इससे कम भूमि का अर्जन भूमिस्वामी की सहमति के आधार पर किया जावेगा.

(5) **सिंचाई हेतु पाईप-लाईन निकालने की अनुमति.**—सिंचाई के लिये पाईप-लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी. यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू-अर्जन से प्रभावित भू-स्वामियों की वर्तमान में प्रभावित हो रही पाईप-लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी.

(6) **संभावित नुकसान भरपाई के लिये विशेष पुनर्वास अनुदान.**—रेल पथ के निर्माण के दौरान प्रभावित कृषकों को संभावित अपरिहार्य क्षति की पूर्ति हेतु राशि रुपये 25,000/- प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना प्रावधानित.

(7) **विशेष पुनर्वास अनुदान (देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि).**—(अ) जमीन वृक्षों तथा मकान का मुआवजा-राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार.

(ब) प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिये प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी कि उसे सिंचित भूमि के लिए रुपये 5 लाख व असिंचित भूमि के लिये रुपये 2.50 लाख प्रति एकड़ भूमि मूल्य प्राप्त हो, इस राशि में से अधिनिर्णित राशि कम करके दी जावेगी.

(8) **प्रशिक्षण.**—एनटीपीसी द्वारा क्षमता निर्माण के लिये परियोजना प्रभावित भू-विस्थापितों और उनके आश्रितों (आमतौर पर प्रति परिवार एक व्यक्ति) के लिये निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाऐं आयोजित की जावेगी:—

1(अ) राज्य के ITI में प्रशिक्षण लेने वाले को छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा.

(ब) प्रभावित व्यक्तियों को मेशन, वारवन्डर, प्लम्बरिंग, कारपेन्टरिंग, शटरिंग, मोटर, ड्राईविंग, पेटिंग आदि का प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं द्वारा दिलाया जायेगा एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा.

(स) कृषि आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा.

(द) प्रभावित व्यक्तियों से विचार-विमर्श करके आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी.

2. परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आस-पास के क्षेत्र में राज्य के आई.टी.आई. में प्रशिक्षण प्रयोजित करना एवं विशेष बैच चलाने हेतु समझौते करने का प्रयास किया जावेगा.

(9) **भूमि विकास राशि.**—वर्तमान में इस परियोजना में कोई विस्थापित नहीं हो रहा है, यद्यपि भविष्य में विस्थापित होता है, तो भू-विस्थापितों द्वारा मुआवजा राशि एवं पुनर्वास राशि से खोई हुई जमीन के बराबर वास्तविक खरीदी हुई जमीन के लिये रुपये 16,000/- प्रति एकड़ की दर से भूमि विकास राशि (अधिकतम 2 हेक्टर) के लिये देय होगी.

(10) **छात्रवृत्ति.**—प्रभावित परिवार के छात्र-छात्राओं को 12वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य शासन के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति की गणना कर राशि एक मुश्त दी जावेगी. अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी. यह छात्रवृत्ति अन्य शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी.

(11) **स्वास्थ्य सेवाएं.**—परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/आश्रितों को एन.टी.पी.सी. परिसर में बनने वाले अस्पताल में परामर्श एवं अन्य जांच हेतु राशि में 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा.

भूमि का नक्शा (प्लान) एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 9 अप्रैल 2016 को अनुमोदित विस्तृत, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) बड़वाह, महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 255-भू-अर्जन-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन अधिनियम की धारा 19 (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19(2) के अन्तर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार अनुसूची (3) पर प्रदर्शित है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—सनावद

(ग) ग्राम—बिराली

(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.530 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
6/1	0.040
6/2	0.344
6/3	0.497
6/4	0.457
9	0.947
10	0.020
11	0.113
12/1	0.787
12/2	0.374
166/8	0.708
166/11	0.182
166/12	0.263
166/13	0.275
167/1	0.623
170/1	0.041
170/2	0.181
171/1	0.328
171/2	0.097
173/1	0.053
173/2	0.093
173/4	0.063
173/12	0.036
174/1	0.167
174/2	0.101
174/3	0.067
174/4	0.166
174/5	0.167
176/1	1.132
176/3	0.160
177/1	0.008
182/2	0.081
187	1.955
209	0.004
योग . .	10.530

अनुसूची (2)

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खरगोन वृहद ताप विद्युत् परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ निर्माण हेतु.

अनुसूची (3)

भू-अर्जन अधिनियम की धारा 19(1) में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19(2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सार

(1) **वार्षिकी या नियोजन का विकल्प.**—(1) रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ (न्यूनतम रुपये 5 लाख) का एक बारगी संदाय किया जायेगा. एक एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन होने की दशा में रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ का आनुपातिक मान से पुनर्वास अनुदान संदाय किया जायेगा. जिसका वर्गीकरण इस प्रकार है:—

(अ) एक मुश्त नौकरी के एवज में पुनर्वास अनुदान रुपये 3,00,000/- प्रति एकड़.

(ब) Ex-Gratia रुपये 50,000/- प्रति एकड़.

(स) विशेष अनुदान रुपये 50,000/- प्रति एकड़.

(द) प्रभावितों पर आश्रित नि:शक्तजन, विधवा, परित्यक्तता एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों हेतु पुनर्वास अनुदान रुपये 1,00,000/- प्रति एकड़.

2. एक ही व्यक्ति की एक एकड़ से कम भूमि के दो या दो से अधिक प्रकरण होंगे तो प्रत्येक प्रकरण में पृथक्-पृथक् 5-5 लाख की राशि देय नहीं होगी. सभी प्रकरणों में अर्जित भूमि एक एकड़ से कम है तो रुपये 5,00,000/- देय होगा.

(2) **ग्रामों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायें.**—कार्य योजन के बिन्दु क्रमांक-12 में ग्रामों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिये प्रति ग्राम विकास हेतु राशि रुपये 10,00,000/- प्रति ग्राम प्रति वर्ष तीन वर्ष कि लिये दिना जाना प्रावधानित.

(3) **खेतों में आवागमन हेतु मार्ग.**—एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/रोड अवरूद्ध होंगे वहां पर पुल/पुलियाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है. रेल्वे पथ के दोनों ओर खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है.

(4) **शेष बची भूमि का अधिग्रहण.**—कृषक की 75 प्रतिशत/प्रति खसरा भूमि अधिग्रहण की दशा में शेष बची हुई भूमि यदि 0.5 हेक्टर सिंचित या 1 हेक्टर असिंचित या इससे अधिक हो तो शेष भूमि के अधिग्रहण की अनिवार्यता नहीं होगी. इससे कम भूमि का अर्जन भूमिस्वामी की सहमति के आधार पर किया जावेगा.

(5) **सिंचाई हेतु पाईप-लाईन निकालने की अनुमति.**—सिंचाई के लिये पाईप-लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी. यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू-अर्जन से प्रभावित भू-स्वामियों की वर्तमान में प्रभावित हो रही पाईप-लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी.

(6) **संभावित नुकसान भरपाई के लिये विशेष पुनर्वास अनुदान.**—रेल पथ के निर्माण के दौरान प्रभावित कृषकों को संभावित अपरिहार्य क्षति की पूर्ति हेतु राशि रुपये 25,000/- प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना प्रावधानित.

(7) **विशेष पुनर्वास अनुदान (देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि).**—(अ) जमीन वृक्षों तथा मकान का मुआवजा-राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार.

(ब) प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिये प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी कि उसे सिंचित भूमि के लिए रुपये 5 लाख व असिंचित भूमि के लिये रुपये 2.50 लाख प्रति एकड़ भूमि मूल्य प्राप्त हो, इस राशि में से अधिनिर्णित राशि कम करके दी जावेगी.

(8) **प्रशिक्षण.**—एनटीपीसी द्वारा क्षमता निर्माण के लिये परियोजना प्रभावित भू-विस्थापितों और उनके आश्रितों (आमतौर पर प्रति परिवार एक व्यक्ति) के लिये निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाऐं आयोजित की जावेगी:—

1(अ) राज्य के ITI में प्रशिक्षण लेने वाले को छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा.

(ब) प्रभावित व्यक्तियों को मेशन, वारवन्डर, प्लम्बरिंग, कारपेन्टरिंग, शटरिंग, मोटर, ड्राईविंग, पेंटिंग आदि का प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं द्वारा दिलाया जायेगा एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा.

(स) कृषि आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा.

(द) प्रभावित व्यक्तियों से विचार विमर्श करके आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी.

2 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आस-पास के क्षेत्र में राज्य के आई.टी.आई. में प्रशिक्षण प्रयोजित करना एवं विशेष बैच चलाने हेतु समझौते करने का प्रयास किया जावेगा.

(9) **भूमि विकास राशि.**—वर्तमान में इस परियोजना में कोई विस्थापित नहीं हो रहा है, यद्यपि भविष्य में विस्थापित होता है, तो भू-विस्थापितों द्वारा मुआवजा राशि एवं पुनर्वास राशि से खोई हुई जमीन के बराबर वास्तविक खरीदी हुई जमीन के लिये रुपये 16,000/- प्रति एकड़ की दर से भूमि विकास राशि (अधिकतम 2 हेक्टर) के लिये देय होगी.

(10) **छात्रवृत्ति.**—प्रभावित परिवार के छात्र-छात्राओं को 12वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य शासन के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति की गणना कर राशि एक मुश्त दी जावेगी. अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी. यह छात्रवृत्ति अन्य शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी.

(11) **स्वास्थ्य सेवाएं.**—परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/आश्रितों को एन.टी.पी.सी. परिसर में बनने वाले अस्पताल में परामर्श एवं अन्य जांच हेतु राशि में 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा.

भूमि का नक्शा (प्लान) एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 9 अप्रैल 2016 को अनुमोदित विस्तृत, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) बड़वाह, महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 256-भू-अर्जन-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन अधिनियम की धारा 19 (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19(2) के अन्तर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार अनुसूची (3) पर प्रदर्शित है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—सनावद

(ग) ग्राम—बैडिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल—14.703 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
192/5	0.016
193	0.708
194	0.041
197	0.283
198/1	0.227
198/2, 199/1	0.404
199/3	0.024
199/7	0.223
199/8	0.105
205	0.631
206/1	0.607
206/2	0.405
207/2	0.032
400	0.182
403	0.377
404	0.453
405	0.041
413	0.166
414	0.445
415	0.308
505/1	0.457
506/3	0.121
510	0.283
524/6	0.243
526/1	0.931
526/2	0.240
527	0.753
533, 534/2, 535/1	0.575
534/3	0.299
534/4, 535/3	0.291
571/5	0.020
571/6	0.365
572	0.346
579/4	0.305
615/3	0.259
615/4	0.142
616/2	0.323
616/3	0.283
618/5	0.016
619/3	0.255
621/1	0.105
621/2	0.049
632, 633	0.227
634/2	0.121
634/3	0.623
635	0.425
636/3	0.595
637/2	0.100
637/3	0.273
योग . .	14.703

अनुसूची (2)

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खरगोन वृहद ताप विद्युत् परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ निर्माण हेतु.

अनुसूची (3)

भू-अर्जन अधिनियम की धारा 19(1) में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19(2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सार

(1) वार्षिकी या नियोजन विकल्प.—(1) रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ (न्यूनतम रुपये 5 लाख) का एक बारगी संदाय किया जायेगा. एक एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन होने की दशा में रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ का आनुपातिक मान से पुनर्वास अनुदान संदाय किया जायेगा. जिसका वर्गीकरण इस प्रकार है:—

(अ) एक मुश्त नौकरी के एवज में पुनर्वास अनुदान रुपये 3,00,000/- प्रति एकड़.

(ब) Ex-Gratia 50,000/- प्रति एकड़.

(स) विशेष अनुदान रुपये 50,000/- प्रति एकड़.

(द) प्रभावितों पर आश्रित निःशक्तजन, विधवा, परित्यक्तता एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों हेतु पुनर्वास अनुदान रुपये 1,00,000/- प्रति एकड़.

2. एक ही व्यक्ति की एक एकड़ से कम भूमि के दो या दो से अधिक प्रकरण होंगे तो प्रत्येक प्रकरण में पृथक्-पृथक् 5-5 लाख की राशि देय नहीं होगी. सभी प्रकरणों में अर्जित भूमि एक एकड़ से कम है तो रुपये 5,00,000/- देय होगा.

(2) **ग्रामों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायें.**—कार्य योजन के बिन्दु क्रमांक-12 में ग्रामों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिये प्रति ग्राम विकास हेतु राशि रुपये 10,00,000/- प्रति ग्राम प्रति वर्ष कि लिये दिना जाना प्रावधानित.

(3) **खेतों में आवागमन हेतु मार्ग.**—एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/रोड अवरूद्ध होंगे वहां पर पुल/पुलियाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है. रेल्वे पथ के दोनों ओर खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है.

(4) **शेष बची भूमि का अधिग्रहण.**—कृषक की 75 प्रतिशत/प्रति खसरा भूमि अधिग्रहण की दशा में शेष बची हुई भूमि यदि 0.5 हेक्टर सिंचित या 1 हेक्टर असिंचित या इससे अधिक हो तो शेष भूमि के अधिग्रहण की अनिवार्यता नहीं होगी. इससे कम भूमि का अर्जन भूमिस्वामी की सहमति के आधार पर किया जावेगा.

(5) **सिंचाई हेतु पाईप-लाईन निकालने की अनुमति.**—सिंचाई के लिये पाईप-लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी. यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू-अर्जन से प्रभावित भू-स्वामियों की वर्तमान में प्रभावित हो रही पाईप-लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी.

(6) **संभावित नुकसान भरपाई के लिये विशेष पुनर्वास अनुदान.**—रेल पथ के निर्माण के दौरान प्रभावित कृषकों को संभावित अपरिहार्य क्षति की पूर्ति हेतु राशि रुपये 25,000/- प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना प्रावधानित.

(7) **विशेष पुनर्वास अनुदान (देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि).**—(अ) जमीन वृक्षों तथा मकान का मुआवजा-राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार.

(ब) प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिये प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी कि उसे सिंचित भूमि के लिए रुपये 5 लाख व असिंचित भूमि के लिये रुपये 2.50 लाख प्रति एकड़ भूमि मूल्य प्राप्त हो, इस राशि में से अधिनिर्णित राशि कम करके दी जावेगी.

(8) **प्रशिक्षण.**—एनटीपीसी द्वारा क्षमता निर्माण के लिये परियोजना प्रभावित भू-विस्थापितों और उनके आश्रितों (आमतौर पर प्रति परिवार एक व्यक्ति) के लिये निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाऐं आयोजित की जावेगी:—

1(अ) राज्य के ITI में प्रशिक्षण लेने वाले को छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा.

(ब) प्रभावित व्यक्तियों को मेशन, वारवन्डर, प्लम्बरिंग, कारपेन्टरिंग, शटरिंग मोटर, ड्राईविंग, पेंटिंग आदि का प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं द्वारा दिलाया जायेगा एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा.

(स) कृषि आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा.

(द) प्रभावित व्यक्तियों से विचार विमर्श करके आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी.

2 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आस-पास के क्षेत्र में राज्य के आई.टी.आई. में प्रशिक्षण प्रयोजित करना एवं विशेष बैच चलाने हेतु समझौते करने का प्रयास किया जावेगा.

(9) **भूमि विकास राशि.**—वर्तमान में इस परियोजना में कोई विस्थापित नहीं हो रहा है, यद्यपि भविष्य में विस्थापित होता है, तो भू-विस्थापितों द्वारा मुआवजा राशि एवं पुनर्वास राशि से खोई हुई जमीन के बराबर वास्तविक खरीदी हुई जमीन के लिये रुपये 16,000/- प्रति एकड़ की दर से भूमि विकास राशि (अधिकतम 2 हेक्टर) के लिये देय होगी.

(10) **छात्रवृत्ति.**—प्रभावित परिवार के छात्र-छात्राओं को 12वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य शासन के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति की गणना कर राशि एक मुश्त दी जावेगी. अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी. यह छात्रवृत्ति अन्य शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी.

(11) **स्वास्थ्य सेवाएं.**—परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/आश्रितों को एन.टी.पी.सी. परिसर में बनने वाले अस्पताल में परामर्श एवं अन्य जांच हेतु राशि में 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा.

भूमि का नक्शा (प्लान) एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 9 अप्रैल 2016 को अनुमोदित विस्तृत, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) बड़वाह, महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 257-भू-अर्जन-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन अधिनियम की धारा 19 (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19(2) के अन्तर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार अनुसूची (3) पर प्रदर्शित है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—सनावद

(ग) ग्राम—टाकली

(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.265हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
215/1	0.121
215/3	0.283
215/4	0.162
215/5	0.081
215/6	0.322
216/2	0.247
216/3	0.397
216/5	0.870
216/6	0.801
217/2	0.065
252	0.173
265	0.886
266/1	0.121
266/2	0.121
267/1	0.170
267/2	0.121
268	0.324
योग . .	5.265

अनुसूची (2)

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खरगोन वृहद ताप विद्युत् परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ निर्माण हेतु.

अनुसूची (3)

भू-अर्जन अधिनियम की धारा 19(1) में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19(2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सार

(1) वार्षिकी या नियोजन विकल्प.—(1) रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ (न्यूनतम रुपये 5 लाख) का एक बारगी संदाय किया जायेगा. एक एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन होने की दशा में रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ का आनुपातिक मान से पुनर्वास अनुदान संदाय किया जायेगा. जिसका वर्गीकरण इस प्रकार है:—

(अ) एक मुश्त नौकरी के एवज में पुनर्वास अनुदान रुपये 3,00,000/- प्रति एकड़.

(ब) Ex-Gratia रुपये 50,000/- प्रति एकड़.

(स) विशेष अनुदान रुपये 50,000/- प्रति एकड़.

(द) प्रभावितों पर आश्रित निःशक्तजन, विधवा, परित्यक्तता एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों हेतु पुनर्वास अनुदान रुपये 1,00,000/- प्रति एकड़.

2. एक ही व्यक्ति की एक एकड़ से कम भूमि के दो या दो से अधिक प्रकरण होंगे तो प्रत्येक प्रकरण में पृथक्-पृथक् 5-5 लाख की राशि देय नहीं होगी. सभी प्रकरणों में अर्जित भूमि एक एकड़ से कम है तो रुपये 5,00,000/- देय होगा.

(2) **ग्रामों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायें.**—कार्य योजना के बिन्दु क्रमांक-12 में ग्रामों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिये प्रति ग्राम विकास हेतु राशि रुपये 10,00,000/- प्रति ग्राम प्रति वर्ष तीन वर्ष के लिये दिया जाना प्रावधानित.

(3) **खेतों में आवागमन हेतु मार्ग.**—एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/रोड़ अवरूद्ध होंगे वहां पर पुल/पुलियाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है. रेल्वे पथ के दोनों ओर खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है.

(4) **शेष बची भूमि का अधिग्रहण.**—कृषक की 75 प्रतिशत/प्रति खसरा भूमि अधिग्रहण की दशा में शेष बची हुई भूमि यदि 0.5 हेक्टर सिंचित या 1 हेक्टर असिंचित या इससे अधिक हो तो शेष भूमि के अधिग्रहण की अनिवार्यता नहीं होगी. इससे कम भूमि का अर्जन भूमिस्वामी की सहमति के आधार पर किया जावेगा.

(5) **सिंचाई हेतु पाईप-लाईन निकालने की अनुमति.**—सिंचाई के लिये पाईप-लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी. यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू-अर्जन से प्रभावित भू-स्वामियों की वर्तमान में प्रभावित हो रही पाईप-लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी.

(6) **संभावित नुकसान भरपाई के लिये विशेष पुनर्वास अनुदान.**—रेल पथ के निर्माण के दौरान प्रभावित कृषकों को संभावित अपरिहार्य क्षति की पूर्ति हेतु राशि रुपये 25,000/- प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना प्रावधानित.

(7) **विशेष पुनर्वास अनुदान (देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि).**—(अ) जमीन वृक्षों तथा मकान का मुआवजा-राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार.

(ब) प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिये प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी कि उसे सिंचित भूमि के लिए रुपये 5 लाख व असिंचित भूमि के लिये रुपये 2.50 लाख प्रति एकड़ भूमि मूल्य प्राप्त हो, इस राशि में से अधिनिर्णित राशि कम करके दी जावेगी.

(8) **प्रशिक्षण.**—एनटीपीसी द्वारा क्षमता निर्माण के लिये परियोजना प्रभावित भू-विस्थापितों और उनके आश्रितों (आमतौर पर प्रति परिवार एक व्यक्ति) के लिये निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाऐं आयोजित की जावेगी:—

1(अ) राज्य के ITI में प्रशिक्षण लेने वाले को छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा.

(ब) प्रभावित व्यक्तियों को मेशन, वारवन्डर, प्लम्बरिंग, कारपेन्टरिंग, शटरिंग, मोटर, ड्राईविंग, पेंटिंग आदि का प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं द्वारा दिलाया जायेगा एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा.

(स) कृषि आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा.

(द) प्रभावित व्यक्तियों से विचार-विमर्श करके आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी.

2 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आस-पास के क्षेत्र में राज्य के आई.टी.आई. में प्रशिक्षण प्रयोजित करना एवं विशेष बैच चलाने हेतु समझौते करने का प्रयास किया जावेगा.

(9) **भूमि विकास राशि.**—वर्तमान में इस परियोजना में कोई विस्थापित नहीं हो रहा है, यद्यपि भविष्य में विस्थापित होता है, तो भू-विस्थापितों द्वारा मुआवजा राशि एवं पुनर्वास राशि से खोई हुई जमीन के बराबर वास्तविक खरीदी हुई जमीन के लिये रुपये 16,000/- प्रति एकड़ की दर से भूमि विकास राशि (अधिकतम 2 हेक्टर) के लिये देय होगी.

(10) **छात्रवृत्ति.**—प्रभावित परिवार के छात्र-छात्राओं को 12वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य शासन के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति की गणना कर राशि एक मुश्त दी जावेगी. अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी. यह छात्रवृत्ति अन्य शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी.

(11) **स्वास्थ्य सेवाएं.**—परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/आश्रितों को एन.टी.पी.सी. परिसर में बनने वाले अस्पताल में परामर्श एवं अन्य जांच हेतु राशि में 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा.

भूमि का नक्शा (प्लान) एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 9 अप्रैल 2016 को अनुमोदित विस्तृत, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) बड़वाह, महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 258-भू-अर्जन-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन अधिनियम की धारा 19 (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19(2) के अन्तर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार अनुसूची (3) पर प्रदर्शित है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—सनावद
(ग) ग्राम—बोदगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.131 हेक्टर

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
19/1	0.324
20	0.138
21/1	0.109
21/2, 66/1	0.130
22/3	0.073
23/1	0.263
24/1	0.109
24/2	0.255
24/4	0.295
24/5	0.008
24/9	0.186
28/1	0.032
28/2	0.736
28/3	0.041
30/3, 31/1	0.012
34/7	0.012
35/1	0.021
35/3	0.182
35/4	0.232
35/5	0.445
35/9	0.006
36/1	0.230
36/2	0.234
40/1	0.437
40/2	0.283
40/3	0.283
68/1	0.020
68/2	0.032
167, 168, 173	0.368
174/1	0.268
174/2	0.206
184	0.089
230	0.567
244/3	0.032
244/4	0.206
244/5	0.352
251/1	0.482
263/1	0.433
योग . .	8.131

अनुसूची (2)

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खरगोन वृहद ताप विद्युत् परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ निर्माण हेतु.

अनुसूची (3)

भू-अर्जन अधिनियम की धारा 19(1) में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19(2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सार

(1) **वार्षिकी या नियोजन का विकल्प** (1) रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ (न्यूनतम रुपये 5 लाख) का एक बारगी संदाय किया जायेगा. एक एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन होने की दशा में रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ का आनुपातिक मान से पुनर्वास अनुदान संदाय किया जायेगा. जिसका वर्गीकरण इस प्रकार है:—

(अ) एक मुश्त नौकरी के एवज में पुनर्वास अनुदान रुपये 3,00,000/- प्रति एकड़.
(ब) Ex-Gratia रुपये 50,000/- प्रति एकड़.
(स) विशेष अनुदान रुपये 50,000/- प्रति एकड़.
(द) प्रभावितों पर आश्रित निःशक्तजन, विधवा, परित्यक्तता एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों हेतु पुनर्वास अनुदान रुपये 1,00,000/- प्रति एकड़.

2. एक ही व्यक्ति की एक एकड़ से कम भूमि के दो या दो से अधिक प्रकरण होंगे तो प्रत्येक प्रकरण में पृथक्-पृथक् 5-5 लाख की राशि देय नहीं होगी. सभी प्रकरणों में अर्जित भूमि एक एकड़ से कम है तो रुपये 5,00,000/- देय होगा.

(2) **ग्रामों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायें.**—कार्य योजना के बिन्दु क्रमांक-12 में ग्रामों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिये प्रति ग्राम विकास हेतु राशि रुपये 10,00,000/- प्रति ग्राम प्रति वर्ष तीन वर्ष कि लिये दिना जाना प्रावधानित.

(3) **खेतों में आवागमन हेतु मार्ग.**—एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/रोड अवरूद्ध होंगे वहां पर पुल/पुलियाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है. रेल्वे पथ के दोनों ओर खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है.

(4) **शेष बची भूमि का अधिग्रहण.**—कृषक की 75 प्रतिशत/प्रति खसरा भूमि अधिग्रहण की दशा में शेष बची हुई भूमि यदि 0.5 हेक्टर सिंचित या 1 हेक्टर असिंचित या इससे अधिक हो तो शेष भूमि के अधिग्रहण की अनिवार्यता नहीं होगी. इससे कम भूमि का अर्जन भूमिस्वामी की सहमति के आधार पर किया जावेगा.

(5) **सिंचाई हेतु पाईप-लाईन निकालने की अनुमति.**—सिंचाई के लिये पाईप-लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिंए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी. यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू-अर्जन से प्रभावित भू-स्वामियों की वर्तमान में प्रभावित हो रही पाईप-लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी.

(6) **संभावित नुकसान भरपाई के लिये विशेष पुनर्वास अनुदान.**—रेल पथ के निर्माण के दौरान प्रभावित कृषकों को संभावित अपरिहार्य क्षति की पूर्ति हेतु राशि रुपये 25,000/- प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना प्रावधानित.

(7) **विशेष पुनर्वास अनुदान (देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि).**—(अ) जमीन वृक्षों तथा मकान का मुआवजा-राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार.

(ब) प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिये प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी कि उसे सिंचित भूमि के लिए रुपये 5 लाख व असिंचित भूमि के लिये रुपये 2.50 लाख प्रति एकड़ भूमि मूल्य प्राप्त हो, इस राशि में से अधिनिर्णित राशि कम करके दी जावेगी.

(8) **प्रशिक्षण.**—एनटीपीसी द्वारा क्षमता निर्माण के लिये परियोजना प्रभावित भू-विस्थापितों और उनके आश्रितों (आमतौर पर प्रति परिवार एक व्यक्ति) के लिये निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाऐं आयोजित की जावेगी:—

1(अ) राज्य के ITI में प्रशिक्षण लेने वाले को छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा.

(ब) प्रभावित व्यक्तियों को मेशन, वारवन्डर, प्लम्बरिंग, कारपेन्टरिंग, शटरिंग, मोटर, ड्राईविंग, पेंटिंग आदि का प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं द्वारा दिलाया जायेगा एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा.

(स) कृषि आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा.

(द) प्रभावित व्यक्तियों से विचार-विमर्श करके आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी.

2 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आस-पास के क्षेत्र में राज्य के आई.टी.आई. में प्रशिक्षण प्रयोजित करना एवं विशेष बैच चलाने हेतु समझौते करने का प्रयास किया जावेगा.

(9) **भूमि विकास राशि.**—वर्तमान में इस परियोजना में कोई विस्थापित नहीं हो रहा है, यद्यपि भविष्य में विस्थापित होता है, तो भू-विस्थापितों द्वारा मुआवजा राशि एवं पुनर्वास राशि से खोई हुई जमीन के बराबर वास्तविक खरीदी हुई जमीन के लिये रुपये 16,000/- प्रति एकड़ की दर से भूमि विकास राशि (अधिकतम 2 हेक्टर) के लिये देय होगी.

(10) **छात्रवृत्ति.**—प्रभावित परिवार के छात्र-छात्राओं को 12वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य शासन के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति की गणना कर राशि एक मुश्त दी जावेगी. अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी. यह छात्रवृत्ति अन्य शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी.

(11) **स्वास्थ्य सेवाएं.**—परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/आश्रितों को एन.टी.पी.सी. परिसर में बनने वाले अस्पताल में परामर्श एवं अन्य जांच हेतु राशि में 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा.

भूमि का नक्शा (प्लान) एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 9 अप्रैल 2016 को अनुमोदित विस्तृत, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) बड़वाह, महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 259-भू-अर्जन-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन अधिनियम की धारा 19 (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19(2) के अन्तर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार अनुसूची (3) पर प्रदर्शित है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—सनावद
(ग) ग्राम—आरसी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—23.674 हेक्टर

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
152/3	0.109
154/1	0.089
154/2	0.360
154/3	0.020
154/4	0.300
154/5	0.142
154/6	0.206
155/2	0.010
163/2	0.235
174/1	0.101
177/2	0.546
179/1	0.010
179/2	0.137
198/1	1.153
198/2	0.870
199	0.567
200	0.607
204/1	0.112
214	0.575
215/1	0.364
215/3	0.601
216	0.992
228	0.567
229	0.890
283/2	0.506
286/2	0.223
286/4	0.316
286/7	0.599
286/8	1.028
286/9	0.200
286/14	0.729
286/15	0.923
286/16	0.200
286/22	0.251
287/1	1.521
287/3	0.931
298/2	0.146
305	0.890
306/1	0.546
310/1	0.522
312/1	0.467
312/3	0.467
313/2	0.830
337/2	1.521
339/2	0.223
339/3	0.404
340/2	0.668
योग . .	23.674

अनुसूची (2)

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खरगोन वृहद ताप विद्युत् परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ निर्माण हेतु.

अनुसूची (3)

भू-अर्जन अधिनियम की धारा 19(1) में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19(2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सार

(1) **वार्षिकी या नियोजन का विकल्प** (1) रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ (न्यूनतम रुपये 5 लाख) का एक बारगी संदाय किया जायेगा. एक एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन होने की दशा में रुपये

5.00 लाख प्रति एकड़ का आनुपातिक मान से पुनर्वास अनुदान संदाय किया जायेगा. जिसका वर्गीकरण इस प्रकार है:—

(अ) एक मुश्त नौकरी के एवज में पुनर्वास अनुदान रुपये 3,00,000/- प्रति एकड़.

(ब) Ex-Gratia रुपये 50,000/- प्रति एकड़.

(स) विशेष अनुदान रुपये 50,000/- प्रति एकड़.

(द) प्रभावितों पर आश्रित निःशक्तजन, विधवा, परित्यक्तता एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों हेतु पुनर्वास अनुदान रुपये 1,00,000/- प्रति एकड़.

2. एक ही व्यक्ति की एक एकड़ से कम भूमि के दो या दो से अधिक प्रकरण होंगे तो प्रत्येक प्रकरण में पृथक्-पृथक् 5-5 लाख की राशि देय नहीं होगी. सभी प्रकरणों में अर्जित भूमि एक एकड़ से कम है तो रुपये 5,00,000/- देय होगा.

(2) **ग्रामों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायें.**—कार्य योजना के बिन्दु क्रमांक-12 में ग्रामों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिये प्रति ग्राम विकास हेतु राशि रुपये 10,00,000/- प्रति ग्राम प्रति वर्ष तीन वर्ष कि लिये दिना जाना प्रावधानित.

(3) **खेतों में आवागमन हेतु मार्ग.**—एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/रोड अवरूद्ध होंगे वहां पर पुल/पुलियाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है. रेल्वे पथ के दोनों ओर खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है.

(4) **शेष बची भूमि का अधिग्रहण.**—कृषक की 75 प्रतिशत/प्रति खसरा भूमि अधिग्रहण की दशा में शेष बची हुई भूमि यदि 0.5 हेक्टर सिंचित या 1 हेक्टर असिंचित या इससे अधिक हो तो शेष भूमि के अधिग्रहण की अनिवार्यता नहीं होगी. इससे कम भूमि का अर्जन भूमिस्वामी की सहमति के आधार पर किया जावेगा.

(5) **सिंचाई हेतु पाईप-लाईन निकालने की अनुमति.**—सिंचाई के लिये पाईप-लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी. यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू-अर्जन से प्रभावित भू-स्वामियों की वर्तमान में प्रभावित हो रही पाईप-लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी.

(6) **संभावित नुकसान भरपाई के लिये विशेष पुनर्वास अनुदान.**—रेल पथ के निर्माण के दौरान प्रभावित कृषकों को संभावित अपरिहार्य क्षति की पूर्ति हेतु राशि रुपये 25,000/- प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना प्रावधानित.

(7) **विशेष पुनर्वास अनुदान (देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि).**—(अ) जमीन वृक्षों तथा मकान का मुआवजा-राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार.

(ब) प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिये प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी कि उसे सिंचित भूमि के लिए रुपये 5 लाख व असिंचित भूमि के लिये रुपये 2.50 लाख प्रति एकड़ भूमि मूल्य प्राप्त हो, इस राशि में से अधिनिर्णित राशि कम करके दी जावेगी.

(8) **प्रशिक्षण.**—एनटीपीसी द्वारा क्षमता निर्माण के लिये परियोजना प्रभावित भू-विस्थापितों और उनके आश्रितों (आमतौर पर प्रति परिवार एक व्यक्ति) के लिये निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाऐं आयोजित की जावेगी:—

1(अ) राज्य के ITI में प्रशिक्षण लेने वाले को छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा.

(ब) प्रभावित व्यक्तियों को मेशन, वारवन्डर, प्लम्बरिंग, कारपेन्टरिंग, शटरिंग, मोटर, ड्राईविंग, पेंटिंग आदि का प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं द्वारा दिलाया जायेगा एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा.

(स) कृषि आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा.

(द) प्रभावित व्यक्तियों से विचार-विमर्श करके आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी.

2 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आस-पास के क्षेत्र में राज्य के आई.टी.आई. में प्रशिक्षण प्रयोजित करना एवं विशेष बैच चलाने हेतु समझौते करने का प्रयास किया जावेगा.

(9) **भूमि विकास राशि.**—वर्तमान में इस परियोजना में कोई विस्थापित नहीं हो रहा है, यद्यपि भविष्य में विस्थापित होता है, तो भू-विस्थापितों द्वारा मुआवजा राशि एवं पुनर्वास राशि से खोई हुई जमीन के बराबर वास्तविक खरीदी हुई जमीन के लिये रुपये 16,000/- प्रति एकड़ की दर से भूमि विकास राशि (अधिकतम 2 हेक्टर) के लिये देय होगी.

(10) **छात्रवृत्ति.**—प्रभावित परिवार के छात्र-छात्राओं को 12वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य शासन के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति की गणना कर राशि एक मुश्त दी जावेगी. अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी. यह छात्रवृत्ति अन्य शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी.

(11) **स्वास्थ्य सेवाएं.**—परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/आश्रितों को एन.टी.पी.सी. परिसर में बनने वाले अस्पताल में परामर्श एवं अन्य जांच हेतु राशि में 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा.

भूमि का नक्शा (प्लान) एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 9 अप्रैल 2016

को अनुमोदित विस्तृत, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) बड़वाह, महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 260-भू-अर्जन-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन अधिनियम की धारा 19 (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19(2) के अन्तर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार अनुसूची (3) पर प्रदर्शित है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—सनावद
(ग) ग्राम—डाल्याखेडी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.872 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
178/1	0.542
179	0.328
180/1, 180/8, 180/9	0.228
180/2	0.251
180/3	0.057
180/4	0.291
180/10	0.008
181/1	0.656
185/1, 185/2, 185/3	0.162
185/4	0.145
185/7	0.008
188	0.024
209	0.696
210	0.142
219/1	0.227
219/2	0.271
220/1	0.344
220/2	0.445
220/3	0.032
220/5	0.008
221/1	0.190
221/2	0.385
222/1	0.215
222/2	0.182
222/3	0.210
222/4	0.215
223/2	0.412
224	0.170
225/1	0.028
योग . .	6.872

अनुसूची (2)

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खरगोन वृहद ताप विद्युत् परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ निर्माण हेतु.

अनुसूची (3)

भू-अर्जन अधिनियम की धारा 19(1) में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19(2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सार

(1) **वार्षिकी या नियोजन का विकल्प** (1) रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ (न्यूनतम रुपये 5 लाख) का एक बारगी संदाय किया जायेगा. एक एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन होने की दशा में रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ का आनुपातिक मान से पुनर्वास अनुदान संदाय किया जायेगा. जिसका वर्गीकरण इस प्रकार है:—

(अ) एक मुश्त नौकरी के एवज में पुनर्वास अनुदान रुपये 3,00,000/- प्रति एकड़.

(ब) Ex-Gratia रुपये 50,000/- प्रति एकड़.

(स) विशेष अनुदान रुपये 50,000/- प्रति एकड़.

(द) प्रभावितों पर आश्रित निःशक्तजन, विधवा, परित्यक्तता एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों हेतु पुनर्वास अनुदान रुपये 1,00,000/- प्रति एकड़.

2. एक ही व्यक्ति की एक एकड़ से कम भूमि के दो या दो से अधिक प्रकरण होंगे तो प्रत्येक प्रकरण में पृथक्-पृथक् 5-5 लाख की राशि देय नहीं होगी. सभी प्रकरणों में अर्जित भूमि एक एकड़ से कम है तो रुपये 5,00,000/- देय होगा.

(2) **ग्रामों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायें.**—कार्य योजना के बिन्दु क्रमांक-12 में ग्रामों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिये प्रति ग्राम विकास हेतु राशि रुपये 10,00,000/- प्रति ग्राम प्रति वर्ष तीन वर्ष कि लिये दिना जाना प्रावधानित.

(3) **खेतों में आवागमन हेतु मार्ग.**—एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/रोड अवरूद्ध होंगे वहां पर पुल/पुलियाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है. रेल्वे पथ के दोनों ओर खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है.

(4) **शेष बची भूमि का अधिग्रहण.**—कृषक की 75 प्रतिशत/प्रति खसरा भूमि अधिग्रहण की दशा में शेष बची हुई भूमि यदि 0.5 हेक्टर सिंचित या 1 हेक्टर असिंचित या इससे अधिक हो तो शेष भूमि के अधिग्रहण की अनिवार्यता नहीं होगी. इससे कम भूमि का अर्जन भूमिस्वामी की सहमति के आधार पर किया जावेगा.

(5) **सिंचाई हेतु पाईप-लाईन निकालने की अनुमति.**—सिंचाई के लिये पाईप-लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी. यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू-अर्जन से प्रभावित भू-स्वामियों की वर्तमान में प्रभावित हो रही पाईप-लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी.

(6) **संभावित नुकसान भरपाई के लिये विशेष पुनर्वास अनुदान.**—रेल पथ के निर्माण के दौरान प्रभावित कृषकों को संभावित अपरिहार्य क्षति की पूर्ति हेतु राशि रुपये 25,000/- प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना प्रावधानित.

(7) **विशेष पुनर्वास अनुदान (देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि).**—(अ) जमीन वृक्षों तथा मकान का मुआवजा-राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार.

(ब) प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिये प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी कि उसे सिंचित भूमि के लिए रुपये 5 लाख व असिंचित भूमि के लिये रुपये 2.50 लाख प्रति एकड़ भूमि मूल्य प्राप्त हो, इस राशि में से अधिनिर्णित राशि कम करके दी जावेगी.

(8) **प्रशिक्षण.**—एनटीपीसी द्वारा क्षमता निर्माण के लिये परियोजना प्रभावित भू-विस्थापितों और उनके आश्रितों (आमतौर पर प्रति परिवार एक व्यक्ति) के लिये निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाऐं आयोजित की जावेगी:—

1(अ) राज्य के ITI में प्रशिक्षण लेने वाले को छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा.

(ब) प्रभावित व्यक्तियों को मेशन, वारवन्डर, प्लम्बरिंग, कारपेन्टरिंग, शटरिंग, मोटर, ड्राईविंग, पेंटिंग आदि का प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं द्वारा दिलाया जायेगा एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा.

(स) कृषि आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा.

(द) प्रभावित व्यक्तियों से विचार-विमर्श करके आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी.

2 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आस-पास के क्षेत्र में राज्य के आई.टी.आई. में प्रशिक्षण प्रयोजित करना एवं विशेष बैच चलाने हेतु समझौते करने का प्रयास किया जावेगा.

(9) **भूमि विकास राशि.**—वर्तमान में इस परियोजना में कोई विस्थापित नहीं हो रहा है, यद्यपि भविष्य में विस्थापित होता है, तो भू-विस्थापितों द्वारा मुआवजा राशि एवं पुनर्वास राशि से खोई हुई जमीन के बराबर वास्तविक खरीदी हुई जमीन के लिये रुपये 16,000/- प्रति एकड़ की दर से भूमि विकास राशि (अधिकतम 2 हेक्टर) के लिये देय होगी.

(10) **छात्रवृत्ति.**—प्रभावित परिवार के छात्र-छात्राओं को 12वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य शासन के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति की गणना कर राशि एक मुश्त दी जावेगी. अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी. यह छात्रवृत्ति अन्य शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी.

(11) **स्वास्थ्य सेवाएं.**—परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/आश्रितों को एन.टी.पी.सी. परिसर में बनने वाले अस्पताल में परामर्श एवं अन्य जांच हेतु राशि में 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा.

भूमि का नक्शा (प्लान) एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 9 अप्रैल 2016 को अनुमोदित विस्तृत, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) बड़वाह, महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 261-भू-अर्जन-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन अधिनियम की धारा 19 (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19(2) के अन्तर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार अनुसूची (3) पर प्रदर्शित है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—सनावद

(ग) ग्राम—बागदा खुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.042 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
13/3	0.412
13/4	0.649
14	1.071
15/1	0.142
15/2	0.243
15/3	0.182
62/2	0.044
62/3	0.008
64/2	0.231
66	0.567
69/1	0.906
69/3	0.243
69/5	0.004
69/6	0.053
69/9	0.287
योग :	5.042

अनुसूची (2)

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खरगोन वृहद ताप विद्युत् परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ निर्माण हेतु.

अनुसूची (3)

भू-अर्जन अधिनियम की धारा 19(1) में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19(2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सार

(1) **वार्षिकी या नियोजन का विकल्प.**—(1) रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ (न्यूनतम रुपये 5 लाख) का एक बारगी संदाय किया जायेगा. एक एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन होने की दशा में रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ का आनुपातिक मान से पुनर्वास अनुदान संदाय किया जायेगा. जिसका वर्गीकरण इस प्रकार है:—

(अ) एक मुश्त नौकरी के एवज में पुनर्वास अनुदान रुपये 3,00,000/- प्रति एकड़.

(ब) Ex-Gratia रुपये 50,000/- प्रति एकड़.

(स) विशेष अनुदान रुपये 50,000/- प्रति एकड़.

(द) प्रभावितों पर आश्रित निःशक्तजन, विधवा, परित्यक्तता एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों हेतु पुनर्वास अनुदान रुपये 1,00,000/- प्रति एकड़.

2. एक ही व्यक्ति की एक एकड़ से कम भूमि के दो या दो से अधिक प्रकरण होंगे तो प्रत्येक प्रकरण में पृथक्-पृथक् 5-5 लाख की राशि देय नहीं होगी. सभी प्रकरणों में अर्जित भूमि एक एकड़ से कम है तो रुपये 5,00,000/- देय होगा.

(2) **ग्रामों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायें.**—कार्य योजना के बिन्दु क्रमांक-12 में ग्रामों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिये प्रति ग्राम विकास हेतु राशि रुपये 10,00,000/- प्रति ग्राम प्रति वर्ष तीन वर्ष के लिये दिया जाना प्रावधानित.

(3) **खेतों में आवागमन हेतु मार्ग.**—एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/रोड अवरूद्ध होंगे वहां पर पुल/पुलियाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है. रेल्वे पथ के दोनों ओर खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है.

(4) **शेष बची भूमि का अधिग्रहण.**—कृषक की 75 प्रतिशत/प्रति खसरा भूमि अधिग्रहण की दशा में शेष बची हुई भूमि यदि 0.5 हेक्टर सिंचित या 1 हेक्टर असिंचित या इससे अधिक हो तो शेष

भूमि के अधिग्रहण की अनिवार्यता नहीं होगी. इससे कम भूमि का अर्जन भूमिस्वामी की सहमति के आधार पर किया जावेगा.

(5) **सिंचाई हेतु पाईप-लाईन निकालने की अनुमति.**—सिंचाई के लिये पाईप-लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी. यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू-अर्जन से प्रभावित भू-स्वामियों की वर्तमान में प्रभावित हो रही पाईप-लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी.

(6) **संभावित नुकसान भरपाई के लिये विशेष पुनर्वास अनुदान.**—रेल पथ के निर्माण के दौरान प्रभावित कृषकों को संभावित अपरिहार्य क्षति की पूर्ति हेतु राशि रुपये 25,000/- प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना प्रावधानित.

(7) **विशेष पुनर्वास अनुदान (देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि).**—(अ) जमीन वृक्षों तथा मकान का मुआवजा-राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार.

(ब) प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिये प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी कि उसे सिंचित भूमि के लिए रुपये 5 लाख व असिंचित भूमि के लिये रुपये 2.50 लाख प्रति एकड़ भूमि मूल्य प्राप्त हो, इस राशि में से अधिनिर्णित राशि कम करके दी जावेगी.

(8) **प्रशिक्षण.**—एनटीपीसी द्वारा क्षमता निर्माण के लिये परियोजना प्रभावित भू-विस्थापितों और उनके आश्रितों (आमतौर पर प्रति परिवार एक व्यक्ति) के लिये निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाऐं आयोजित की जावेगी:—

1(अ) राज्य के ITI में प्रशिक्षण लेने वाले को छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा.

(ब) प्रभावित व्यक्तियों को मेशन, वारवन्डर, प्लम्बरिंग, कारपेन्टरिंग, शटरिंग, मोटर, ड्राईविंग, पेंटिंग आदि का प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं द्वारा दिलाया जायेगा एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा.

(स) कृषि आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा.

(द) प्रभावित व्यक्तियों से विचार-विमर्श करके आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी.

2 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आस-पास के क्षेत्र में राज्य के आई.टी.आई. में प्रशिक्षण प्रयोजित करना एवं विशेष बैच चलाने हेतु समझौते करने का प्रयास किया जावेगा.

(9) **भूमि विकास राशि.**—वर्तमान में इस परियोजना में कोई विस्थापित नहीं हो रहा है, यद्यपि भविष्य में विस्थापित होता है, तो भू-विस्थापितों द्वारा मुआवजा राशि एवं पुनर्वास राशि से खोई हुई जमीन के बराबर वास्तविक खरीदी हुई जमीन के लिये रुपये 16,000/- प्रति एकड़ की दर से भूमि विकास राशि (अधिकतम 2 हेक्टर) के लिये देय होगी.

(10) **छात्रवृत्ति.**—प्रभावित परिवार के छात्र-छात्राओं को 12वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य शासन के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति की गणना कर राशि एक मुश्त दी जावेगी. अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी. यह छात्रवृत्ति अन्य शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी.

(11) **स्वास्थ्य सेवाएं.**—परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/आश्रितों को एन.टी.पी.सी. परिसर में बनने वाले अस्पताल में परामर्श एवं अन्य जांच हेतु राशि में 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा.

भूमि का नक्शा (प्लान) एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 9 अप्रैल 2016 को अनुमोदित विस्तृत, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) बड़वाह, महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 262-भू-अर्जन-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन अधिनियम की धारा 19 (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19(2) के अन्तर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार अनुसूची (3) पर प्रदर्शित है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—सनावद

(ग) ग्राम—खानपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.163 हेक्टर.

खसरा नं. (1)	रकबा (हे. में) (2)
32	0.506
33/1	0.336
33/2	0.041
33/7	0.008
33/9	0.465
34/1	0.340
34/3	0.486
38/2	0.527
38/3	0.004
39/1	0.344
39/2	0.384
44	1.044
45/1	0.322
45/2, 46/1	0.328
51/1	0.028
योग :	5.163

अनुसूची (2)

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खरगोन वृहद ताप विद्युत् परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ निर्माण हेतु.

अनुसूची (3)

भू-अर्जन अधिनियम की धारा 19(1) में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19(2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सार

(1) **वार्षिकी या नियोजन का विकल्प.**—(1) रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ (न्यूनतम रुपये 5 लाख) का एक बारगी संदाय किया जायेगा. एक एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन होने की दशा में रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ का आनुपातिक मान से पुनर्वास अनुदान संदाय किया जायेगा. जिसका वर्गीकरण इस प्रकार है:—

(अ) एक मुश्त नौकरी के एवज में पुनर्वास अनुदान रुपये 3,00,000/- प्रति एकड़.

(ब) Ex-Gratia रुपये 50,000/- प्रति एकड़.

(स) विशेष अनुदान रुपये 50,000/- प्रति एकड़.

(द) प्रभावितों पर आश्रित नि:शक्तजन, विधवा, परित्यक्तता एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों हेतु पुनर्वास अनुदान रुपये 1,00,000/- प्रति एकड़.

2. एक ही व्यक्ति की एक एकड़ से कम भूमि के दो या दो से अधिक प्रकरण होंगे तो प्रत्येक प्रकरण में पृथक्-पृथक् 5-5 लाख की राशि देय नहीं होगी. सभी प्रकरणों में अर्जित भूमि एक एकड़ से कम है तो रुपये 5,00,000/- देय होगा.

(2) **ग्रामों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायें.**—कार्य योजना के बिन्दु क्रमांक-12 में ग्रामों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिये प्रति ग्राम विकास हेतु राशि रुपये 10,00,000/- प्रति ग्राम प्रति वर्ष तीन वर्ष के लिये दिया जाना प्रावधानित.

(3) **खेतों में आवागमन हेतु मार्ग.**—एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/रोड अवरूद्ध होंगे वहां पर पुल/पुलियाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है. रेल्वे पथ के दोनों ओर खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है.

(4) **शेष बची भूमि का अधिग्रहण.**—कृषक की 75 प्रतिशत/प्रति खसरा भूमि अधिग्रहण की दशा में शेष बची हुई भूमि यदि 0.5 हेक्टर सिंचित या 1 हेक्टर असिंचित या इससे अधिक हो तो शेष भूमि के अधिग्रहण की अनिवार्यता नहीं होगी. इससे कम भूमि का अर्जन भूमिस्वामी की सहमति के आधार पर किया जावेगा.

(5) **सिंचाई हेतु पाईप-लाईन निकालने की अनुमति.**—सिंचाई के लिये पाईप-लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी. यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू-अर्जन से प्रभावित भू-स्वामियों की वर्तमान में प्रभावित हो रही पाईप-लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी.

(6) **संभावित नुकसान भरपाई के लिये विशेष पुनर्वास अनुदान.**—रेल पथ के निर्माण के दौरान प्रभावित कृषकों को संभावित अपरिहार्य क्षति की पूर्ति हेतु राशि रुपये 25,000/- प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना प्रावधानित.

(7) **विशेष पुनर्वास अनुदान (देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि).**—(अ) जमीन वृक्षों तथा मकान का मुआवजा-राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार.

(ब) प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिये प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी कि उसे सिंचित भूमि के लिए रुपये 5 लाख व असिंचित

भूमि के लिये रुपये 2.50 लाख प्रति एकड़ भूमि मूल्य प्राप्त हो, इस राशि में से अधिनिर्णित राशि कम करके दी जावेगी.

(8) **प्रशिक्षण.**—एनटीपीसी द्वारा क्षमता निर्माण के लिये परियोजना प्रभावित भू-विस्थापितों और उनके आश्रितों (आमतौर पर प्रति परिवार एक व्यक्ति) के लिये निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाऐं आयोजित की जावेगी:—

1(अ) राज्य के ITI में प्रशिक्षण लेने वाले को छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा.

(ब) प्रभावित व्यक्तियों को मेशन, वारवन्डर, प्लम्बरिंग, कारपेन्टरिंग, शटरिंग, मोटर, ड्राईविंग, पेंटिंग आदि का प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं द्वारा दिलाया जायेगा एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा.

(स) कृषि आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा.

(द) प्रभावित व्यक्तियों से विचार-विमर्श करके आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी.

2 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आस-पास के क्षेत्र में राज्य के आई.टी.आई. में प्रशिक्षण प्रयोजित करना एवं विशेष बैच चलाने हेतु समझौते करने का प्रयास किया जावेगा.

(9) **भूमि विकास राशि.**—वर्तमान में इस परियोजना में कोई विस्थापित नहीं हो रहा है, यद्यपि भविष्य में विस्थापित होता है, तो भू-विस्थापितों द्वारा मुआवजा राशि एवं पुनर्वास राशि से खोई हुई जमीन के बराबर वास्तविक खरीदी हुई जमीन के लिये रुपये 16,000/- प्रति एकड़ की दर से भूमि विकास राशि (अधिकतम 2 हेक्टर) के लिये देय होगी.

(10) **छात्रवृत्ति.**—प्रभावित परिवार के छात्र-छात्राओं को 12वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य शासन के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति की गणना कर राशि एक मुश्त दी जावेगी. अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी. यह छात्रवृत्ति अन्य शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी.

(11) **स्वास्थ्य सेवाएं.**—परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/आश्रितों को एन.टी.पी.सी. परिसर में बनने वाले अस्पताल में परामर्श एवं अन्य जांच हेतु राशि में 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा.

भूमि का नक्शा (प्लान) एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 9 अप्रैल 2016 को अनुमोदित विस्तृत, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) बड़वाह, महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 263-भू-अर्जन-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन अधिनियम की धारा 19 (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19(2) के अन्तर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार अनुसूची (3) पर प्रदर्शित है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—सनावद
(ग) ग्राम—बागदा बुजुर्ग
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.631 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
3/2	0.004
3/5	0.344
4/1	0.668
4/2	0.016
8/3	0.559
10	0.143
16	0.401
34/1	0.247
34/2	0.146
34/3	0.223
34/4	0.202
35	0.223

(1)	(2)
36	0.450
39/5	0.085
47/5	0.049
48	0.498
49	0.386
50	0.987
योग :	5.631

अनुसूची (2)

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खरगोन वृहद ताप विद्युत् परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ निर्माण हेतु.

अनुसूची (3)

भू-अर्जन अधिनियम की धारा 19(1) में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19(2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सार

(1) **वार्षिकी या नियोजन का विकल्प.**—(1) रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ (न्यूनतम रुपये 5 लाख) का एक बारगी संदाय किया जायेगा. एक एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन होने की दशा में रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ का आनुपातिक मान से पुनर्वास अनुदान संदाय किया जायेगा. जिसका वर्गीकरण इस प्रकार है:—

(अ) एक मुश्त नौकरी के एवज में पुनर्वास अनुदान रुपये 3,00,000/- प्रति एकड़.

(ब) Ex-Gratia रुपये 50,000/- प्रति एकड़.

(स) विशेष अनुदान रुपये 50,000/- प्रति एकड़.

(द) प्रभावितों पर आश्रित निःशक्तजन, विधवा, परित्यक्तता एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों हेतु पुनर्वास अनुदान रुपये 1,00,000/- प्रति एकड़.

2. एक ही व्यक्ति की एक एकड़ से कम भूमि के दो या दो से अधिक प्रकरण होंगे तो प्रत्येक प्रकरण में पृथक्-पृथक् 5-5 लाख की राशि देय नहीं होगी. सभी प्रकरणों में अर्जित भूमि एक एकड़ से कम है तो रुपये 5,00,000/- देय होगा.

(2) **ग्रामों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायें.**—कार्य योजना के बिन्दु क्रमांक-12 में ग्रामों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिये प्रति ग्राम विकास हेतु राशि रुपये 10,00,000/- प्रति ग्राम प्रति वर्ष तीन वर्ष के लिये दिया जाना प्रावधानित.

(3) **खेतों में आवागमन हेतु मार्ग.**—एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/रोड अवरूद्ध होंगे वहां पर पुल/पुलियाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है. रेल्वे पथ के दोनों ओर खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है.

(4) **शेष बची भूमि का अधिग्रहण.**—कृषक की 75 प्रतिशत/प्रति खसरा भूमि अधिग्रहण की दशा में शेष बची हुई भूमि यदि 0.5 हेक्टर सिंचित या 1 हेक्टर असिंचित या इससे अधिक हो तो शेष भूमि के अधिग्रहण की अनिवार्यता नहीं होगी. इससे कम भूमि का अर्जन भूमिस्वामी की सहमति के आधार पर किया जावेगा.

(5) **सिंचाई हेतु पाईप-लाईन निकालने की अनुमति.**—सिंचाई के लिये पाईप-लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी. यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू-अर्जन से प्रभावित भू-स्वामियों की वर्तमान में प्रभावित हो रही पाईप-लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी.

(6) **संभावित नुकसान भरपाई के लिये विशेष पुनर्वास अनुदान.**—रेल पथ के निर्माण के दौरान प्रभावित कृषकों को संभावित अपरिहार्य क्षति की पूर्ति हेतु राशि रुपये 25,000/- प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना प्रावधानित.

(7) **विशेष पुनर्वास अनुदान (देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि).**—(अ) जमीन वृक्षों तथा मकान का मुआवजा-राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार.

(ब) प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिये प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी कि उसे सिंचित भूमि के लिए रुपये 5 लाख व असिंचित भूमि के लिये रुपये 2.50 लाख प्रति एकड़ भूमि मूल्य प्राप्त हो, इस राशि में से अधिनिर्णित राशि कम करके दी जावेगी.

(8) **प्रशिक्षण.**—एनटीपीसी द्वारा क्षमता निर्माण के लिये परियोजना प्रभावित भू-विस्थापितों और उनके आश्रितों (आमतौर पर प्रति परिवार एक व्यक्ति) के लिये निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाऐं आयोजित की जावेगी:—

1(अ) राज्य के ITI में प्रशिक्षण लेने वाले को छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा.

(ब) प्रभावित व्यक्तियों को मेशन, वारवन्डर, प्लम्बरिंग, कारपेन्टरिंग, शटरिंग, मोटर, ड्राईविंग, पेंटिंग आदि का प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं द्वारा दिलाया जायेगा एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा.

(स) कृषि आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा.

(द) प्रभावित व्यक्तियों से विचार-विमर्श करके आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी.

2 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आस-पास के क्षेत्र में राज्य के आई.टी.आई. में प्रशिक्षण प्रयोजित करना एवं विशेष बैच चलाने हेतु समझौते करने का प्रयास किया जावेगा.

(9) **भूमि विकास राशि.**—वर्तमान में इस परियोजना में कोई विस्थापित नहीं हो रहा है, यद्यपि भविष्य में विस्थापित होता है, तो भू-विस्थापितों द्वारा मुआवजा राशि एवं पुनर्वास राशि से खोई हुई जमीन के बराबर वास्तविक खरीदी हुई जमीन के लिये रुपये 16,000/- प्रति एकड़ की दर से भूमि विकास राशि (अधिकतम 2 हेक्टर) के लिये देय होगी.

(10) **छात्रवृत्ति.**—प्रभावित परिवार के छात्र-छात्राओं को 12वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य शासन के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति की गणना कर राशि एक मुश्त दी जावेगी. अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी. यह छात्रवृत्ति अन्य शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी.

(11) **स्वास्थ्य सेवाएं.**—परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/आश्रितों को एन.टी.पी.सी. परिसर में बनने वाले अस्पताल में परामर्श एवं अन्य जांच हेतु राशि में 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा.

भूमि का नक्शा (प्लान) एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 9 अप्रैल 2016 को अनुमोदित विस्तृत, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) बड़वाह, महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 264-भू-अर्जन-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन अधिनियम की धारा 19 (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19(2) के अन्तर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार अनुसूची (3) पर प्रदर्शित है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—सनावद

(ग) ग्राम—भातुड

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.052 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
6/1	0.081
7/2	0.453
8/2	0.425
8/7	0.008
9/3	0.008
10/1	0.749
10/2	0.356
10/3	0.393
10/4	0.170
11/1	0.112
11/2	0.008
27/1, 27/2, 28	0.579
29/1	0.113
29/3	0.291
29/4	0.324
56/9, 56/11, 56/13	0.567
56/16	0.004
57/2, 57/3, 57/6	0.399
58/2	0.081
64/1	0.931
योग :	6.052

अनुसूची (2)

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खरगोन वृहद ताप विद्युत् परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ निर्माण हेतु.

अनुसूची (3)

भू-अर्जन अधिनियम की धारा 19(1) में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19(2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सार

(1) **वार्षिकी या नियोजन का विकल्प.**—(1) रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ (न्यूनतम रुपये 5 लाख) का एक बारगी संदाय किया जायेगा. एक एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन होने की दशा में रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ का आनुपातिक मान से पुनर्वास अनुदान संदाय किया जायेगा. जिसका वर्गीकरण इस प्रकार है:—

(अ) एक मुश्त नौकरी के एवज में पुनर्वास अनुदान रुपये 3,00,000/- प्रति एकड़.
(ब) Ex-Gratia रुपये 50,000/- प्रति एकड़.
(स) विशेष अनुदान रुपये 50,000/- प्रति एकड़.
(द) प्रभावितों पर आश्रित नि:शक्तजन, विधवा, परित्यक्तता एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों हेतु पुनर्वास अनुदान रुपये 1,00,000/- प्रति एकड़.

2. एक ही व्यक्ति की एक एकड़ से कम भूमि के दो या दो से अधिक प्रकरण होंगे तो प्रत्येक प्रकरण में पृथक्-पृथक् 5-5 लाख की राशि देय नहीं होगी. सभी प्रकरणों में अर्जित भूमि एक एकड़ से कम है तो रुपये 5,00,000/- देय होगा.

(2) **ग्रामों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायें.**—कार्य योजना के बिन्दु क्रमांक-12 में ग्रामों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिये प्रति ग्राम विकास हेतु राशि रुपये 10,00,000/- प्रति ग्राम प्रति वर्ष तीन वर्ष के लिये दिया जाना प्रावधानित.

(3) **खेतों में आवागमन हेतु मार्ग.**—एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/रोड अवरूद्ध होंगे वहां पर पुल/पुलियाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है. रेल्वे पथ के दोनों ओर खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है.

(4) **शेष बची भूमि का अधिग्रहण.**—कृषक की 75 प्रतिशत/प्रति खसरा भूमि अधिग्रहण की दशा में शेष बची हुई भूमि यदि 0.5 हेक्टर सिंचित या 1 हेक्टर असिंचित या इससे अधिक हो तो शेष भूमि के अधिग्रहण की अनिवार्यता नहीं होगी. इससे कम भूमि का अर्जन भूमिस्वामी की सहमति के आधार पर किया जावेगा.

(5) **सिंचाई हेतु पाईप-लाईन निकालने की अनुमति.**—सिंचाई के लिये पाईप-लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी. यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू-अर्जन से प्रभावित भू-स्वामियों की वर्तमान में प्रभावित हो रही पाईप-लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी.

(6) **संभावित नुकसान भरपाई के लिये विशेष पुनर्वास अनुदान.**—रेल पथ के निर्माण के दौरान प्रभावित कृषकों को संभावित अपरिहार्य क्षति की पूर्ति हेतु राशि रुपये 25,000/- प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना प्रावधानित.

(7) **विशेष पुनर्वास अनुदान (देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि).**—(अ) जमीन वृक्षों तथा मकान का मुआवजा-राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार.

(ब) प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिये प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी कि उसे सिंचित भूमि के लिए रुपये 5 लाख व असिंचित भूमि के लिये रुपये 2.50 लाख प्रति एकड़ भूमि मूल्य प्राप्त हो, इस राशि में से अधिनिर्णित राशि कम करके दी जावेगी.

(8) **प्रशिक्षण.**—एनटीपीसी द्वारा क्षमता निर्माण के लिये परियोजना प्रभावित भू-विस्थापितों और उनके आश्रितों (आमतौर पर प्रति परिवार एक व्यक्ति) के लिये निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाऐं आयोजित की जावेगी:—

1(अ) राज्य के ITI में प्रशिक्षण लेने वाले को छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा.

(ब) प्रभावित व्यक्तियों को मेशन, वारवन्डर, प्लम्बरिंग, कारपेन्टरिंग, शटरिंग, मोटर, ड्राईविंग, पेटिंग आदि का प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं द्वारा दिलाया जायेगा एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा.

(स) कृषि आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा.

(द) प्रभावित व्यक्तियों से विचार-विमर्श करके आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी.

2 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आस-पास के क्षेत्र में राज्य के आई.टी.आई. में प्रशिक्षण प्रयोजित करना एवं विशेष बैच चलाने हेतु समझौते करने का प्रयास किया जावेगा.

(9) **भूमि विकास राशि.**—वर्तमान में इस परियोजना में कोई विस्थापित नहीं हो रहा है, यद्यपि भविष्य में विस्थापित होता है, तो भू-विस्थापितों द्वारा मुआवजा राशि एवं पुनर्वास राशि से खोई हुई

जमीन के बराबर वास्तविक खरीदी हुई जमीन के लिये रुपये 16,000/- प्रति एकड़ की दर से भूमि विकास राशि (अधिकतम 2 हेक्टर) के लिये देय होगी.

(10) **छात्रवृत्ति.**—प्रभावित परिवार के छात्र-छात्राओं को 12वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य शासन के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति की गणना कर राशि एक मुश्त दी जावेगी. अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी. यह छात्रवृत्ति अन्य शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी.

(11) **स्वास्थ्य सेवाएं.**—परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/आश्रितों को एन.टी.पी.सी. परिसर में बनने वाले अस्पताल में परामर्श एवं अन्य जांच हेतु राशि में 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा.

भूमि का नक्शा (प्लान) एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 9 अप्रैल 2016 को अनुमोदित विस्तृत, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) बड़वाह, महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 265-भू-अर्जन-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन अधिनियम की धारा 19 (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19(2) के अन्तर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार अनुसूची (3) पर प्रदर्शित है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—सनावद
(ग) ग्राम—मोखनगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.557 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
23/9	0.380
31	0.425
43	0.397
45/1	0.372
47	0.214
78/1	0.024
78/2	0.101
78/3	0.004
78/5	0.332
78/7	0.255
78/8	0.036
79/2	0.073
87	0.267
103/1	0.579
103/3	0.231
104	0.016
110/4	0.215
110/5	0.146
110/8	0.181
110/9	0.165
110/10	0.182
110/11	0.154
110/12	0.134
110/13	0.130
117/2	1.024
124/1	0.062
124/2	0.115
124/3	0.060
125/1	0.283
योग :	6.557

अनुसूची (2)

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खरगोन वृहद ताप विद्युत् परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ निर्माण हेतु.

अनुसूची (3)

भू-अर्जन अधिनियम की धारा 19(1) में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19(2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सार

(1) **वार्षिकी या नियोजन का विकल्प.**—(1) रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ (न्यूनतम रुपये 5 लाख) का एक बारगी संदाय किया जायेगा. एक एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन होने की दशा में रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ का आनुपातिक मान से पुनर्वास अनुदान संदाय किया जायेगा. जिसका वर्गीकरण इस प्रकार है:—

(अ) एक मुश्त नौकरी के एवज में पुनर्वास अनुदान रुपये 3,00,000/- प्रति एकड़.
(ब) Ex-Gratia रुपये 50,000/- प्रति एकड़.
(स) विशेष अनुदान रुपये 50,000/- प्रति एकड़.
(द) प्रभावितों पर आश्रित निःशक्तजन, विधवा, परित्यक्तता एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों हेतु पुनर्वास अनुदान रुपये 1,00,000/- प्रति एकड़.

2. एक ही व्यक्ति की एक एकड़ से कम भूमि के दो या दो से अधिक प्रकरण होंगे तो प्रत्येक प्रकरण में पृथक्-पृथक् 5-5 लाख की राशि देय नहीं होगी. सभी प्रकरणों में अर्जित भूमि एक एकड़ से कम है तो रुपये 5,00,000/- देय होगा.

(2) **ग्रामों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायें.**—कार्य योजना के बिन्दु क्रमांक-12 में ग्रामों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिये प्रति ग्राम विकास हेतु राशि रुपये 10,00,000/- प्रति ग्राम प्रति वर्ष तीन वर्ष के लिये दिना जाना प्रावधानित.

(3) **खेतों में आवागमन हेतु मार्ग.**—एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/रोड अवरूद्ध होंगे वहां पर पुल/पुलियाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है. रेल्वे पथ के दोनों ओर खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है.

(4) **शेष बची भूमि का अधिग्रहण.**—कृषक की 75 प्रतिशत/प्रति खसरा भूमि अधिग्रहण की दशा में शेष बची हुई भूमि यदि 0.5 हेक्टर सिंचित या 1 हेक्टर असिंचित या इससे अधिक हो तो शेष भूमि के अधिग्रहण की अनिवार्यता नहीं होगी. इससे कम भूमि का अर्जन भूमिस्वामी की सहमति के आधार पर किया जावेगा.

(5) **सिंचाई हेतु पाईप-लाईन निकालने की अनुमति.**—सिंचाई के लिये पाईप-लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी. यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू-अर्जन से प्रभावित भू-स्वामियों की वर्तमान में प्रभावित हो रही पाईप-लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी.

(6) **संभावित नुकसान भरपाई के लिये विशेष पुनर्वास अनुदान.**—रेल पथ के निर्माण के दौरान प्रभावित कृषकों को संभावित अपरिहार्य क्षति की पूर्ति हेतु राशि रुपये 25,000/- प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना प्रावधानित.

(7) **विशेष पुनर्वास अनुदान (देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि).**—(अ) जमीन, वृक्षों तथा मकान का मुआवजा-राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार.

(ब) प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिये प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी कि उसे सिंचित भूमि के लिए रुपये 5 लाख व असिंचित भूमि के लिये रुपये 2.50 लाख प्रति एकड़ भूमि मूल्य प्राप्त हो, इस राशि में से अधिनिर्णित राशि कम करके दी जावेगी.

(8) **प्रशिक्षण.**—एनटीपीसी द्वारा क्षमता निर्माण के लिये परियोजना प्रभावित भू-विस्थापितों और उनके आश्रितों (आमतौर पर प्रति परिवार एक व्यक्ति) के लिये निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाऐं आयोजित की जावेगी:—

1(अ) राज्य के ITI में प्रशिक्षण लेने वाले को छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा.

(ब) प्रभावित व्यक्तियों को मेशन, वारवन्डर, प्लम्बरिंग, कारपेन्टरिंग, शटरिंग, मोटर, ड्राईविंग, पेंटिंग आदि का प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं द्वारा दिलाया जायेगा एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा.

(स) कृषि आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा.

(द) प्रभावित व्यक्तियों से विचार-विमर्श करके आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी.

2 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आस-पास के क्षेत्र में राज्य के आई.टी.आई. में प्रशिक्षण प्रयोजित करना एवं विशेष बैच चलाने हेतु समझौते करने का प्रयास किया जावेगा.

(9) **भूमि विकास राशि.**—वर्तमान में इस परियोजना में कोई विस्थापित नहीं हो रहा है, यद्यपि भविष्य में विस्थापित होता है, तो भू-विस्थापितों द्वारा मुआवजा राशि एवं पुनर्वास राशि से खोई हुई

जमीन के बराबर वास्तविक खरीदी हुई जमीन के लिये रुपये 16,000/- प्रति एकड़ की दर से भूमि विकास राशि (अधिकतम 2 हेक्टर) के लिये देय होगी.

(10) **छात्रवृत्ति.**—प्रभावित परिवार के छात्र-छात्राओं को 12वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य शासन के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति की गणना कर राशि एक मुश्त दी जावेगी. अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी. यह छात्रवृत्ति अन्य शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी.

(11) **स्वास्थ्य सेवाएं.**—परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/आश्रितों को एन.टी.पी.सी. परिसर में बनने वाले अस्पताल में परामर्श एवं अन्य जांच हेतु राशि में 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा.

भूमि का नक्शा (प्लान) एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 9 अप्रैल 2016 को अनुमोदित विस्तृत, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) बड़वाह, महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 266-भू-अर्जन-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन अधिनियम की धारा 19 (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19(2) के अन्तर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार अनुसूची (3) पर प्रदर्शित है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—सनावद
(ग) ग्राम—भोगावां निपानी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.379 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
256/8	0.020
257	0.024
258/1	0.534
259	0.202
260/5	0.073
263/2	0.526
योग :	1.379

अनुसूची (2)

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खरगोन वृहद ताप विद्युत् परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ निर्माण हेतु.

अनुसूची (3)

भू-अर्जन अधिनियम की धारा 19(1) में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19(2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सार

(1) **वार्षिकी या नियोजन का विकल्प** (1) रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ (न्यूनतम रुपये 5 लाख) का एक बारगी संदाय किया जायेगा. एक एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन होने की दशा में रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ का आनुपातिक मान से पुनर्वास अनुदान संदाय किया जायेगा. जिसका वर्गीकरण इस प्रकार है:—

(अ) एक मुश्त नौकरी के एवज में पुनर्वास अनुदान रुपये 3,00,000/- प्रति एकड़.
(ब) Ex-Gratia रुपये 50,000/- प्रति एकड़.
(स) विशेष अनुदान रुपये 50,000/- प्रति एकड़.
(द) प्रभावितों पर आश्रित नि:शक्तजन, विधवा, परित्यक्तता एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों हेतु पुनर्वास अनुदान रुपये 1,00,000/- प्रति एकड़.

2. एक ही व्यक्ति की एक एकड़ से कम भूमि के दो या दो से अधिक प्रकरण होंगे तो प्रत्येक प्रकरण में पृथक्-पृथक् 5-5 लाख की राशि देय नहीं होगी. सभी प्रकरणों में अर्जित भूमि एक एकड़ से कम है तो रुपये 5,00,000/- देय होगा.

(2) **ग्रामों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायें.**—कार्य योजना के बिन्दु क्रमांक-12 में ग्रामों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिये प्रति ग्राम विकास हेतु राशि रुपये 10,00,000/- प्रति ग्राम प्रति वर्ष तीन वर्ष के लिये दिया जाना प्रावधानित.

(3) **खेतों में आवागमन हेतु मार्ग.**—एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/रोड अवरूद्ध होंगे वहां पर पुल/पुलियाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है. रेल्वे पथ के दोनों ओर खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है.

(4) **शेष बची भूमि का अधिग्रहण.**—कृषक की 75 प्रतिशत/प्रति खसरा भूमि अधिग्रहण की दशा में शेष बची हुई भूमि यदि 0.5 हेक्टर सिंचित या 1 हेक्टर असिंचित या इससे अधिक हो तो शेष भूमि के अधिग्रहण की अनिवार्यता नहीं होगी. इससे कम भूमि का अर्जन भूमिस्वामी की सहमति के आधार पर किया जावेगा.

(5) **सिंचाई हेतु पाईप-लाईन निकालने की अनुमति.**—सिंचाई के लिये पाईप-लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी. यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू-अर्जन से प्रभावित भू-स्वामियों की वर्तमान में प्रभावित हो रही पाईप-लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी.

(6) **संभावित नुकसान भरपाई के लिये विशेष पुनर्वास अनुदान.**—रेल पथ के निर्माण के दौरान प्रभावित कृषकों को संभावित अपरिहार्य क्षति की पूर्ति हेतु राशि रुपये 25,000/- प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना प्रावधानित.

(7) **विशेष पुनर्वास अनुदान (देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि).**—(अ) जमीन वृक्षों तथा मकान का मुआवजा-राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार.

(ब) प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिये प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी कि उसे सिंचित भूमि के लिए रुपये 5 लाख व असिंचित भूमि के लिये रुपये 2.50 लाख प्रति एकड़ भूमि मूल्य प्राप्त हो, इस राशि में से अधिनिर्णित राशि कम करके दी जावेगी.

(8) **प्रशिक्षण.**—एनटीपीसी द्वारा क्षमता निर्माण के लिये परियोजना प्रभावित भू-विस्थापितों और उनके आश्रितों (आमतौर पर प्रति परिवार एक व्यक्ति) के लिये निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाऐं आयोजित की जावेगी:—

1(अ) राज्य के ITI में प्रशिक्षण लेने वाले को छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा.

(ब) प्रभावित व्यक्तियों को मेशन, वारवन्डर, प्लम्बरिंग, कारपेन्टरिंग, शटरिंग, मोटर, ड्राईविंग, पेटिंग आदि का प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं द्वारा दिलाया जायेगा एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा.

(स) कृषि आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा.

(द) प्रभावित व्यक्तियों से विचार-विमर्श करके आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी.

2 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आस-पास के क्षेत्र में राज्य के आई.टी.आई. में प्रशिक्षण प्रयोजित करना एवं विशेष बैच चलाने हेतु समझौते करने का प्रयास किया जावेगा.

(9) **भूमि विकास राशि.**—वर्तमान में इस परियोजना में कोई विस्थापित नहीं हो रहा है, यद्यपि भविष्य में विस्थापित होता है, तो भू-विस्थापितों द्वारा मुआवजा राशि एवं पुनर्वास राशि से खोई हुई जमीन के बराबर वास्तविक खरीदी हुई जमीन के लिये रुपये 16,000/- प्रति एकड़ की दर से भूमि विकास राशि (अधिकतम 2 हेक्टर) के लिये देय होगी.

(10) **छात्रवृत्ति.**—प्रभावित परिवार के छात्र-छात्राओं को 12वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य शासन के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति की गणना कर राशि एक मुश्त दी जावेगी. अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृति देय नहीं होगी. यह छात्रवृत्ति अन्य शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी.

(11) **स्वास्थ्य सेवाएं.**—परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/आश्रितों को एन.टी.पी.सी. परिसर में बनने वाले अस्पताल में परामर्श एवं अन्य जांच हेतु राशि में 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा.

भूमि का नक्शा (प्लान) एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 9 अप्रैल 2016 को अनुमोदित विस्तृत, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) बड़वाह, महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 267-भू-अर्जन-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन अधिनियम की धारा 19 (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19(2) के अन्तर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार अनुसूची (3) पर प्रदर्शित है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा

(1) एवं (2) के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—सनावद

(ग) ग्राम—भुगदड़

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.974 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
38/2	0.145
40/1	0.162
40/2	0.533
41/1	0.393
41/2	0.053
41/3	0.223
41/5	0.301
42	0.429
45/5	0.445
45/1, 46/1	0.158
46/4	0.515
46/5	0.024
47	0.109
48/3	0.016
48/9	0.056
57	0.615
58/1	0.615
58/2	0.182
योग :	4.974

अनुसूची (2)

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खरगोन वृहद ताप विद्युत् परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ निर्माण हेतु.

अनुसूची (3)

भू-अर्जन अधिनियम की धारा 19(1) में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19(2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सार

(1) **वार्षिकी या नियोजन का विकल्प.**—(1) रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ (न्यूनतम रुपये 5 लाख) का एक बारगी संदाय किया जायेगा. एक एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन होने की दशा में रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ का आनुपातिक मान से पुनर्वास अनुदान संदाय किया जायेगा. जिसका वर्गीकरण इस प्रकार है:—

(अ) एक मुश्त नौकरी के एवज में पुनर्वास अनुदान रुपये 3,00,000/- प्रति एकड़.

(ब) Ex-Gratia रुपये 50,000/- प्रति एकड़.

(स) विशेष अनुदान रुपये 50,000/- प्रति एकड़.

(द) प्रभावितों पर आश्रित निःशक्तजन, विधवा, परित्यक्तता एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों हेतु पुनर्वास अनुदान रुपये 1,00,000/- प्रति एकड़.

2. एक ही व्यक्ति की एक एकड़ से कम भूमि के दो या दो से अधिक प्रकरण होंगे तो प्रत्येक प्रकरण में पृथक्-पृथक् 5-5 लाख की राशि देय नहीं होगी. सभी प्रकरणों में अर्जित भूमि एक एकड़ से कम है तो रुपये 5,00,000/- देय होगा.

(2) **ग्रामों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायें.**—कार्य योजना के बिन्दु क्रमांक-12 में ग्रामों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिये प्रति ग्राम विकास हेतु राशि रुपये 10,00,000/- प्रति ग्राम प्रति वर्ष तीन वर्ष के लिये दिया जाना प्रावधानित.

(3) **खेतों में आवागमन हेतु मार्ग.**—एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/रोड अवरूद्ध होंगे वहां पर पुल/पुलियाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है. रेल्वे पथ के दोनों ओर खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है.

(4) **शेष बची भूमि का अधिग्रहण.**—कृषक की 75 प्रतिशत/प्रति खसरा भूमि अधिग्रहण की दशा में शेष बची हुई भूमि यदि 0.5 हेक्टर सिंचित या 1 हेक्टर असिंचित या इससे अधिक हो तो शेष भूमि के अधिग्रहण की अनिवार्यता नहीं होगी. इससे कम भूमि का अर्जन भूमिस्वामी की सहमति के आधार पर किया जावेगा.

(5) **सिंचाई हेतु पाईप-लाईन निकालने की अनुमति.**—सिंचाई के लिये पाईप-लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी. यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू-अर्जन से

प्रभावित भू-स्वामियों की वर्तमान में प्रभावित हो रही पाईप-लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी.

(6) **संभावित नुकसान भरपाई के लिये विशेष पुनर्वास अनुदान.**—रेल पथ के निर्माण के दौरान प्रभावित कृषकों को संभावित अपरिहार्य क्षति की पूर्ति हेतु राशि रुपये 25,000/- प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना प्रावधानित.

(7) **विशेष पुनर्वास अनुदान (देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि).**—(अ) जमीन, वृक्षों तथा मकान का मुआवजा-राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार.

(ब) प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिये प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी कि उसे सिंचित भूमि के लिए रुपये 5 लाख व असिंचित भूमि के लिये रुपये 2.50 लाख प्रति एकड़ भूमि मूल्य प्राप्त हो, इस राशि में से अधिनिर्णित राशि कम करके दी जावेगी.

(8) **प्रशिक्षण.**—एनटीपीसी द्वारा क्षमता निर्माण के लिये परियोजना प्रभावित भू-विस्थापितों और उनके आश्रितों (आमतौर पर प्रति परिवार एक व्यक्ति) के लिये निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाऐं आयोजित की जावेगी:—

1(अ) राज्य के ITI में प्रशिक्षण लेने वाले को छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा.

(ब) प्रभावित व्यक्तियों को मेशन, वारवन्डर, प्लम्बरिंग, कारपेन्टरिंग, शटरिंग, मोटर, ड्राईविंग, पेटिंग आदि का प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं द्वारा दिलाया जायेगा एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा.

(स) कृषि आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा.

(द) प्रभावित व्यक्तियों से विचार-विमर्श करके आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी.

2 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आस-पास के क्षेत्र में राज्य के आई.टी.आई. में प्रशिक्षण प्रयोजित करना एवं विशेष बैच चलाने हेतु समझौते करने का प्रयास किया जावेगा.

(9) **भूमि विकास राशि.**—वर्तमान में इस परियोजना में कोई विस्थापित नहीं हो रहा है, यद्यपि भविष्य में विस्थापित होता है, तो भू-विस्थापितों द्वारा मुआवजा राशि एवं पुनर्वास राशि से खोई हुई जमीन के बराबर वास्तविक खरीदी हुई जमीन के लिये रुपये 16,000/- प्रति एकड़ की दर से भूमि विकास राशि (अधिकतम 2 हेक्टर) के लिये देय होगी.

(10) **छात्रवृत्ति.**—प्रभावित परिवार के छात्र-छात्राओं को 12वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य शासन के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति की गणना कर राशि एक मुश्त दी जावेगी. अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी. यह छात्रवृत्ति अन्य शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी.

(11) **स्वास्थ्य सेवाएं.**—परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/आश्रितों को एन.टी.पी.सी. परिसर में बनने वाले अस्पताल में परामर्श एवं अन्य जांच हेतु राशि में 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा.

भूमि का नक्शा (प्लान) एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 9 अप्रैल 2016 को अनुमोदित विस्तृत, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) बड़वाह, महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 268-भू-अर्जन-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन अधिनियम की धारा 19 (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19(2) के अन्तर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार अनुसूची (3) पर प्रदर्शित है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—सनावद

(ग) ग्राम—ढसगांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.602 हेक्टयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
146	0.101

(1)	(2)
147/4	0.805
148	0.364
149/4	0.332
योग :	1.602

अनुसूची (2)

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—खरगोन वृहद ताप विद्युत् परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ निर्माण हेतु.

अनुसूची (3)

भू-अर्जन अधिनियम की धारा 19(1) में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19(2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सार

(1) **वार्षिकी या नियोजन का विकल्प.**—(1) रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ (न्यूनतम रुपये 5 लाख) का एक बारगी संदाय किया जायेगा. एक एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन होने की दशा में रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ का आनुपातिक मान से पुनर्वास अनुदान संदाय किया जायेगा. जिसका वर्गीकरण इस प्रकार है:—

(अ) एक मुश्त नौकरी के एवज में पुनर्वास अनुदान रुपये 3,00,000/- प्रति एकड़.

(ब) Ex-Gratia रुपये 50,000/- प्रति एकड़.

(स) विशेष अनुदान रुपये 50,000/- प्रति एकड़.

(द) प्रभावितों पर आश्रित नि:शक्तजन, विधवा, परित्यक्तता एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों हेतु पुनर्वास अनुदान रुपये 1,00,000/- प्रति एकड़.

2. एक ही व्यक्ति की एक एकड़ से कम भूमि के दो या दो से अधिक प्रकरण होंगे तो प्रत्येक प्रकरण में पृथक्-पृथक् 5-5 लाख की राशि देय नहीं होगी. सभी प्रकरणों में अर्जित भूमि एक एकड़ से कम है तो रुपये 5,00,000/- देय होगा.

(2) **ग्रामों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायें.**—कार्य योजना के बिन्दु क्रमांक-12 में ग्रामों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिये प्रति ग्राम विकास हेतु राशि रुपये 10,00,000/- प्रति ग्राम प्रति वर्ष तीन वर्ष के लिये दिया जाना प्रावधानित.

(3) **खेतों में आवागमन हेतु मार्ग.**—एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/रोड अवरूद्ध होंगे वहां पर पुल/पुलियाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है. रेल्वे पथ के दोनों ओर खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है.

(4) **शेष बची भूमि का अधिग्रहण.**—कृषक की 75 प्रतिशत/प्रति खसरा भूमि अधिग्रहण की दशा में शेष बची हुई भूमि यदि 0.5 हेक्टर सिंचित या 1 हेक्टर असिंचित या इससे अधिक हो तो शेष भूमि के अधिग्रहण की अनिवार्यता नहीं होगी. इससे कम भूमि का अर्जन भूमिस्वामी की सहमति के आधार पर किया जावेगा.

(5) **सिंचाई हेतु पाईप-लाईन निकालने की अनुमति.**—सिंचाई के लिये पाईप-लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी. यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू-अर्जन से प्रभावित भू-स्वामियों की वर्तमान में प्रभावित हो रही पाईप-लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी.

(6) **संभावित नुकसान भरपाई के लिये विशेष पुनर्वास अनुदान.**—रेल पथ के निर्माण के दौरान प्रभावित कृषकों को संभावित अपरिहार्य क्षति की पूर्ति हेतु राशि रुपये 25,000/- प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना प्रावधानित.

(7) **विशेष पुनर्वास अनुदान (देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि).**—(अ) जमीन वृक्षों तथा मकान का मुआवजा-राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार.

(ब) प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिये प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी कि उसे सिंचित भूमि के लिए रुपये 5 लाख व असिंचित भूमि के लिये रुपये 2.50 लाख प्रति एकड़ भूमि मूल्य प्राप्त हो, इस राशि में से अधिनिर्णित राशि कम करके दी जावेगी.

(8) **प्रशिक्षण.**—एनटीपीसी द्वारा क्षमता निर्माण के लिये परियोजना प्रभावित भू-विस्थापितों और उनके आश्रितों (आमतौर पर प्रति परिवार एक व्यक्ति) के लिये निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाऐं आयोजित की जावेगी:—

1(अ) राज्य के ITI में प्रशिक्षण लेने वाले को छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा.

(ब) प्रभावित व्यक्तियों को मेशन, वारवन्डर, प्लम्बरिंग, कारपेन्टरिंग, शटरिंग, मोटर, ड्राईविंग, पेंटिंग आदि का प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं द्वारा दिलाया जायेगा एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा.

(स) कृषि आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा.

(द) प्रभावित व्यक्तियों से विचार-विमर्श करके आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी.

2 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आस-पास के क्षेत्र में राज्य के आई.टी.आई. में प्रशिक्षण प्रयोजित करना एवं विशेष बैच चलाने हेतु समझौते करने का प्रयास किया जावेगा.

(9) **भूमि विकास राशि.**—वर्तमान में इस परियोजना में कोई विस्थापित नहीं हो रहा है, यद्यपि भविष्य में विस्थापित होता है, तो भू-विस्थापितों द्वारा मुआवजा राशि एवं पुनर्वास राशि से खोई हुई जमीन के बराबर वास्तविक खरीदी हुई जमीन के लिये रुपये 16,000/- प्रति एकड़ की दर से भूमि विकास राशि (अधिकतम 2 हेक्टर) के लिये देय होगी.

(10) **छात्रवृत्ति.**—प्रभावित परिवार के छात्र-छात्राओं को 12वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य शासन के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति की गणना कर राशि एक मुश्त दी जावेगी. अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी. यह छात्रवृत्ति अन्य शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी.

(11) **स्वास्थ्य सेवाएं.**—परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/आश्रितों को एन.टी.पी.सी. परिसर में बनने वाले अस्पताल में परामर्श एवं अन्य जांच हेतु राशि में 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा.

भूमि का नक्शा (प्लान) एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 9 अप्रैल 2016 को अनुमोदित विस्तृत, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) बड़वाह, महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 269-भू-अर्जन-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन अधिनियम की धारा 19 (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19(2) के अन्तर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार अनुसूची (3) पर प्रदर्शित है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—सनावद

(ग) ग्राम—चमारदड़

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.583 हेक्टयर.

खसरा नं. (1)	रकबा (हे. में) (2)
31/1	0.313
31/2	0.245
31/3	0.090
31/4	0.255
31/5	0.300
31/6	0.202
31/7	0.223
31/8	0.234
31/16	0.150
31/18	0.125
32/1	0.202
32/2	0.101
32/3	0.550
34	0.101
35/1	0.174
35/2	0.761
35/3	0.395
36	0.162
योग :	4.583

अनुसूची (2)

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खरगोन वृहद ताप विद्युत् परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ निर्माण हेतु.

अनुसूची (3)

भू-अर्जन अधिनियम की धारा 19(1) में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19(2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सार

(1) **वार्षिकी या नियोजन का विकल्प.**—(1) रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ (न्यूनतम रुपये 5 लाख) का एक बारगी संदाय किया जायेगा. एक एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन होने की दशा में रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ का आनुपातिक मान से पुनर्वास अनुदान संदाय किया जायेगा. जिसका वर्गीकरण इस प्रकार है:—

(अ) एक मुश्त नौकरी के एवज में पुनर्वास अनुदान रुपये 3,00,000/- प्रति एकड़.
(ब) Ex-Gratia रुपये 50,000/- प्रति एकड़.
(स) विशेष अनुदान रुपये 50,000/- प्रति एकड़.
(द) प्रभावितों पर आश्रित नि:शक्तजन, विधवा, परित्यक्तता एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों हेतु पुनर्वास अनुदान रुपये 1,00,000/- प्रति एकड़.

2. एक ही व्यक्ति की एक एकड़ से कम भूमि के दो या दो से अधिक प्रकरण होंगे तो प्रत्येक प्रकरण में पृथक्-पृथक् 5-5 लाख की राशि देय नहीं होगी. सभी प्रकरणों में अर्जित भूमि एक एकड़ से कम है तो रुपये 5,00,000/- देय होगा.

(2) **ग्रामों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायें.**—कार्य योजना के बिन्दु क्रमांक-12 में ग्रामों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिये प्रति ग्राम विकास हेतु राशि रुपये 10,00,000/- प्रति ग्राम प्रति वर्ष तीन वर्ष के लिये दिया जाना प्रावधानित.

(3) **खेतों में आवागमन हेतु मार्ग.**—एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/रोड अवरूद्ध होंगे वहां पर पुल/पुलियाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है. रेल्वे पथ के दोनों ओर खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है.

(4) **शेष बची भूमि का अधिग्रहण.**—कृषक की 75 प्रतिशत/प्रति खसरा भूमि अधिग्रहण की दशा में शेष बची हुई भूमि यदि 0.5 हेक्टर सिंचित या 1 हेक्टर असिंचित या इससे अधिक हो तो शेष भूमि के अधिग्रहण की अनिवार्यता नहीं होगी. इससे कम भूमि का अर्जन भूमिस्वामी की सहमति के आधार पर किया जावेगा.

(5) **सिंचाई हेतु पाईप-लाईन निकालने की अनुमति.**—सिंचाई के लिये पाईप-लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी. यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू-अर्जन से प्रभावित भू-स्वामियों की वर्तमान में प्रभावित हो रही पाईप-लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी.

(6) **संभावित नुकसान भरपाई के लिये विशेष पुनर्वास अनुदान.**—रेल पथ के निर्माण के दौरान प्रभावित कृषकों को संभावित अपरिहार्य क्षति की पूर्ति हेतु राशि रुपये 25,000/- प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना प्रावधानित.

(7) **विशेष पुनर्वास अनुदान (देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि).**—(अ) जमीन, वृक्षों तथा मकान का मुआवजा-राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार.

(ब) प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिये प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी कि उसे सिंचित भूमि के लिए रुपये 5 लाख व असिंचित भूमि के लिये रुपये 2.50 लाख प्रति एकड़ भूमि मूल्य प्राप्त हो, इस राशि में से अधिनिर्णित राशि कम करके दी जावेगी.

(8) **प्रशिक्षण.**—एनटीपीसी द्वारा क्षमता निर्माण के लिये परियोजना प्रभावित भू-विस्थापितों और उनके आश्रितों (आमतौर पर प्रति परिवार एक व्यक्ति) के लिये निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाऐं आयोजित की जावेगी:—

1(अ) राज्य के ITI में प्रशिक्षण लेने वाले को छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा.

(ब) प्रभावित व्यक्तियों को मेशन, वारवन्डर, प्लम्बरिंग, कारपेन्टरिंग, शटरिंग, मोटर, ड्राईविंग, पेटिंग आदि का प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं द्वारा दिलाया जायेगा एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा.

(स) कृषि आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा.

(द) प्रभावित व्यक्तियों से विचार-विमर्श करके आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी.

2 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आस-पास के क्षेत्र में राज्य के आई.टी.आई. में प्रशिक्षण प्रयोजित करना एवं विशेष बैच चलाने हेतु समझौते करने का प्रयास किया जावेगा.

(9) **भूमि विकास राशि.**—वर्तमान में इस परियोजना में कोई विस्थापित नहीं हो रहा है, यद्यपि भविष्य में विस्थापित होता है, तो भू-विस्थापितों द्वारा मुआवजा राशि एवं पुनर्वास राशि से खोई हुई

जमीन के बराबर वास्तविक खरीदी हुई जमीन के लिये रुपये 16,000/- प्रति एकड़ की दर से भूमि विकास राशि (अधिकतम 2 हेक्टर) के लिये देय होगी.

(10) **छात्रवृत्ति.**—प्रभावित परिवार के छात्र-छात्राओं को 12वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य शासन के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति की गणना कर राशि एक मुश्त दी जावेगी. अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी. यह छात्रवृत्ति अन्य शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी.

(11) **स्वास्थ्य सेवाएं.**—परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/आश्रितों को एन.टी.पी.सी. परिसर में बनने वाले अस्पताल में परामर्श एवं अन्य जांच हेतु राशि में 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा.

भूमि का नक्शा (प्लान) एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 9 अप्रैल 2016 को अनुमोदित विस्तृत, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) बड़वाह, महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 270-भू-अर्जन-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन अधिनियम की धारा 19 (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19(2) के अन्तर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार अनुसूची (3) पर प्रदर्शित है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

(1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—सनावद
- (ग) ग्राम—गोराडिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.888 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
04	0.888
योग :	0.888

अनुसूची (2)

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—खरगोन वृहद ताप विद्युत् परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ निर्माण हेतु.

अनुसूची (3)

भू-अर्जन अधिनियम की धारा 19(1) में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19(2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सार

(1) **वार्षिकी या नियोजन का विकल्प** (1) रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ (न्यूनतम रुपये 5 लाख) का एक बारगी संदाय किया जायेगा. एक एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन होने की दशा में रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ का आनुपातिक मान से पुनर्वास अनुदान संदाय किया जायेगा. जिसका वर्गीकरण इस प्रकार है:—

- (अ) एक मुश्त नौकरी के एवज में पुनर्वास अनुदान रुपये 3,00,000/- प्रति एकड़.
- (ब) Ex-Gratia रुपये 50,000/- प्रति एकड़.
- (स) विशेष अनुदान रुपये 50,000/- प्रति एकड़.
- (द) प्रभावितों पर आश्रित निःशक्तजन, विधवा, परित्यक्तता एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों हेतु पुनर्वास अनुदान रुपये 1,00,000/- प्रति एकड़.

2. एक ही व्यक्ति की एक एकड़ से कम भूमि के दो या दो से अधिक प्रकरण होंगे तो प्रत्येक प्रकरण में पृथक्-पृथक् 5-5 लाख की राशि देय नहीं होगी. सभी प्रकरणों में अर्जित भूमि एक एकड़ से कम है तो रुपये 5,00,000/- देय होगा.

(2) **ग्रामों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायें.**—कार्य योजना के बिन्दु क्रमांक-12 में ग्रामों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिये प्रति ग्राम विकास हेतु राशि रुपये 10,00,000/- प्रति ग्राम प्रति वर्ष तीन वर्ष के लिये दिया जाना प्रावधानित.

(3) **खेतों में आवागमन हेतु मार्ग.**—एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/रोड अवरूद्ध होंगे वहां पर पुल/पुलियाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है. रेल्वे पथ के दोनों ओर खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है.

(4) **शेष बची भूमि का अधिग्रहण.**—कृषक की 75 प्रतिशत/प्रति खसरा भूमि अधिग्रहण की दशा में शेष बची हुई भूमि यदि 0.5 हेक्टर सिंचित या 1 हेक्टर असिंचित या इससे अधिक हो तो शेष भूमि के अधिग्रहण की अनिवार्यता नहीं होगी. इससे कम भूमि का अर्जन भूमिस्वामी की सहमति के आधार पर किया जावेगा.

(5) **सिंचाई हेतु पाईप-लाईन निकालने की अनुमति.**—सिंचाई के लिये पाईप-लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी. यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू-अर्जन से प्रभावित भू-स्वामियों की वर्तमान में प्रभावित हो रही पाईप-लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी.

(6) **संभावित नुकसान भरपाई के लिये विशेष पुनर्वास अनुदान.**—रेल पथ के निर्माण के दौरान प्रभावित कृषकों को संभावित अपरिहार्य क्षति की पूर्ति हेतु राशि रुपये 25,000/- प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना प्रावधानित.

(7) **विशेष पुनर्वास अनुदान (देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि).**—(अ) जमीन, वृक्षों तथा मकान का मुआवजा-राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार.

(ब) प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिये प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी कि उसे सिंचित भूमि के लिए रुपये 5 लाख व असिंचित भूमि के लिये रुपये 2.50 लाख प्रति एकड़ भूमि मूल्य प्राप्त हो, इस राशि में से अधिनिर्णित राशि कम करके दी जावेगी.

(8) **प्रशिक्षण.**—एनटीपीसी द्वारा क्षमता निर्माण के लिये परियोजना प्रभावित भू-विस्थापितों और उनके आश्रितों (आमतौर पर प्रति परिवार एक व्यक्ति) के लिये निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाऐं आयोजित की जावेगी:—

1(अ) राज्य के ITI में प्रशिक्षण लेने वाले को छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा.

(ब) प्रभावित व्यक्तियों को मेशन, वारवन्डर, प्लम्बरिंग, कारपेन्टरिंग, शटरिंग, मोटर, ड्राईविंग, पेंटिंग आदि का प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं द्वारा दिलाया जायेगा एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा.

(स) कृषि आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा.

(द) प्रभावित व्यक्तियों से विचार-विमर्श करके आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी.

2 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आस-पास के क्षेत्र में राज्य के आई.टी.आई. में प्रशिक्षण प्रयोजित करना एवं विशेष बैच चलाने हेतु समझौते करने का प्रयास किया जावेगा.

(9) **भूमि विकास राशि.**—वर्तमान में इस परियोजना में कोई विस्थापित नहीं हो रहा है, यद्यपि भविष्य में विस्थापित होता है, तो भू-विस्थापितों द्वारा मुआवजा राशि एवं पुनर्वास राशि से खोई हुई जमीन के बराबर वास्तविक खरीदी हुई जमीन के लिये रुपये 16,000/- प्रति एकड़ की दर से भूमि विकास राशि (अधिकतम 2 हेक्टर) के लिये देय होगी.

(10) **छात्रवृत्ति.**—प्रभावित परिवार के छात्र-छात्राओं को 12वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य शासन के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति की गणना कर राशि एक मुश्त दी जावेगी. अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी. यह छात्रवृत्ति अन्य शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी.

(11) **स्वास्थ्य सेवाएं.**—परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/आश्रितों को एन.टी.पी.सी. परिसर में बनने वाले अस्पताल में परामर्श एवं अन्य जांच हेतु राशि में 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा.

भूमि का नक्शा (प्लान) एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 9 अप्रैल 2016 को अनुमोदित विस्तृत, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) बड़वाह, महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 271-भू-अर्जन-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन अधिनियम की धारा 19 (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19(2) के अन्तर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार अनुसूची (3) पर प्रदर्शित है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—सनावद

(ग) ग्राम—भोपालपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.810 हेक्टयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
72/3	0.202
72/4	0.162
73/4	0.251
73/7	0.243
76/1	0.648
78/2	0.356
78/16	0.190
79/4	0.243
79/5	0.121
79/16	0.135
79/18	0.121
79/19	0.138
योग :	2.810

अनुसूची (2)

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खरगोन वृहद ताप विद्युत् परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ निर्माण हेतु.

अनुसूची (3)

भू-अर्जन अधिनियम की धारा 19(1) में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19(2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सार

(1) **वार्षिकी या नियोजन का विकल्प.**—(1) रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ (न्यूनतम रुपये 5 लाख) का एक बारगी संदाय किया जायेगा. एक एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन होने की दशा में रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ का आनुपातिक मान से पुनर्वास अनुदान संदाय किया जायेगा. जिसका वर्गीकरण इस प्रकार है:—

(अ) एक मुश्त नौकरी के एवज में पुनर्वास अनुदान रुपये 3,00,000/- प्रति एकड़.

(ब) Ex-Gratia रुपये 50,000/- प्रति एकड़.

(स) विशेष अनुदान रुपये 50,000/- प्रति एकड़.

(द) प्रभावितों पर आश्रित निःशक्तजन, विधवा, परित्यक्तता एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों हेतु पुनर्वास अनुदान रुपये 1,00,000/- प्रति एकड़.

2. एक ही व्यक्ति की एक एकड़ से कम भूमि के दो या दो से अधिक प्रकरण होंगे तो प्रत्येक प्रकरण में पृथक्-पृथक् 5-5 लाख की राशि देय नहीं होगी. सभी प्रकरणों में अर्जित भूमि एक एकड़ से कम है तो रुपये 5,00,000/- देय होगा.

(2) **ग्रामों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायें.**—कार्य योजना के बिन्दु क्रमांक-12 में ग्रामों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिये प्रति ग्राम विकास हेतु राशि रुपये 10,00,000/- प्रति ग्राम प्रति वर्ष तीन वर्ष के लिये दिया जाना प्रावधानित.

(3) **खेतों में आवागमन हेतु मार्ग.**—एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/रोड अवरूद्ध होंगे वहां पर पुल/पुलियाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है. रेल्वे पथ के दोनों ओर खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है.

(4) **शेष बची भूमि का अधिग्रहण.**—कृषक की 75 प्रतिशत/प्रति खसरा भूमि अधिग्रहण की दशा में शेष बची हुई भूमि यदि 0.5 हेक्टर सिंचित या 1 हेक्टर असिंचित या इससे अधिक हो तो शेष भूमि के अधिग्रहण की अनिवार्यता नहीं होगी. इससे कम भूमि का अर्जन भूमिस्वामी की सहमति के आधार पर किया जावेगा.

(5) **सिंचाई हेतु पाईप-लाईन निकालने की अनुमति.**—सिंचाई के लिये पाईप-लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी. यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू-अर्जन से प्रभावित भू-स्वामियों की वर्तमान में प्रभावित हो रही पाईप-लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी.

(6) **संभावित नुकसान भरपाई के लिये विशेष पुनर्वास अनुदान.**—रेल पथ के निर्माण के दौरान प्रभावित कृषकों को संभावित अपरिहार्य क्षति की पूर्ति हेतु राशि रुपये 25,000/- प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना प्रावधानित.

(7) **विशेष पुनर्वास अनुदान (देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि).**—(अ) जमीन, वृक्षों तथा मकान का मुआवजा-राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार.

(ब) प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिये प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी कि उसे सिंचित भूमि के लिए रुपये 5 लाख व असिंचित भूमि के लिये रुपये 2.50 लाख प्रति एकड़ भूमि मूल्य प्राप्त हो, इस राशि में से अधिनिर्णित राशि कम करके दी जावेगी.

(8) **प्रशिक्षण.**—एनटीपीसी द्वारा क्षमता निर्माण के लिये परियोजना प्रभावित भू-विस्थापितों और उनके आश्रितों (आमतौर पर प्रति परिवार एक व्यक्ति) के लिये निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाऐं आयोजित की जावेगी:—

1(अ) राज्य के ITI में प्रशिक्षण लेने वाले को छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा.

(ब) प्रभावित व्यक्तियों को मेशन, वारवन्डर, प्लम्बरिंग, कारपेन्टरिंग, शटरिंग, मोटर, ड्राईविंग, पेंटिंग आदि का प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं द्वारा दिलाया जायेगा एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा.

(स) कृषि आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा.

(द) प्रभावित व्यक्तियों से विचार-विमर्श करके आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी.

2 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आस-पास के क्षेत्र में राज्य के आई.टी.आई. में प्रशिक्षण प्रयोजित करना एवं विशेष बैच चलाने हेतु समझौते करने का प्रयास किया जावेगा.

(9) **भूमि विकास राशि.**—वर्तमान में इस परियोजना में कोई विस्थापित नहीं हो रहा है, यद्यपि भविष्य में विस्थापित होता है, तो भू-विस्थापितों द्वारा मुआवजा राशि एवं पुनर्वास राशि से खोई हुई जमीन के बराबर वास्तविक खरीदी हुई जमीन के लिये रुपये 16,000/- प्रति एकड़ की दर से भूमि विकास राशि (अधिकतम 2 हेक्टर) के लिये देय होगी.

(10) **छात्रवृत्ति.**—प्रभावित परिवार के छात्र-छात्राओं को 12वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य शासन के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति की गणना कर राशि एक मुश्त दी जावेगी. अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी. यह छात्रवृत्ति अन्य शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी.

(11) **स्वास्थ्य सेवाएं.**—परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/आश्रितों को एन.टी.पी.सी. परिसर में बनने वाले अस्पताल में परामर्श एवं अन्य जांच हेतु राशि में 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा.

भूमि का नक्शा (प्लान) एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 9 अप्रैल 2016 को अनुमोदित विस्तृत, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) बड़वाह, महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 272-भू-अर्जन-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन अधिनियम की धारा 19 (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19(2) के अन्तर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार अनुसूची (3) पर प्रदर्शित है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—सनावद
(ग) ग्राम—तमोलिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.403 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
204/1	0.105
204/2	0.153
206	0.036
209/1	0.101
209/2	0.008
योग :	0.403

अनुसूची (2)

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खरगोन वृहद ताप विद्युत् परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ निर्माण हेतु.

अनुसूची (3)

भू-अर्जन अधिनियम की धारा 19(1) में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19(2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सार

(1) **वार्षिकी या नियोजन का विकल्प.**—(1) रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ (न्यूनतम रुपये 5 लाख) का एक बारगी संदाय किया जायेगा. एक एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन होने की दशा में रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ का आनुपातिक मान से पुनर्वास अनुदान संदाय किया जायेगा. जिसका वर्गीकरण इस प्रकार है:—

(अ) एक मुश्त नौकरी के एवज में पुनर्वास अनुदान रुपये 3,00,000/- प्रति एकड़.
(ब) Ex-Gratia रुपये 50,000/- प्रति एकड़.
(स) विशेष अनुदान रुपये 50,000/- प्रति एकड़.
(द) प्रभावितों पर आश्रित नि:शक्तजन, विधवा, परित्यक्तता एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों हेतु पुनर्वास अनुदान रुपये 1,00,000/- प्रति एकड़.

2. एक ही व्यक्ति की एक एकड़ से कम भूमि के दो या दो से अधिक प्रकरण होंगे तो प्रत्येक प्रकरण में पृथक्-पृथक् 5-5 लाख की राशि देय नहीं होगी. सभी प्रकरणों में अर्जित भूमि एक एकड़ से कम है तो रुपये 5,00,000/- देय होगा.

(2) **ग्रामों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायें.**—कार्य योजना के बिन्दु क्रमांक-12 में ग्रामों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिये प्रति ग्राम विकास हेतु राशि रुपये 10,00,000/- प्रति ग्राम प्रति वर्ष तीन वर्ष के लिये दिया जाना प्रावधानित.

(3) **खेतों में आवागमन हेतु मार्ग.**—एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/रोड अवरूद्ध होंगे वहां पर पुल/पुलियाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है. रेल्वे पथ के दोनों ओर खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है.

(4) **शेष बची भूमि का अधिग्रहण.**—कृषक की 75 प्रतिशत/प्रति खसरा भूमि अधिग्रहण की दशा में शेष बची हुई भूमि यदि 0.5 हेक्टर सिंचित या 1 हेक्टर असिंचित या इससे अधिक हो तो शेष भूमि के अधिग्रहण की अनिवार्यता नहीं होगी. इससे कम भूमि का अर्जन भूमिस्वामी की सहमति के आधार पर किया जावेगा.

(5) **सिंचाई हेतु पाईप-लाईन निकालने की अनुमति.**—सिंचाई के लिये पाईप-लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी. यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू-अर्जन से प्रभावित भू-स्वामियों की वर्तमान में प्रभावित हो रही पाईप-लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी.

(6) **संभावित नुकसान भरपाई के लिये विशेष पुनर्वास अनुदान.**—रेल पथ के निर्माण के दौरान प्रभावित कृषकों को संभावित अपरिहार्य क्षति की पूर्ति हेतु राशि रुपये 25,000/- प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना प्रावधानित.

(7) **विशेष पुनर्वास अनुदान (देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि).**—(अ) जमीन वृक्षों तथा मकान का मुआवजा-राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार.

(ब) प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिये प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी कि उसे सिंचित भूमि के लिए रुपये 5 लाख व असिंचित भूमि के लिये रुपये 2.50 लाख प्रति एकड़ भूमि मूल्य प्राप्त हो, इस राशि में से अधिनिर्णित राशि कम करके दी जावेगी.

(8) **प्रशिक्षण.**—एनटीपीसी द्वारा क्षमता निर्माण के लिये परियोजना प्रभावित भू-विस्थापितों और उनके आश्रितों (आमतौर पर प्रति परिवार एक व्यक्ति) के लिये निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाऐं आयोजित की जावेगी:—

1(अ) राज्य के ITI में प्रशिक्षण लेने वाले को छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा.

(ब) प्रभावित व्यक्तियों को मेशन, वारवन्डर, प्लम्बरिंग, कारपेन्टरिंग, शटरिंग, मोटर, ड्राईविंग, पेटिंग आदि का प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं द्वारा दिलाया जायेगा एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा.

(स) कृषि आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा.

(द) प्रभावित व्यक्तियों से विचार-विमर्श करके आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी.

2 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आस-पास के क्षेत्र में राज्य के आई.टी.आई. में प्रशिक्षण प्रयोजित करना एवं विशेष बैच चलाने हेतु समझौते करने का प्रयास किया जावेगा.

(9) **भूमि विकास राशि.**—वर्तमान में इस परियोजना में कोई विस्थापित नहीं हो रहा है, यद्यपि भविष्य में विस्थापित होता है, तो भू-विस्थापितों द्वारा मुआवजा राशि एवं पुनर्वास राशि से खोई हुई जमीन के बराबर वास्तविक खरीदी हुई जमीन के लिये रुपये 16,000/- प्रति एकड़ की दर से भूमि विकास राशि (अधिकतम 2 हेक्टर) के लिये देय होगी.

(10) **छात्रवृत्ति.**—प्रभावित परिवार के छात्र-छात्राओं को 12वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य शासन के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति की गणना कर राशि एक मुश्त दी जावेगी. अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी. यह छात्रवृत्ति अन्य शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी.

(11) **स्वास्थ्य सेवाएं.**—परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/आश्रितों को एन.टी.पी.सी. परिसर में बनने वाले अस्पताल में परामर्श एवं अन्य जांच हेतु राशि में 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा.

भूमि का नक्शा (प्लान) एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 9 अप्रैल 2016 को अनुमोदित विस्तृत, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) बड़वाह, महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार वर्मा, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर

Jabalpur the 7th April 2016

No. C-1298-II-15-50-87-V.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 8A of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987), as amended by the Legal Services Authorities (Amendement) Act, 1994 (59 of 1994), Hon'ble the Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh, hereby nominates Hon'ble Shri Justice S. K. Seth, Judge of High Court of Madhya Pradesh, Principal Seat Jabalpur, as Chairman of the High Court Legal Services Committee, with immediate effect.

By order and in the name of Hon'ble the Chief Justice,

MANOHAR MAMTANI, *Registrar General.*

जबलपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2016

क्र. 399-गोपनीय-2016-II-2-33-57-(Pt. 12).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के अधिसूचना दिनांक 2/4-03-2002, 14-1-2005, 4-11-2009, 20-5-2011 एवं 30 जुलाई 2013 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालय हेतु उक्त विभाग के आदेश फा. क्रमांक 1-1-2002-इक्कीस-ब (एक)-1231, दिनांक 30 मार्च, 2016 के अंतर्गत नियुक्त मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के कार्यरत, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक तथा अथवा आगामी आदेश होने तक स्तम्भ (3) में वर्णित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ (6) में वर्णित कुटुम्ब न्यायालय में पदस्थ करता है :—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव (जूनियर), विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, धार.	धार	ग्वालियर	अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर की हैसियत से श्री प्रदीप सोनी (सीनियर) स्थान पर. श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव (जूनियर) वर्तमान पदस्थापना के साथ-साथ कुटुम्ब न्यायालय, दतिया का समवर्ती प्रभार (concurrent charge) भी संभालेंगे एवं इस हेतु वे प्रत्येक माह में 7 दिवस के लिये कुटुम्ब न्यायालय, दतिया में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.
2	श्री देव नारायण पाटिल, रजिस्ट्रार, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल.	भोपाल	गुना	प्रधान न्यायालय, कुटुम्ब न्यायालय, गुना की हैसियत से रिक्त स्थान पर. श्री देवनारायण पाटिल वर्तमान पदस्थापना के साथ-साथ कुटुम्ब न्यायालय, अशोकनगर का समवर्ती प्रभार (concurrent charge) भी संभालेंगे एवं इस हेतु वे प्रत्येक माह में 10 दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय, अशोकनगर में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.
3	श्रीमती लक्ष्मी शर्मा, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, उज्जैन.	उज्जैन	रतलाम	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रतलाम की हैसियत से श्री सुरेश चन्द्र पाल के स्थान पर.

टिप्पणी.—उपरोक्त सेवानिवृत्त होने जा रहे न्यायिक अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्तों का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय, नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत होगा.

क्र. 400-गोपनीय-2016-II-2-33-57-(Pt. 12).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्द्वारा, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक स्तम्भ (3) में वर्णित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ (5) में वर्णित कुटुम्ब न्यायालय में पदस्थ करता है :—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री विमल कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रायसेन.	रायसेन	विदिशा	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, विदिशा की हैसियत से रिक्त स्थान पर. श्री विमल कुमार जैन, वर्तमान पदस्थापना के साथ-साथ कुटुम्ब न्यायालय, रायसेन का समवर्ती प्रभार (concurrent charge) भी संभालेंगे एवं इस हेतु वे प्रत्येक माह में 7 दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय, रायसेन में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.

क्र. 402-गोपनीय-2016-दो-2-1-2016-(भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस् एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा-1-2-90-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 26-10-1995 अधिसूचना क्रमांक फा. 1-2-90-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 19-2-97 एवं क्रमांक 1-2-90-इक्कीस-अ(एक), दिनांक 7-5-99 तथा क्रमांक फा. 1-2-90/21-ब (एक), दिनांक 4-5-2007 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 की संख्या 33) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ (7) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	सत्र खण्ड का नाम	न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी	विशेष न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव (जूनियर).	छिन्दवाड़ा	बालाघाट	बालाघाट	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यया़लय में.	बालाघाट
2	श्री भरत सिंह औहरिया	दतिया	रतलाम	रतलाम	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री धीमन नारायण शुक्ला के स्थान पर.	रतलाम

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	श्री श्याम कांत कुलकर्णी	सीहोर	सीहोर	सीहोर	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री दिलीप कुमार मिश्रा के स्थान पर.	सीहोर
4	डॉ. जगदीश चन्द्र सुनहरे	सीधी	धार	धार	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव (जूनियर) के स्थान पर.	धार

टिप्पणी.—

(1) आदेश क्रमांक 355/गोपनीय/2016, दिनांक 26 मार्च, 2016, जहां तक इसका संबंध श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव (जूनियर), विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण), अधिनियम, छिन्दवाड़ा का, छिन्दवाड़ा से गुना स्थानांतरण से है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

(2) आदेश क्रमांक 355/गोपनीय/2016, दिनांक 26 मार्च, 2016, जहां तक इसका संबंध श्री भरत सिंह औहरिया, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण), अधिनियम, दतिया का, दतिया से रतलाम स्थानांतरण से है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

(3) आदेश क्रमांक 309/गोपनीय/2016, दिनांक 14 मार्च, 2016 जहां तक इसका संबंध डॉ. जगदीश चन्द्र सुनहरे, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण), अधिनियम, सीधी का, सीधी से सीहोर स्थानांतरण से है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

क्र. 403-गोपनीय-2016-दो-2-1-2016-(भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2. सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्याययाल की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री प्रदीप सोनी (सीनियर), अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर.	ग्वालियर	बासौदा	विदिशा	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

जबलपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2016

क्र. 413-गोपनीय-2016-दो-3-1-2016.—(1) रजिस्ट्री स्थानांतरण आदेश क्रमांक 302/गोपनीय/2016, दिनांक 14 मार्च 2016 के तारतम्य में, निम्न मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 को सूचित किया जाता है कि उक्त आदेश के विरुद्ध उनके द्वारा दिया गया अभ्यावेदन उच्च न्यायालय द्वारा विचारोपरांत निरस्त कर दिया गया है. वे आदेश में निर्देशित दिनांक को अपनी नवीन पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें एवं तद् की सूचना इस रजिस्ट्री को यथाशीघ्र प्रेषित करें.—

1. श्री संजय पाल सिंह बुंदेला, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, भोपाल.
2. श्री सुनील कुमार मिश्रा, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, कटनी.
3. श्री दिलीप गुप्ता, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, इंदौर.
4. श्री सुरेश कुमार चौबे (जूनियर), सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, इंदौर.
5. श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, धार.
6. श्री नवीन कुमार शर्मा, सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, ग्वालियर.
7. श्री संजीव कुमार गुप्ता, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, नीमच.

(2) रजिस्ट्री स्थानांतरण आदेश क्रमांक 304/गोपनीय/2016, दिनांक 14 मार्च 2016 के तारतम्य में, निम्न व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 को सूचित किया जाता है कि उक्त आदेश के विरुद्ध उनके द्वारा दिया गया अभ्यावेदन उच्च न्यायालय द्वारा विचारोपरांत निरस्त कर दिया गया है. वे आदेश में निर्देशित दिनांक को अपनी नवीन पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें एवं तद् की सूचना इस रजिस्ट्री को यथाशीघ्र प्रेषित करें.—

1. श्री सुशील कुमार जोशी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, मंदसौर.
2. श्री राजेन्द्र देवड़ा, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, अलीराजपुर.
3. श्री उत्तम कुमार डार्वी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, नीमच के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, नीमच.

(3) रजिस्ट्री स्थानांतरण आदेश क्रमांक 296/गोपनीय/2016, दिनांक 14 मार्च 2016 के तारतम्य में, निम्न व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के पद पर पदोन्नति के आदेश के अधीन) को सूचित किया जाता है कि उक्त आदेश के विरुद्ध उनके द्वारा दिया गया अभ्यावेदन, उच्च न्यायालय द्वारा विचारोपरांत निरस्त कर दिया गया है. वे आदेश में निर्देशित दिनांक को अपनी नवीन पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें एवं तद् की सूचना इस रजिस्ट्री को यथाशीघ्र प्रेषित करें.—

1. श्री अभिषेक सक्सेना, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, बुरहानपुर.
2. श्री सुधांशु सिन्हा, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, जबलपुर.
3. श्री मनोज कुमार राठी, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, इंदौर.
4. श्री जफर इकबाल, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, होशंगाबाद.
5. कुमारी ज्योति राजपूत, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, अनूपपुर.
6. श्री चित्रेन्द्र सिंह सोलंकी, पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, इंदौर.
7. श्री वैभव सक्सेना, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, इटारसी जिला होशंगाबाद.
8. श्री अभिषेक गोयल, चतुर्थ, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, मुरैना.

क्र. 415-गोपनीय-2016-दो-3-1-2016 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2, सन् 1974) की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ (5) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री सुनील मालवीय,	कसरावद	नारायणगढ़	मंदसौर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से, रिक्त न्यायालय में.
2	श्री शशि भूषण शर्मा,	इंदौर	कसरावद	मण्डलेश्वर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से, श्री सुनील मालवीय के स्थान पर.

टिप्पणी:—

1. आदेश क्रमांक 302/गोपनीय/2016, दिनांक 14 मार्च, 2016, जहां तक इसका संबंध श्री सुनील मालवीय, व्यवहार न्यायादीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, कसरावद, जिला मण्डलेश्वर का, कसरावद, जिला मण्डलेश्वर से लौंडी जिला छतरपुर स्थानान्तरण से है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

2. आदेश क्रमांक 302/गोपनीय/2016, दिनांक 14 मार्च, 2016, जहां तक इसका संबंध श्री शशि भूषण शर्मा, षष्ठ्म व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, इंदौर का, इंदौर से शहडोल स्थानान्तरण से है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

क्र. 416-गोपनीय-2016-दो-3-1-2016 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री राम प्रकाश कतरोलिया,	आरोन	टीकमगढ़	टीकमगढ़	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से, रिक्त न्यायालय में.
2	श्री गुलाब चन्द्र मिश्रा,	बैढ़न	पाटन	जबलपुर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, पाटन के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
3	श्री निलेश यादव,	जावरा	सतना	सतना	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
4	श्री राजेश नन्देश्वर,	भोपाल	झाबुआ	झाबुआ	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
5	श्री रवि प्रकाश जैन,	भाण्डेर	अशोकनगर	अशोकनगर	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
6	श्री पंकज यादव,	गाडरवारा	भैंसदेही	बैतूल	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
7	श्री अब्दुल कादिर मंसूरी,	मउगंज	मंदसौर	मंदसौर	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

टिप्पणी.—

1. आदेश क्रमांक 304/गोपनीय/2016, दिनांक 14 मार्च, 2016, जहां तक इसका संबंध श्री राम प्रकाश कतरोलिया, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, आरोन, जिला गुना का, आरोन, जिला गुना से भीकनगांव जिला मण्डलेश्वर स्थानान्तरण से है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

2. आदेश क्रमांक 304/गोपनीय/2016, दिनांक 14 मार्च, 2016, जहां तक इसका संबंध श्री गुलाब चन्द्र मिश्रा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, बैढ़न जिला सिंगरौली के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, बैढ़न जिला सिंगरौली का, बैढ़न जिला सिंगरौली से बरेली जिला रायसेन स्थानान्तरण से है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

3. आदेश क्रमांक 304/गोपनीय/2016, दिनांक 14 मार्च, 2016, जहां तक इसका संबंध श्री निलेश यादव, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, जावरा, जिला रतलाम का, जावरा जिला रतलाम से जतारा जिला टीकमगढ़ स्थानान्तरण से है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

4. आदेश क्रमांक 304/गोपनीय/2016, दिनांक 14 मार्च, 2016, जहां तक इसका संबंध श्री राजेश नन्देश्वर, सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, भोपाल का, भोपाल से राजगढ़ स्थानान्तरण से है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

5. आदेश क्रमांक 304/गोपनीय/2016, दिनांक 14 मार्च, 2016, जहां तक इसका संबंध श्री रवि प्रकाश जैन, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, भाण्डेर, जिला दतिया का, भाण्डेर जिला दतिया से पाटन जिला जबलपुर स्थानान्तरण से है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

6. आदेश क्रमांक 304/गोपनीय/2016, दिनांक 14 मार्च, 2016, जहां तक इसका संबंध श्री पंकज यादव, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, गाडरवारा जिला नरसिंहपुर का, गाडरवारा जिला नरसिंहपुर से नारायणगढ़ जिला मंदसौर स्थानान्तरण से है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

7. आदेश क्रमांक 304/गोपनीय/2016, दिनांक 14 मार्च, 2016, जहां तक इसका संबंध श्री अब्दुल कादिर मंसूरी, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, मउगंज जिला रीवा का, मउगंज जिला रीवा से शाजापुर स्थानान्तरण से है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

क्र. 417-गोपनीय-2016-दो-3-1-2016 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 को उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान पर, उनकी नियुक्ति व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के पद पर होने के फलस्वरूप, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से वेतनमान रुपये 39,530—920—40,450—1080—49,090—1230—54,010/- में, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री समरेश सिंह	उज्जैन	उज्जैन	उज्जैन	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, उज्जैन के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
2	श्री अमर गोयल	गुना	बरेली	रायसेन	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
3	श्री अब्दुल्लाह अहमद	कटनी	निवास	मण्डला	व्यवहार न्यायादीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
4.	श्रीमती मीनल श्रीवास्तव	इटारसी	इटारसी	होशंगाबाद	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, इटारसी जिला होशंगाबाद के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
5	श्री अतुल सक्सेना	शाजापुर	भीकनगांव	मण्डलेश्वर	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	श्री कपिल नारायण भारद्वाज	दमोह	लौंड़ी	छतरपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

टिप्पणी

1. आदेश क्रमांक 296/गोपनीय/2016, दिनांक 14 मार्च, 2016, जहां तक इसका संबंध श्री समरेश सिंह, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, उज्जैन का, उज्जैन से, पदोन्नति पर सीधी स्थानांतरण से है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है. श्री समरेश सिंह का उज्जैन पदस्थापना पर कार्यकाल 13 जून, 2016 तक बढ़ाया गया है तत्पश्चात् वे व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, तराना जिला उज्जैन के पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे.
2. आदेश क्रमांक 296/गोपनीय/2016, दिनांक 14 मार्च, 2016, जहां तक इसका संबंध श्री अमर गोयल, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, गुना का, गुना से पदोन्नति पर आमला, जिला बैतूल स्थानांतरण से है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.
3. आदेश क्रमांक 296/गोपनीय/2016, दिनांक 14 मार्च, 2016, जहां तक इसका संबंध श्री अब्दुल्लाह अहमद, पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, कटनी का, कटनी से पदोन्नति पर पाण्ढुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा स्थानांतरण से है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.
4. आदेश क्रमांक 322/गोपनीय/2016, दिनांक 16 मार्च, 2016, जहां तक इसका संबंध श्रीमती मीनल श्रीवास्तव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, इटारसी, जिला होशंगाबाद के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, इटारसी, जिला होशंगाबाद का, इटारसी, जिला होशंगाबाद से पदोन्नति पर बुरहानपुर स्थानांतरण से है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.
5. आदेश क्रमांक 322/गोपनीय/2016, दिनांक 16 मार्च, 2016, जहां तक इसका संबंध श्री अतुल सक्सेना, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, शाजापुर, का शाजापुर से पदोन्नति पर सीधी स्थानान्तरण से है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.
6. आदेश क्रमांक 296/गोपनीय/2016, दिनांक 14 मार्च, 2016, जहां तक इसका संबंध श्री कपिल नारायण भारद्वाज, षष्टम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, दमोह का, दमोह से पदोन्नति पर मनासा, जिला नीमच स्थानांतरण से है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

जबलपुर, दिनांक 6 अप्रैल, 2016

क्र. 423-गोपनीय-2016-दो-3-1-2016 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री श्याम सुंदर झा,	सतना	त्यौंथर	रीवा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से.
2	श्रीमती पूनम डामेचा,	देवास	बुरहानपुर	बुरहानपुर	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से.
3	कुमारी लक्ष्मी वास्कले,	खरगोन	बीना	सागर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से.
4	श्री कुसुम हारा चक्रवर्ती	बैढ़न	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से.
5	श्रीमती पुष्पा तिलगाम,	छिंदवाड़ा	गाडरवाड़ा	नरसिंहपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	श्री मयंक मोदी,	शिवपुरी	सबलगढ़	मुरैना	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री मोहम्मद नियामत हुसैन रजवी के स्थान पर.
7	श्री मोहम्मद नियामत हुसैन रजवी,	सबलगढ़	बड़नगर	उज्जैन	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से.
8	कुमारी श्वेता श्रीवास्तव,	जबलपुर	सतना	सतना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से.
9	कुमारी शालू सिरोही	मुरैना	भोपाल	भोपाल	पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से.
10	श्री रवीन्द्र कुमार धुर्वे,	पाटन	निवास	मण्डला	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, निवास के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, निवास जिला मण्डला की हैसियत से.
11	श्रीमती सुनीता गोयल,	गुना	सीहोर	सीहोर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से.
12	श्रीमती बबीता होरा शर्मा,	जावद	बैढ़न	सिंगरौली	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से.
13	श्री शिवकुमार डावर,	भोपाल	खातेगांव	देवास	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से.
14	श्रीमती दुर्गा सोलंकी,	कुक्षी	नारायणगढ़	मंदसौर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से.
15	कुमारी उषा उइके,	बैतूल	देवरी	सागर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
16	श्रीमती शबनम कदीर मंसूरी,	मऊगंज	मंदसौर	मंदसौर	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से.

टिप्पणी:—

1. आदेश क्रमांक 306/गोपनीय/2016, दिनांक 14 मार्च, 2016, जहां तक इसका संबंध कुमारी संचिता भदकारिया, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, भोपाल का, भोपाल से लहार जिला भिण्ड, स्थानान्तरण से है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है. वे अपने वर्तमान पद पर निरंतर कार्य करती रहेंगी.

2. आदेश क्रमांक 306/गोपनीय/2016, दिनांक 14 मार्च, 2016, जहां तक इसका संबंध श्रीमती शोभना गौतम, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, रीवा का, रीवा से मण्डला, स्थानांतरण से है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है. वे अपने वर्तमान पद पर निरंतर कार्य करती रहेंगी. परिणामस्वरूप, श्री कमलेश भरकुन्दिया, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, गरोठ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, गरोठ जिला मंदसौर, जो रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 306/गोपनीय/2016, दिनांक 14 मार्च, 2016 द्वारा "प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्रीमती शोभना गौतम के स्थान पर." पर पदस्थ किये गये थे, को "अष्टम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, रीवा की हैसियत से रिक्त न्यायालय में." पदस्थ किया जाता है.

3. आदेश क्रमांक 306/गोपनीय/2016, दिनांक 14 मार्च, 2016, जहां तक इसका संबंध श्री प्रसन्न सिंह बहरावत, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, इंदौर का, इंदौर से रीवा, स्थानांतरण से है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है. वे अपने वर्तमान पद पर निरंतर कार्य करती रहेंगे. परिणामस्वरूप, श्री महेश कुमार माली, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, मउगंज, जिला रीवा, जो रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 306/गोपनीय/2016, दिनांक 14 मार्च, 2016 द्वारा "द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री प्रसन्न सिंह बहरावत के स्थान पर." पर पदस्थ किये गये थे, को "तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, इंदौर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में." पदस्थ किया जाता है.

4. आदेश क्रमांक 323/गोपनीय/2016, दिनांक 16 मार्च, 2016, जहां तक इसका संबंध श्रीमती मोनिका आध्या, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, जौरा जिला मुरैना का, जौरा जिला मुरैना से जबलपुर स्थानांतरण से है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है. वे अपने वर्तमान पद पर निरंतर कार्य करती रहेंगी. परिणामस्वरूप, श्री जय प्रताप चिड़ार, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, सिरोंज जिला विदिशा, जो रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 306/गोपनीय/2016, दिनांक 14 मार्च, 2016 द्वारा "प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 जोरा की हैसियत से श्रीमती मोनिका आध्या के स्थान पर." पर पदस्थ किये गये थे, को "प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, जोरा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, जोरा जिला मुरैना की हैसियत से." पदस्थ किया जाता है.

(2) आदेश क्रमांक 306/गोपनीय/2016, दिनांक 14 मार्च, 2016, जहां तक इसका संबंध—

1. श्री श्याम सुन्दर झा, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, सतना का, सतना से बुरहानपुर,
2. कुमारी लक्ष्मी वास्कले, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, खरगोन, जिला मण्डलेश्वर का, खरगौन जिला मण्डलेश्वर से छतरपुर,
3. श्री कुसुम हारा चक्रवर्ती, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैढ़न जिला सिंगरौली का, बैढ़न जिला सिंगरौली से निवास जिला मण्डला.
4. श्रीमती पुष्पा तिलगाम, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, छिंदवाड़ा का, छिंदवाड़ा से खाचरौद जिला उज्जैन,
5. श्री मयंक मोदी, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, शिवपुरी का, शिवपुरी से भैंसदेही जिला बैतूल,
6. कुमारी श्वेता श्रीवास्तव, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, जबलपुर का, जबलपुर से मनासा जिला नीमच.
7. कुमारी शालू सिरोही, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, मुरैना के न्यायालय की द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, मुरैना का, मुरैना से शहडोल,
8. श्री रवीन्द्र कुमार धुर्वे, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, पाटन के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, पाटन जिला जबलपुर का, पाटन जिला जबलपुर से धार.
9. श्रीमती सुनीता गोयल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, गुना के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, गुना का, गुना से बागली जिला देवास,
10. श्रीमती बबीता होरा शर्मा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, जावद, जिला नीमच का, जावद, जिला नीमच से मऊगंज जिला रीवा,
11. श्रीमती शोभना गौतम, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, रीवा का, रीवा से मण्डला,
12. श्री प्रसन्न सिंह बहरावत, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, इंदौर का, इंदौर से रीवा,
13. कुमारी उषा उइके, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, बैतूल का बैतूल से गरौठ जिला मंदसौर,
14. श्रीमती शबनम कदीर मंसुरी, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, मऊगंज जिला रीवा का, मऊगंज जिला रीवा से शाजापुर,

स्थानान्तरण से है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

(3) आदेश क्रमांक 323/गोपनीय/2016, दिनांक 16 मार्च, 2016, जहां तक इसका संबंध—

1. श्रीमती पूनम डामेचा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, देवास के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, देवास का, देवास से शहडोल,
2. श्री शिवकुमार डावर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, भोपाल का, भोपाल से तराना जिला उज्जैन,
3. श्रीमती दुर्गा सोलंकी, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, कुक्षी जिला धार का, कुक्षी जिला धार से भीकनगांव जिला मण्डलेश्वर,

स्थानान्तरण से है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

1. श्री मोहम्मद नियामत हुसैन रजवी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, सबलगढ़ जिला मुरैना का स्थानांतरण स्वयं के व्यय पर किया गया है.

क्र. 424-गोपनीय-2016-दो-3-1-2016 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (ट्रेनी जज) को उनके नाम से समक्ष स्तम्भ क्रमांक (4) में दर्शित स्थान एवं स्तम्भ क्रमांक (6) में उल्लेखित नियमित न्यायालय में पदस्थ करते हुए उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11(3) के अन्तर्गत न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की शक्तियाँ प्रदान करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री अमित मालवीया,	हरदा	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से.
2	सुश्री दीप्ती ठाकुर,	टीकमगढ़	टीकमगढ़	टीकमगढ़	पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से.
3	श्री राजकुमार भद्रसेन,	अशोकनगर	अशोकनगर	अशोकनगर	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से.
4	श्री साजिद मोहम्मद	अशोकनगर	मुंगावली	अशोकनगर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से.

टिप्पणी:—

आदेश क्रमांक 300/गोपनीय/2016, दिनांक 14 मार्च, 2016, जहां तक इसका संबंध—

1. श्री अमित मालवीया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, हरदा के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, हरदा का, हरदा से भितरवार, जिला ग्वालियर,
2. सुश्री दीप्ती ठाकुर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, टीकमगढ़ के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, टीकमगढ़ का, टीकमगढ़ से निवाड़ी, जिला टीकमगढ़,
3. श्री राजकुमार भद्रसेन, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, अशोकनगर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, अशोकनगर का, अशोकनगर से मुंगावली जिला अशोकनगर,
4. श्री साजिद मोहम्मद, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, अशोकनगर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, अशोकनगर का, अशोकनगर से अशोकनगर,

स्थानांतरण से है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 4 अप्रैल, 2016

क्र. 406-गोपनीय-2016-दो-3-27-2016.—उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, सुश्री सपना कौशल, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, महू जिला इंदौर का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन "श्रीमती सपना शर्मा" पत्नी श्री राकेश कुमार शर्मा करने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.

आदेशानुसार,
मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 4 अप्रैल, 2016

क्र. सी-1256-तीन-10-42-75 (विदिशा-बासौदा-कुरवाई).—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि श्री प्रदीप सोनी (जूनि.) द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बासौदा अपने घोषित कार्यस्थल बासौदा के अतिरिक्त, कुरवाई में भी प्रत्येक माह में 15 (पन्द्रह) दिवस, वहां श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे.

No. C-1256-III-10-42/75 (Vidisha-Basoda-Kurwai).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Shri Pradeep Soni (Jr.), IInd Addl. Distt. & Session Judge, Basoda in addition to his place of sitting declared at Basoda, shall also sit at Kurwai for 15 (Fifteen) days in each month, for holding of Link Court there.

क्र. सी-1258-तीन-10-42-75 (विदिशा-सिरोंज-कुरवाई).—उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक ए/3221, तीन-10-42-75 (विदिशा-सिरोंज-कुरवाई) दिनांक 12-9-2014 जिसका संबंध द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिरोंज की श्रृंखला न्यायालय, कुरवाई से है, को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

No. C-1258-III-10-42/75 (Vidisha-Sironj-Kurwai).—High Court Notification No. A/3221, III-10-42/75 (Vidisha-Sironj-Kurwai) dated 12-9-2014, which relates to holding Link Court of IInd Additional District & Sessions Judge, Sironj to Kurwai is hereby cancelled.

क्र. सी-1260-तीन-10-42-75 (विदिशा-सिरोंज-गंजबासौदा).—उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक 689, तीन-10-42-75 (विदिशा-सिरोंज-गंजबासौदा) दिनांक 10-7-2015 जिसका संबंध अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिरोंज के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की श्रृंखला न्यायालय, गंजबासौदा से है, को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

No. C-1260-III-10-42/75 (Vidisha-Sironj-Ganjbasoda.— High Court Notification No. 689-III-10-42/75 (Vidisha-Sironj-Ganjbasoda) dated 10-7-2015, which relates to holding Link Court of AJ to Additional District & Sessions Judge, Sironj to Ganjbasoda, is hereby cancelled.

By order of the High Court,
VIVEK SAXENA, OSD (DE).